क्रम-संख्या–171

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 15 मई, 2026
बैशाख 25, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
————————
संख्या 1384 / चार-2026
लखनऊ, 15 मई, 2026
————————

अधिसूचना

प0आ0–266

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022) की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय हेतु निम्नलिखित प्रथम अध्यादेश बनाते हैं:–

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश, 2026

अध्यादेश संख्या–1

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों शिक्षण विभाग (यू0टी0डी0) में छात्रसंघ का संविधान राज्य सरकार के नियमों और यू0जी0सी0 मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

अध्यादेश संख्या–2

महाविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश

1–महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय छात्र अपने साथ संस्था–प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र, जिसमें, उसने अंतिम बार अध्ययन किया हो, परन्तु यह कि छात्र जिसने अभ्यर्थी के रूप में अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे प्रमाण-पत्र के स्थान पर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को, जिसमें अपना अध्ययन आगे करना चाहता हो, सदाचरण का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। परन्तु यह और कि छात्र, जिसने अंतिम बार किसी अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सम्बद्ध किसी संस्था में अध्ययन किया हो, ऐसी संस्था प्रमुख द्वारा निर्गत संस्था के छोड़ने के प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस विश्वविद्यालय के कुलसचिव या बोर्ड के सचिव द्वारा निर्गत प्रव्रजन–प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और यदि विश्वविद्यालय है, तो आव्रजन फीस का संदाय करेगा:

परन्तु यह भी कि छात्र या छात्र वर्ग को द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने या आव्रजन–फीस का संदाय करने से छूट कार्यपरिषद् द्वारा दी जाएगी। परन्तु यह भी कि महाविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति किसी भी परिस्थिति में विहित दिनांक के पश्चात् तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य को छात्र को महाविद्यालय में प्रवेश देने के लिए अनुमति नहीं दी जाए। महाविद्यालयों के प्राचार्य उक्त दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सत्र के लिए महाविद्यालय में प्रविष्ट समस्त छात्रों की पूर्ण सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

2–प्राचार्य द्वारा स्वीकृत हो जाने और विहित महाविद्यालय फीस का संदाय कर दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र छात्र को महाविद्यालय के सदस्य के रूप में नामांकित कर दिया जाएगा।

3–(1) किसी भी छात्र को विहित प्रपत्र में महाविद्यालय छोड़ने या स्थानांतरण–प्रमाण-पत्र के बिना एक महाविद्यालय से अन्य महाविद्यालय में प्रवजित होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) किसी भी छात्र, जो –

(एक) विश्वविद्यालय में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में; और

(दो) विश्वविद्यालय में एक महाविद्यालय से विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में या विपरीत क्रम से स्थानान्तरित हो रहा है, से उसे एक माह की अध्यापन फीस का संदाय नहीं अपेक्षित होगा, जिस माह हेतु अध्यापन फीस पहले ही उस महाविद्यालय या विभाग में संदाय कर चुका है, जहाँ से वह स्थानांतरित हुआ है।

यदि किसी शैक्षणिक वर्ष में छात्र उस महाविद्यालय को छोड़ना चाहता है, जिसका वह सदस्य रह चुका है और अन्य महाविद्यालय से जुड़ना चाहता है, तो वह,–

(एक) छोड़ने के आशय की सूचना देगा;

(दो) उस दिनांक तक की देय समस्त महाविद्यालय फीस का संदाय करेगा; और

(तीन) यदि महाविद्यालय द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, तो महाविद्यालय–निधि से जितनी भी छात्रवृत्ति या वजीफा संदल हुआ है, का प्रतिदाय करेगा।

4–जब छात्र ने इस अध्यादेश के पैरा-3 में अपेक्षित समस्त संदाय कर दिए हों, तो प्राचार्य विहित प्रपत्र में स्थानांतरण–प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे।

5–(1) जब कोई छात्र गंभीर दुराचरण या सतत निष्क्रियता का दोषी पाया जाता है, तो महाविद्यालय का प्राचार्य, जहाँ ऐसा छात्र अध्ययन कर रहा है, उसके अभिभावक को सूचित करने के पश्चात् और अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार,–

(क) निष्कासित कर सकेगा;

(ख) अस्थायी रूप से निष्कासित कर सकेगा; अथवा

(ग) ऐसे छात्र को आगामी विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में निर्हित कर सकेगा।

(2) इस प्रकार निष्कासित किसी भी छात्र को अन्य महाविद्यालय में उस महाविद्यालय जहां से छात्र निष्कासित किया गया है, के प्राचार्य की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा और अस्थायी रूप से निष्कासित किए गए किसी भी छात्र को अन्य महाविद्यालय में उसकी अस्थायी निष्कासन अवधि के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6–यदि कोई विदेशी छात्र किसी भी विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो संस्थागत प्रवेश की अनुज्ञा उस पाठ्यक्रम में निकटस्थ शैक्षणिक सत्र में केवल एक बार दी जाएगी।

अध्यादेश संख्या–3

विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ

विश्वविद्यालय निम्नलिखित परीक्षाएँ आयोजित करेगा, नामशः–

7–गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय), नृत्य में चार वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम बी0पी0ए0 परीक्षा के लिए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा।

8–गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय), नृत्य में चारवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम बी0पी0ए0 परीक्षा के लिए द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा।

9–गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय), नृत्य में चार वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम बी0पी0ए0 परीक्षा के लिए तृतीय सेमेस्टर परीक्षा।

10–गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय), नृत्य में चारवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम बी0पी0ए0 परीक्षा के लिए चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा ।

11—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर विनिश्चय किया जाय), नृत्य में चार वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम बी0पी0ए0 परीक्षा के लिए पंचम सेमेस्टर परीक्षा।

12—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय), नृत्य में चार वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम बी0पी0ए0 परीक्षा के लिए षष्ठ सेमेस्टर परीक्षा।

13—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय), नृत्य में चारवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम बी0पी0ए0 परीक्षा के लिए सप्तम सेमेस्टर परीक्षा ।

14—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय), नृत्य में चारवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम बी0पी0ए0 परीक्षा के लिए अष्टम सेमेस्टर परीक्षा।

15—बी0वी0ए0 चित्रकला की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा।

16—बी0वी0ए0 चित्रकला की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा।

17—बी0वी0ए0 चित्रकला की तृतीय सेमेस्टर परीक्षा।

18—बी0वी0ए0 चित्रकला की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा।

19—बी0वी0ए0 चित्रकला की पंचम सेमेस्टर परीक्षा।

20—बी0वी0ए0 चित्रकला की षष्ठ सेमेस्टर परीक्षा।

21—बी0वी0ए0 चित्रकला की सप्तम सेमेस्टर परीक्षा।

22—बी0वी0ए0 चित्रकला की अष्टम सेमेस्टर परीक्षा।

23—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0पी0ए0) की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा।

24—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0पी0ए0) की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा ।

25—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0पी0ए0) की तृतीय सेमेस्टर परीक्षा।

26—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0पी0ए0) की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा।

27—नाट्यकला में स्नातकोत्तर की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा।

28—नाट्यकला में स्नातकोत्तर की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा।

29—नाट्यकला में स्नातकोत्तर की तृतीय सेमेस्टर परीक्षा।

30—नाट्यकला में स्नातकोत्तर की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा ।

31—कला—स्नातक (बी0ए0) की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा।

32—कला—स्नातक (बी0ए0) की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा।

33—कला—स्नातक (बी0ए0) की तृतीय सेमेस्टर परीक्षा।

34—कला—स्नातक (बी0ए0) की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा।

35—कला—स्नातक (बी0ए0) की पंचम सेमेस्टर परीक्षा।

36—कला—स्नातक (बी0ए0) की षष्ठ सेमेस्टर परीक्षा।

37—कला—स्नातक (बी0ए0) की सप्तम सेमेस्टर परीक्षा।

38—कला—स्नातक (बी0ए0) की अष्टम सेमेस्टर परीक्षा।

39—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में प्रवेशिका की भाग—एक परीक्षा।

40—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में प्रवेशिका की भाग— दो परीक्षा।

41—गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में परिचय की भाग—एक परीक्षा।

42–गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में परिचय की भाग– दो परीक्षा।

43–गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में प्रबुद्ध की भाग– एक परीक्षा।

44–गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में प्रबुद्ध की भाग– दो परीक्षा।

45–गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में पारंगत की भाग–एक परीक्षा।

46–गायन संगीत, वाद्य/तालवाद्य संगीत (ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाय) एवं नृत्य में पारंगत की भाग–दो परीक्षा।

47–एकवर्षीय डिप्लोमा की भाग–एक परीक्षा।

48–द्विवर्षीय डिप्लोमा की भाग–दो परीक्षा।

49–द्विवर्षीय डिप्लोमा की भाग–तीन परीक्षा।

अध्यादेश संख्या–4

छात्रों का आवास

50–विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में अध्ययनरत समस्त छात्र, यदि वे अपने माता–पिता अथवा अभिभावक के साथ नहीं रहते, तो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षति छात्रावास, यदि कोई हो, में ही निवास करेंगे।

51–प्रत्येक छात्रावास में आवास और ठहरने की व्यवस्था होगी और भोजनालय प्रभार के अतिरिक्त ऐसी फीस प्रभारित की जाएगी, जो कार्यपरिषद् द्वारा समय–समय पर विहित की जाय।

52–छात्रावासों में रहने वाले समस्त छात्र छात्रावास के भोजनालय से जुड़ेंगे। भोजनालय प्रभार प्रति माह अग्रिम रूप से संदेय होगा।

53–छात्रावासों के समस्त निवासी कुलसचिव के अनुमोदन से वॉर्डन द्वारा निर्मित छात्रावास–नियमों के अध्यधीन होंगे।

अध्यादेश संख्या–5

अध्यापकों की मान्यता

54–विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न किए गए महाविद्यालय का प्रमुख अपनी ओर से अथवा ऐसे महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य की ओर से कार्यपरिषद् को आचार्य या सह-आचार्य के रूप में स्वयं को या सदस्य को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि वह–

(क) स्नातकोत्तर कक्षाओं को शिक्षा देने के लिए अर्हक अध्यापक हेतु यथावश्यक विद्या–परिषद् द्वारा निर्धारित ऐसी अर्हताएँ रखता हो;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षति न किए गए महाविद्यालयों के आचार्य और सह-आचार्य के लिए क्रमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित वेतनमान के अनुसार वेतन पाता हो या संदत्त किया जाना हो।

55–ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर कार्य परिषद् परिनियम के अध्याय नौ भाग–दो के अधीन गठित चयन समिति को उसे अग्रेषित करेगी।

56–परिनियम में निर्दिष्ट समिति यथाशीघ्र आवेदन पर विचार करेगी और अपनी संस्तुतियों के साथ कार्य परिषद् को वापस करेगी।

57–कार्य परिषद् उपखंड (3) में निर्दिष्ट समिति की सलाह के निबंधन में उस पर आदेश जारी करेगी।

58–संघटक महाविद्यालय के अन्य समस्त अध्यापक, जिन्हें आचार्य या सह–आचार्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य समझे जाएंगे।

(एक) आचार्य, सह–आचार्य और सहायक आचार्य की वरिष्ठता परिनियम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(दो) यदि उपखंड 5 और 6 के उपबंधों को लागू करने के पश्चात् दो या अधिक आचार्य, सह–आचार्य या सहायक आचार्य की सेवावधि समान पाई जाती है, तो उनकी वरिष्ठता उनकी आयु से अवधारित की जाएगी।

अध्यादेश संख्या–6

सामान्य परीक्षा

59–किसी विषय जिसमें विश्वविद्यालय परीक्षा संचालित करता है, से सम्बंधित विहित या संस्तुति कराया जाने वाला पाठ्यक्रम एवं पाठ्य–पुस्तकें, यदि कोई हों का अवधारण अध्ययन–विभाग की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात् विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

60–समस्त परीक्षाएँ लखनऊ और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में संचालित की जाएंगी, जैसा कि विद्या परिषद् द्वारा विनिश्चय किया जाय।

61–विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से सम्बंधित समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा विद्या परिषद् द्वारा निर्मित योजना के अनुसार संचालित किया जाएगा।

62–सामान्यतः प्रायोगिक और मौखिक के अतिरिक्त समस्त परीक्षाएं मुद्रित या साइक्लोस्टाइल प्रश्न-पत्रों के माध्यम से संचालित की जाएगी जिनका उत्तर अंग्रेजी में या हिंदी में, अथवा जैसी विद्या परिषद् द्वारा अनुज्ञा की जाय, दिया जाएगा। उन्हें परीक्षकों को उसी दिनांक और समय पर समस्त परीक्षा केंद्रों में दिया जाएगा।

63–समस्त परीक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक छात्र अपनी परीक्षा के लिए स्वयं द्वारा चयनित माध्यम से अपना पाठ्यक्रम अध्ययन संपन्न करेंगे।

64–परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को परीक्षा–अध्यादेश में उल्लिखित न्यूनतम अंक प्रतिशत से अन्यून अंक पाना होगा।

65–परिणामों के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से महीने के भीतर परीक्षार्थी आवश्यक फीस के साथ उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे, यदि वे अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है।

उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

संवीक्षा के दौरान परिणाम में पाए गए किसी भी परिवर्तन को प्रकाशित किया जाएगा और समस्त प्रयोजनों के लिए अंतिम होगा।

(क) परिणामों की संवीक्षा–

(एक) कोई भी अभ्यर्थी, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पारंगत, स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, किसी भी पाठ्यक्रम की दो लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में से किसी में भी अपने अंकों की संवीक्षा के लिए और अपने परिणाम की पुनः जांच के लिए कुलसचिव को आवेदन कर सकेगा। आवेदन कुलसचिव को विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची के प्रेषण के पश्चात् 30 दिनों के भीतर अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

(दो) पुनर्गणना के लिए आवेदन के साथ मूल अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(तीन) पुनर्गणना के संबंध में ऐसे विषय की परीक्षा जिसमें केवल एक प्रश्न-पत्र हो, को एक विषय माना जाएगा।

(चार) पुनर्गणना का परिणाम अभ्यर्थी को आवेदन के दिनांक से तीन माह के भीतर सूचित किया जाएगा।

(पांच) अभ्यर्थी फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।

(छः) संवीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी को संसूचित किया जाएगा।

(सात) परीक्षण प्रपत्र (आवेदन) प्रस्तुत करने की अनुमति परीक्षा–परिणाम की घोषणा के पश्चात् 15 दिनों के भीतर बिना विलंब–फीस दी जाएगी।

(आठ) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर कुलपति आवेदक की उत्तर पुस्तिकाओं में यथा अभिलिखित अंकों की संवीक्षा किसी एक सारणीयक द्वारा करवाएंगे।

(नौ) यदि संवीक्षा के फलस्वरूप यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाना चाहिए अथवा उच्च श्रेणी में रखा जाना चाहिये तद्नुसार अभ्यर्थी का परिणाम पुनरीक्षित किया जाएगा।

(दस) यदि बी0वी0ए0 और एम0वी0ए0 का छात्र पुनर्गणना के कारण परीक्षा में उत्तीर्ण/अर्हति होता है, उसे संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि के पश्चात् एक माह की अवधि प्रदान की जाएगी, ताकि वह यू0टी0डी0 में प्रवेश ले सके।

(ख) उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन–

(एक) कोई भी अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पारंगत, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, कुलसचिव को दो उत्तर पुस्तकिाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेगा।

(दो) ऐसा आवेदन कुलसचिव को परीक्षा परिणाम के प्रकाशन से 40 दिनों के भीतर या विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची–प्रेषण के पश्चात् 15 दिनों के भीतर (जो भी पहले हो) अवश्य पहुँच जाना चाहिए ।

(तीन) पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन के साथ मूल अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(चार) प्रायोगिक परीक्षा, सत्रीय कार्य, वार्षिक कार्य एवं शोध–प्रबंध के पुनर्मूल्यांकन का कोई उपबंध नहीं है।

(पांच) पुनर्मूल्यांकन के संबंध में, ऐसे विषय की परीक्षा, जिसमें केवल एक प्रश्नपत्र हो, एक विषय माना जाएगा।

(छः) पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अभ्यर्थी को आवेदन के दिनांक से महीने भर के भीतर सूचित किया जाएगा।

(सात) अभ्यर्थी फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।

(आठ) जब कोई अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता है, कुलपति द्वारा प्रश्नगत उत्तरपुस्तिका को दो वाह्य परीक्षकों के पास मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा, जो मूल मूल्यांकन से सुभिन्न होंगे। इनमें से प्रत्येक परीक्षक प्रश्न-पत्र निर्माता द्वारा परीक्षक को दिए गए अनुदेशों की प्रति के साथ उसी परीक्षक द्वारा पूर्व में मूल्यांकित पाँच उत्तर पुस्तिकाओं का एक सेट प्राप्त करेगा। यह सामग्री परीक्षकों को प्रारंभिक परीक्षक और दिए गए अनुदेशों द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुरूप उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में सहायता के लिए दी जाती है। यदि पाँच से कम अभ्यर्थी विनिर्दिष्ट प्रश्न-पत्र की परीक्षा में सम्मिलित हो, ऐसी स्थिति में समस्त अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाएँ प्रत्येक परीक्षक को भेजी जाएंगी। उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का पारिश्रमिक विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाएगा और समयानुसार परिवर्तित हो सकता है।

(नौ) ऐसी स्थिति में, जब दो अतिरिक्त परीक्षकों में से किसी एक द्वारा समनुदेशति अंकों में मूल परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों से प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों के 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर हो, तब समस्त तीन परीक्षकों–मूल परीक्षक एवं दो पुनर्मूल्यांककों द्वारा दिए गए अंकों के औसत को सही मूल्यांकन माना जाएगा। यह परिणाम पुर्नमूल्यांकन इस शर्त पर समाश्रति होगा कि मूल अंकों से न्यूनतम एक विसंगति प्रश्न-पत्र हेतु अधिकतम अंकों का 10 प्रतिशत से अधिक हो। जहाँ तीन परीक्षकों द्वारा समनुदेशति अंकों में से दो विसंगतियां समान हों, वहाँ टाई होगी, परीक्षार्थी के लिए अधिक अनुकूल दो अंकों का प्रयोग सही मूल्यांकन के अवधारण में किया जाएगा।

(दस) परीक्षण प्रपत्र (आवेदन) प्रस्तुत करने की अनुमति परीक्षा–परिणामों की घोषणा के पश्चात् 15 दिनों के भीतर बिना विलंब–फीस के दी जाएगी।

(ग्यारह) कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र उपाधि पाठ्यक्रम परीक्षा से भिन्न परीक्षा में प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को दिया जाएगा।

(क) (एक) उपाधि के लिए अंतिम परीक्षा में सफल प्रत्येक परीक्षार्थी ऐसी शर्तों पर उस उपाधि की ग्राह्यता का हकदार होगा, जैसा कि कार्यपरिषद् विहित करे।

(दो) उपाधि प्राप्त प्रत्येक अभ्यर्थी उपाधि का प्रमाण–पत्र विद्या परिषद् द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त करेगा। उपाधि का प्रत्येक प्रमाण–पत्र कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं विश्वविद्यालय की मुहर से मुद्रांकित होगा।

(ख) (एक) सामान्यतः परीक्षा प्रारंभ होने के दो माह से अन्यून पूर्व कुलसचिव परीक्षा प्रारंभ होने का दिनांक प्रकाशित करेगा। संस्थागत अभ्यर्थियों के संबंध में फीस समेत परीक्षा आवेदन प्रपत्र (फॉर्म) की प्राप्ति का अंतिम दिनांक विश्वविद्यालय द्वारा यथाविहित होगा।

(दो) परीक्षाओं में प्रवेश के लिए समस्त आवेदन विद्या परिषद् द्वारा विहित प्रपत्रों में किए जाएंगे।

(ग) परीक्षा–प्रपत्र (फॉर्म) सम्बंधित परीक्षा– दिनांक प्रारंभ होने से 45 दिन पूर्व विलम्ब फीस सहित, जैसा कि कुलपति की विशेष अनुज्ञा से संस्थागत अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) हेतु समय–समय पर विद्या परिषद्/कार्य परिषद् अनुमोदित की जाय, स्वीकार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को कुलपति द्वारा विशेष अनुज्ञा प्रदान किये जाने के पश्चात् विशेष परीक्षा फीस देनी होगी।

(घ) डॉक्टरेट उपाधि के अभ्यर्थियों के लिए इस अध्यादेश का कोई नियम लागू नहीं होगा।

(ङ) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, परीक्षा से सम्बंधित अध्यादेशों में,–

(एक) ''आवेदक'' का तात्पर्य व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय को विद्या परिषद् द्वारा विहित प्रपत्र में किसी परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

(दो) ''अभ्यर्थी'' का तात्पर्य व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश दिया गया है।

(तीन) ''परीक्षार्थी'' का तात्पर्य अभ्यर्थी से है, जो उस परीक्षा में स्वयं उपस्थति होता है, जिसके लिए उसे प्रवेश दिया गया है।

अध्यादेश संख्या–7

परीक्षा–संचालन

परीक्षा का दिनांक

66–विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का दिनांक विद्या परिषद् द्वारा उन परीक्षाओं से सम्बंधित अध्यादेश के अनुसार निश्चित किया जाएगा ।

परीक्षक की नियुक्ति

67–(1) विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षकों की नियुक्ति परिनियमावली में दिए गए उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) विद्या परिषद् द्वारा दो अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के आचार्यों, सह–आचार्यों एवं वरिष्ठतम अध्यापकों में से की जाएगी, जिनकी नियुक्ति–अवधि तीन वर्ष होगीः

परन्तु यह कि,

यदि कुलपति की राय में, जहां तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, परीक्षकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जा सकेगी।

68–(1) इस निमित्त समिति विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों में से परीक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा करेगी।

(2) कुलपति की अनुपस्थिति में, वरिष्ठ अधिष्ठाता समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

अनुसीमन समिति

69–प्रत्येक अध्ययन विभाग में विषय–विशेष या विषयों के लिए परीक्षा–प्रश्न-पत्रों के अनुसीमन हेतु एक समिति होगी, जिसमें निम्नांकित व्यक्ति होंगे, नामशः–

(एक) अध्ययन– विभाग का प्रमुख;

(दो) विभागाध्यक्ष से भिन्न विद्या परिषद द्वारा नियुक्त विभाग का वरिष्ठ अध्यापक;

(तीन) संकायाध्यक्ष (अध्यक्ष);

(चार) विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से कुलपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य।

परीक्षाओं का संचालन

70–(एक) विद्या परिषद् प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए प्रभारी अधकिारी नियुक्त करेगी और उनके मार्गदर्शन के लिए अनुदेश जारी करेगी।

(दो) प्रश्न-पत्रों की प्रतियाँ उस समय मुद्रित या साइक्लोस्टाइल की जाएंगी, जैसा कि कुलपति के अनुमोदन से कुलसचिव द्वारा प्रत्येक मामले में अवधारित किया जाय।

(तीन) कुलसचिव प्रत्येक परीक्षा प्रारंभ होने के न्यूनतम एक पखवाड़ा पहले प्रत्येक केन्द्र प्रभारी को निम्नांकित पत्र अग्रेषित करेगा –

(क) केंद्र में प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों की संख्या दर्शाने वाली संख्यावार सूची;

(ख) परीक्षाओं का कार्यक्रम;

(ग) विशष्टि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की नामावली सूची;

(घ) सम्बंधित विषय में परीक्षकों के नाम दर्शाने वाला विवरण;

(ड.) परीक्षा के समुचित संचालन के लिए यथापेक्षित ऐसे अन्य प्रपत्र।

(चार)(क) प्रत्येक केंद्र का प्रभारी अधिकारी परीक्षा के लिखित भाग से सम्बंधित समस्त उत्तरपुस्तिकाएँ विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास अग्रेषति करेगा, जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों से प्राप्त प्रत्येक लिखित प्रश्न-पत्र की समस्त उत्तरपुस्तिकाओं को सम्बंधित परीक्षक के पास अग्रेषित करेगा।

(ख) समस्त उत्तरपुस्तिकाएं कुलसचिव द्वारा प्रदत्त विश्वविद्यालय की मुहर से परीक्षा–प्रभारी अधिकारी द्वारा मुद्रांकित की जाएंगी।

(पांच) कार्यपरिषद् परीक्षकों के मार्गदर्शन हेतु विद्यापरिषद् द्वारा इस निमित्त अनुमोदित ऐसे सामान्य अनुदेश, जो उनके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, जारी करेगी और परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को अभिलिखित करने के लिए उपयुक्त प्रपत्र विहित करेगी।

(छः) इस निमित्त विद्या परिषद् द्वारा निर्मित किन्हीं विशेष निदेशों के अध्यधीन कुलसचिव विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं के संचालन से सम्बंधित व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी होगा।

(सात) समस्त केंद्रों में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से वरीयता क्रम में जिनमें उनका नाम है, की जाएगी,–

(क) महाविद्यालयों के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित आचार्य एवं अध्यापक।

(ख) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के तकनीकी कर्मचारी।

(आठ) कुलपति प्रत्येक केंद्र के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक या केंद्र अधीक्षक नियुक्त करेगा। केंद्र अधीक्षक और पर्यवेक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित फीस संदेय होगी।

परिणाम की तैयारी

71–(एक) परीक्षा परिणामों को तैयार करने के लिए तथा कार्य परिषद को प्रकाशन के लिए रिपोर्ट करने हेतु तीन सदस्यों वाली एक विशेष परीक्षा समिति विद्या परिषद् द्वारा प्रति वर्ष नियुक्त की जाएगी। इस समिति का अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक होगा।

(दो) विशेष परीक्षा समिति विद्या परिषद् को उस वर्ष की परीक्षाओं के लिए सारणीयक नियुक्त किए जाने हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा करेगी और विद्या परिषद् विशेष परीक्षा–समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात् उसे कार्यपरिषद् को अग्रेषित करेगी। ऐसी अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात् परीक्षा परिणाम सारणीबद्ध करने के लिए दो सारणीयक या सारणीयकों के दो समुच्चय और एक संवीक्षक की नियुक्ति करेगी ।

(तीन) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय के कुलसचिव को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त करेगी।

(चार) परीक्षक द्वारा सारणीयकों को तथा कुलसचिव को भेजे गए अंकों में कोई फर्क हो, तो उसे विशेष परीक्षा समिति को ऐसी कार्यवाही के लिए रिपोर्ट किया जाएगा, जो उचित प्रतीत हो ।

(पांच) कुलसचिव सारणीयकों को प्रत्येक परीक्षा की समाप्ति के पूर्व उससे सम्बंधित समस्त आवश्यक पत्र अग्रेषित करेगा, उदाहरणार्थ – परीक्षकों के नाम, परीक्षार्थियों की नामावली सूची, अंकों के अभिलेखन के प्रपत्र, अंतिम दिनांक जिसको परीक्षक से अपने परीक्षण प्रेषति करना अपेक्षित हो, का विवरण। सारणीयक कर्तव्य–निर्वाह के दौरान प्राप्त संसूचना को सर्वथा गोपनीय रखेंगे।

(छः) सारणीयक परीक्षकों से सीधे अंक प्राप्त करेंगे और कार्य परिषद् द्वारा विहित दिनांक को या उससे पूर्व कुलसचिव को विशेष परीक्षा समिति के निर्देशों के अनुरूप तैयार परिणामों को भेजेंगे।

(सात) कुलसचिव परिणामों की जाँच करने के पश्चात, उन्हें विशेष परीक्षा–समिति के समक्ष रखेगा, जो उनकी संवीक्षा करने के लिए बैठक करेगी और परिणाम तैयार करेगी।

(आठ) किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके निमित्त उसकी परीक्षा के मामले में अधिमानी उपचार पाने के लिए किया गया प्रयत्न कुलसचिव को रिपोर्ट किया जाएगा, जो इस मामले को कार्यपरिषद् के समक्ष रखेगा।

(नौ) परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्नपरीक्षण नहीं होगा। यदि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में कोई चूक सामने आती है तो यह मामला विशेष परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा, जो ऐसी कार्यवाही, जो उचित समझे, किये जाने का आदेश करेगी। यदि कार्य परिषद् द्वारा परीक्षा परिणाम प्रकाशित किये जाने के पश्चात् ऐसी कोई चूक पाई जाती है तो कुलसचिव मामले के विचारार्थ विशेष परीक्षा समिति की बैठक आहूत करेगा और वह इस संबंध में ऐसी कार्यवाही जो उचित समझे, करेगी। यदि वह प्रश्न या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का आदेश देती है और यदि ऐसे मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप परीक्षार्थी जो पहले अनुत्तीर्ण घोषति किया गया था, उत्तीर्ण हो जाता है, कुलपति से अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे उस श्रेणी में, जिसके लिए उसके अंक उसे हकदार बनाते हैं, उत्तीर्ण घोषित किये जाने का अनुरोध किया जाएगा।

(दस) कार्य परिषद द्वारा यथाविनिश्चित के सिवाय, परीक्षा उत्तर–पुस्तिकाएं तथा परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों से सम्बंधित विवरण, सारणीकृत परीक्षा परिणामों को छोड़कर, परिणाम प्रकाशित किए जाने के दिनांक से चार माह पश्चात् नष्ट कर दिए जाएँगे या अन्यथा निपटान कर किया जाएगा।

परिणामों का प्रकाशन

72–कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम विश्वविद्यालय की सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी ।

कुलसचिव विशेष परीक्षा समिति की कार्यवाहियों को कार्य परिषद् के समक्ष समिति द्वारा तैयार की गई सफल परीक्षार्थियों की सूची सहित प्रस्तुत करेगा। परीक्षार्थियों की उस विषय या विषयों की प्रति–सूचियाँ (क्रॉस–लिस्ट), जिनमें वे विहित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल हुए हैं, परिणाम प्रकाशित किये जाने के पूर्व सारणीयकों द्वारा तैयार की जाएगी, और यह कुलसचिव का कर्तव्य होगा कि सफल रिपोर्ट किये गये परीक्षार्थियों की सूची की तुलना प्रतिसूचियों (क्रॉस–लिस्ट) से करेगा और जहाँ आवश्यक हो, सारणीयकों से सूचियों में संशोधन के लिए कहेगा।

अध्यादेश संख्या–8

बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (बी0पी0ए0)
परफॉर्मिंग आर्ट्स पाठ्यक्रम
(सेमेस्टर प्रणाली)

73–अध्यादेश विश्वविद्यालय के समस्त सम्बंधित विभागों और विश्वविद्यालय की अधकिारिता के अधीन संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों पर लागू होगा।

74–बी0पी0ए0 पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम होगा और आठ सेमेस्टरों तक चलेगा, नामशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर। यह पाठ्यक्रम विकल्प आधारित पाठ्यक्रमांश प्रणाली (चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) (सी0बी0सी0एस0) पर आधारित होगा।

75–इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को यू0पी0 बोर्ड या सी0बी0एस0ई0 की उच्च माध्यमिक (10+2) परीक्षा या सी0बी0एस0ई0 या अपने सम्बंधित राज्य/देश से मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ महाविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (अभिक्षमता–परीक्षा) या सी0यू0ई0टी0 (सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा) उत्तीर्ण करनी होगी।

76–प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए उपलब्ध सीटें विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चय की जाएंगी।

77–पाठ्यक्रम के लिए फीस संरचना विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथाविनिश्चय की जाएगी।

78–प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर की शुरुआत विश्वविद्यालय द्वारा घोषित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अन्तिम रूप से दिसम्बर माह में होगी। इसी प्रकार, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ एवं अष्टम सेमेस्टर की शुरुआत जून माह में होगी, जो आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित भी हो सकती है।

79–प्रत्येक सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी और पाठ्यक्रम की अपेक्षानुसार उसमें सैद्धांतिक/प्रायोगिक परीक्षा होगी, जबकि आंतरिक मूल्यांकन यू0टी0डी0/महाविद्यालयों के सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।

80—प्रत्येक प्रश्न-पत्र; सैद्धान्तिक और प्रायोगिक हेतु बाह्य मूल्यांकन के लिए 70 प्रतिशत अंक तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक होंगे।

81—इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रस्तावित समस्त विषय परिशिष्ट —'1' के अनुसार होंगे।

82—बी0पी0ए0 पाठ्यक्रम च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित होगा।

83—सम्बंधित विभागाध्यक्ष/महाविद्यालयों के प्राचार्य आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के अभिलेख रखेंगे और उसे प्रत्येक सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के न्यूनतम एक सप्ताह पहले परीक्षा अनुभाग को अग्रेषित करेंगे।

84—(क) सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के क्रम में अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में पृथक—पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपेक्षित होगा। यह नियम आंतरिक मूल्यांकन के लिए भी लागू होगा।

(ख)आंतरिक मूल्यांकन अर्थात् सतत समग्र मूल्यांकन (सी0सी0ई0) विश्वविद्यालय/शिक्षण—विभाग/महाविद्यालय स्तर पर होगा।

85—(क) यदि कोई अभ्यर्थी किसी पाठ्यक्रम में बाह्य या आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह उसी परीक्षा में अगले वर्ष पुनः सम्मिलित हो सकता/सकती है। उदाहरणार्थ, प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी आगामी समूह (बैच) के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ संबंधित परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा।

(ख) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप सम्बंधित विभागाध्यक्ष/महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा घोषित कार्य—योजना के अनुसार अभ्यर्थी आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा।

(ग) कोई छात्र, जिसने किसी सेमेस्टर में प्रवेश लिया है, परंतु उस सेमेस्टर परीक्षा का परीक्षा—प्रपत्र (फार्म) भरने में असफल रहता है अथवा अल्प उपस्थिति या किसी अन्य कारण से परीक्षा से विवर्जित किया जाता है अथवा किसी सेमेस्टर की बाह्य परीक्षाओं के समस्त पाठ्यक्रमों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब उसे नए सिरे से पुनर्प्रवेश लेना होगा और सम्बंधित सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर में संस्थागत प्रवेश एवं पुनर्प्रवेश आगामी विषम सेमेस्टर में अनुज्ञात होगा और द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ एवं अष्टम सेमेस्टर में संस्थागत प्रवेश और पुनः प्रवेश आगामी लागू सम सेमेस्टर में अनुज्ञात होगा। प्रत्येक छात्र को समस्त आठों सेमेस्टर बी0पी0ए0 पाठ्यक्रम में उसके प्रवेश के सत्र से अधिकतम छह वर्षों के भीतर उत्तीर्ण करना होगा।

86—अभ्यर्थी को किसी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तभी मिलेगी, जब विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उसकी उपस्थिति होगी।

87—अभ्यर्थी को श्रेणी समस्त आठों सेमेस्टर की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के पश्चात् दी जाएगी।

88—यदि किसी अभ्यर्थी के पिछले सेमेस्टर (सेमेस्टरों) का बैक पेपर है और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा तक उसे उत्तीर्ण नहीं किया है, तो उस के अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया जाएगा, परंतु सम्बंधित अभ्यर्थी के अवशिष्ट कार्य (बैक लॉग) का विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। सम्बंधित अभ्यर्थी का तत्संबंधी सी0जी0पी0ए0 प्रतिशत, श्रेणी एवं ग्रेड की गणना नहीं की जाएगी और अंकसूची में परिणाम के रूप में ''पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ'' उल्लिखित किया जाएगा।

89—इस अध्यादेश के अधीन ग्रेड—सुधार का कोई उपबंध नहीं होगा।

90—इस पाठ्यक्रम में ग्रेस अंक नहीं दिए जाएंगे।

91—पुनर्मूल्यांकन की अनुमति सेमेस्टर परीक्षा के केवल दो लिखित प्रश्न-पत्रों में ही दी जाएगी और विश्वविद्यालय—नियमों के अनुसार होगी।

92—केवल उन्हीं छात्रों पर प्रावीण्य—सूची के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने आंतरिक मूल्यांकन सहित अपनी समस्त सेमेस्टर परीक्षाएँ निरंतर एक ही बार में बिना किसी बैक/छोड़े/रुके आदि उत्तीर्ण कर ली हैं।

93—प्रवेश, उपस्थिति, परीक्षा या अन्य ऐसे मामले जो इस अध्यादेश के अधीन आच्छादित नहीं हैं, विश्वविद्यालय के अन्य सुसंगत अध्यादेश से शासित होंगे।

94—किसी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा परिषद् का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्यादेश संख्या–9

मास्टर ऑफ परफार्मिंग आर्ट्स (एम0पी0ए0)

(सेमेस्टर प्रणाली)

95–अध्यादेश भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के समस्त सम्बंधित विभागों और इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अधीन संबद्ध महाविद्यालयों पर लागू होगा।

96–मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स विकल्प आधारित पाठ्यक्रमांश प्रणाली (च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) (सी0बी0सी0एस0) पर आधारित होगा एवं चार सेमेस्टर तक चलेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में दो सैद्धातिक एवं दो प्रायोगिक परीक्षाएँ (मौखिक एवं रंगमंच अभनिय) होंगी, जिन्हें प्रत्येक सेमेस्टर के अंत तक पूरा किया जायेगा।

97–पात्रता,–

अभ्यर्थी, जिसने इस विश्वविद्यालय की बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (बी0पी0ए0) उपाधि प्राप्त की हो अथवा किसी अन्य सांविधिक/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सम्बंधित विषय में चार वर्षीय/आठ सेमेस्टर की स्नातक उपाधि संबंधित विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक या समतुल्य सी0जी0पी0ए0 और 50 प्रतिशत अंक या समतुल्य ग्रेड प्वाइंट प्राप्त किया हो या सम्बंधित विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, एम0पी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र होगा।

98–उपर्युक्त से भन्नि, अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यू0टी0डी0)/उसके संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा आयोजित अभिक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

99–प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों का विनिश्चय विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

100–इस प्रकार प्रवेश–प्राप्त प्रत्येक अभ्यर्थी चारों सेमेस्टरों में विहित पाठ्यक्रम का आनुक्रमिकता से अध्ययन करेगा। मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की उपाधि उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिन्होंने समस्त चारों सेमेस्टरों में प्रत्येक पाठ्यक्रम की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में पृथक–पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक या समतुल्य ग्रेड पॉइंट प्राप्त किए हैं। सफल परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय–नियमों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त क्रेडिट पर आधारित ग्रेड दिया जाएगा।

101–अभ्यर्थी को इस विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के अध्ययन के साथ अन्य किसी उपाधि–पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

102–परीक्षा का पाठ्यक्रम पृथक से प्रकाशित किया जाएगा।

103–सम्बंधित विभागों के अध्यक्ष/महाविद्यालयों के प्राचार्य आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का अभिलेख रखेंगे और प्रत्येक सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व परीक्षा अनुभाग को अग्रेषित करेंगे।

104–प्रत्येक सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाएगी और उसमें पाठ्यक्रम की अपेक्षानुसार सैद्धांतिक/प्रायोगिक परीक्षा समाविष्ट होगी, जबकि आंतरिक मूल्यांकन यू0टी0डी0 के सम्बंधित विभागों, महाविद्यालयों द्वारा किया जाएगा।

105–यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम में प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह सम्बंधित परीक्षा में अगले विषमांक सेमेस्टर में पुनः सम्मिलित हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई अभ्यर्थी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह सम्बंधित परीक्षा में अगले समांक सेमेस्टर में पुनः सम्मिलित हो सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा प्रपत्र (फॉर्म) भरना होगा और अपेक्षित फीस जमा करनी होगी।

106–अभ्यर्थी को किसी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा तभी दी जाएगी, जब उसकी उपस्थिति विश्वविद्यालय–नियमों के अनुरूप हो।

107–वह छात्र, जिसने किसी सेमेस्टर में प्रवेश लिया है, परंतु उस सेमेस्टर परीक्षा का परीक्षा–प्रपत्र (फॉर्म) नहीं भर पाता है अथवा अल्प उपस्थिति के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से परीक्षा से विवर्जित किया जाता है अथवा किसी सेमेस्टर की बाह्य परीक्षा के समस्त पाठ्यक्रमों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे नए सिरे से सम्बंधित सेमेस्टर में पुनर्प्रवेश लेना होगा और उस परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में संस्थागत प्रवेश एवं पुनर्प्रवेश आगामी लागू विषम सेमेस्टर में अनुज्ञात होगा एवं द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में संस्थागत एवं पुनर्प्रवेश आगामी लागू सम सेमेस्टर में अनुज्ञात होगा। प्रत्येक छात्र को चारों सेमेस्टरों को एम0पी0ए0 पाठ्यक्रम में उसके प्रथम प्रवेश के सत्र से अधिकतम चार वर्ष की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करना होगा।

108–सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में 30 प्रतिशत आंतरिक एवं 70 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन होगा।

109–पुनर्मूल्यांकन का उपबंध केवल बाह्य सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय–नियमों के अनुसार होगा।

110–अभ्यर्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए किए गए प्रयत्नों को सम्बंधित सेमेस्टर समाप्ति की अंकसूची में उपदर्शित किया जाएगा किन्तु अंतिम अंकसूची में नही उपदर्शित किया जाएगा।

111–सभी विषयों में परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर घोषित तिथियों को आयोजित की जाएगी।

112–इस पाठ्यक्रम में श्रेणी–सुधार का कोई उपबंध नहीं होगा ।

113–अभ्यर्थी को ग्रेड केवल समस्त चारों सेमेस्टरों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दिया जाएगा।

114–यदि किसी अभ्यर्थी के पिछले सेमेस्टर (सेमेस्टरों) का बैक पेपर है और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा तक उसे उत्तीर्ण नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उसके अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित किया जाएगा, परंतु सम्बंधित अभ्यर्थी के बैक लॉग का विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। सम्बंधति अभ्यर्थी का तत्संबंधी सी0जी0पी0ए0, प्रतिशत, श्रेणी व ग्रेड की गणना नहीं की जाएगी और अंकसूची में ''पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ'' उल्लिखित किया जाएगा।

115–प्रावीण्य सूची में केवल उन्हीं छात्रों का समावेश होगा, जिन्होंने समस्त सेमेस्टरों को प्रथम प्रयास में ही बिना रुके उत्तीर्ण किया है। प्रावीण्य–सूची केवल सी0जी0पी0ए0 के आधार पर ही तैयार की जाएगी।

116–इस पाठ्यक्रम में ग्रेस अंक का कोई उपबंध नहीं होगा।

117–प्रवेश, उपस्थिति, परीक्षा अथवा ऐसे अन्य प्रकरण, जो इस अध्यादेश के अधीन आच्छादित नहीं हैं, इस विश्वविद्यालय के सुसंगत अध्यादेशों से शासित होंगे।

118–किसी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय की परीक्षा–समिति का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अध्यादेश संख्या–10

बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स (बी0वी0ए0)

चित्रकला

पाठ्यक्रम की संरचना

119–''आधारभूत–पाठ्यक्रम'' के नाम से एक वर्षीय (दो सेमेस्टर) एक सामान्य पाठ्यक्रम होगा, जो अनिवार्य होगा और बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स (चित्रकला) में नामांकन हेतु उसमें अर्हित होना पूर्वापेक्षित होगा।

120–उपर्युक्त क्षेत्रों में विशिष्टीकरण – पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय (छह सेमेस्टर) अवधि के होंगे। स्नातक पाठ्यक्रम के अधीन पूर्ण अवधि चार वर्ष (आठ सेमेस्टर) होगी, जिसमें आधारभूत– पाठ्यक्रम का एक वर्ष (दो सेमेस्टर) सम्मिलित होगा। बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट (बी0वी0ए0) चयन आधारित पाठ्यक्रमांश प्रणाली (च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सी0बी0सी0एस0) पर आधारित संस्थागत पाठ्यक्रम होगा।

121–आधारभूत–पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट या 10+2 परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा होगी।

सामान्य नीति

122–इन पाठ्यक्रमों के अध्ययन की अवधि के दौरान छात्र को प्रचुरता से भारतीय कला और संस्कृति के विभिन्न पक्षों से अभिदर्शित होंगे।

123–छात्रों को समालोचनात्मक एवं विवेकशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हें कला के प्रति व्यक्तिगत उपागम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

124–छात्रों को प्रायोगिक असाइनमेंट के माध्यम से अकादमिक श्रेष्ठता के अलावा समुचित व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। संग्रहालय, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और अन्य उपयुक्त स्थानों का भ्रमण छात्रों में अन्वेषण की भावना विकसित करने, कला एवं शिल्प के शास्त्रीय कार्यों से घनिष्ठता एवं सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं एवं स्थलों से परिचय के लिए किया जाएगा।

प्रवेश

125–छात्रों को प्रवेश अभिक्षमता/प्रवेश–परीक्षा या सी0यू0ई0टी0 के आधार पर दिया जाएगा।

126–प्रवेश/अभिक्षमता परीक्षा की परिकल्पना विश्वविद्यालय विभाग अथवा सम्बंधित महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी में निम्नलिखित विशेषताओं की जांच करने की दृष्टि से की जाएगीः–

(क) अभिक्षमता–स्थानीय योग्यता, प्राकृतिक उपहार;

(ख) अभिरुचि–विषयों के प्रति अभिक्षमता, अभिरूचि और व्यक्तिगत जीवन–दर्शन;

(ग) व्यक्तित्व–मनोवैज्ञानिक चरित्र के लिए;

(घ) बौद्धिक क्षमता–आत्म अभिव्यक्ति, दृश्य, जागरुकता और व्यक्तिवाद (मौखिक)।

127–अध्यादेश विश्वविद्यालय के समस्त सम्बंधित विभागों और विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अधीन सम्बद्ध महाविद्यालयों पर लागू होगा।

128–प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सीटों की कुल संख्या विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चय की जाएगी।

129–इन पाठ्यक्रमों की फीस संरचना का विनिश्चय विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

130–प्रथम, तृतीय, पंचम और सप्तम सेमेस्टर राज्य सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार जून माह में प्रारंभ होंगे। इसी तरह, द्वितीय चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम सेमेस्टर दिसंबर माह में प्रारम्भ होंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा जब और जैसे अपेक्षित हो, परिवर्तित किये जा सकेंगे।

131–प्रत्येक सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाएगी और उसमें पाठ्यक्रम की अपेक्षा के अनुरुप सैद्धांतिक/प्रायोगिक परीक्षा भी शामिल होगी, जबकि आंतरिक मूल्यांकन यू0टी0डी0 के सम्बंधित विभाग/महाविद्यालयों द्वारा किया जाएगा।

132–प्रत्येक प्रश्न-पत्र (प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक) की बाह्य परीक्षा के लिए 70 प्रतिशत अंक तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक होंगे।

133–सम्बंधित विभागाध्यक्ष/महाविद्यालयों के प्राचार्य आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का अभिलेख रखेंगे और उसे परीक्षा–अनुभाग को प्रत्येक सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के पूर्व अग्रेषित करेंगे।

(क) सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी से प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक और प्रायोगिक में 40 प्रतिशत अंक अलग–अलग प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(ख) आंतरिक मूल्यांकन, अर्थात् सतत समग्र मूल्यांकन (सीसीई) विश्वविद्यालय शिक्षण–विभाग/महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा।

134–(क) यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा के बाह्य अथवा आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह उसी में पुनः सम्मिलित होगा, उदाहरणार्थ, प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी सम्बंधित परीक्षा में आगामी बैच के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के साथ, अर्थात् अगले साल, पुनः सम्मिलित होगा।

(ख) अभ्यर्थी सम्बंधित विभागाध्यक्ष/महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा घोषित अनुसूची के अनुरूप विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होने हेतु पात्र होगा।

135–अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा तभी मिलेगी, जब वह इस विश्वविद्यालय के उपस्थिति–मानदंड को पूरा करें।

136–चयन आधारित पाठ्यक्रमांश प्रणाली (च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) का ढाँचा बी0वी0ए0 पाठ्यक्रम के अधीन विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नीचे उल्लिखित हैः–

एक–चित्रकला

137–अभ्यर्थी को ग्रेड समस्त आठों सेमेस्टरों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दिया जाएगा। एस0जी0पी0ए0 (सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज) और सी0जी0पी0ए0 (क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज) की गणना परिशिष्ट– '3' के अनुसार की जाएगी।

138–इस अध्यादेश के अधीन ग्रेड–सुधार का कोई उपबंध नहीं होगा।

139–प्रावीण्य–सूची के लिए केवल उन्हीं छात्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने आंतरिक मूल्यांकन सहित अपनी समस्त संबंधित सेमेस्टर परीक्षाओं को बिना रुके निरंतर एक ही बार में बिना किसी बैक/छोड़े/रूके आदि के उत्तीर्ण कर लिया हो ।

140–अभ्यर्थी को स्नातक उपाधि के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को उसके सम्बंधित पाठ्यक्रम में प्रथम प्रवेश के सत्र से अधिकतम छह वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।

141–प्रवेश, उपस्थिति, परीक्षा से सम्बंधित प्रकरण अथवा ऐसे अन्य प्रकरण, जो जिन्हें इस अध्यादेश के अधीन आच्छादित नहीं है, विश्वविद्यालय के अन्य सुसंगत अध्यादेश से शासित होंगे।

142–किसी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा–समिति का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्यादेश संख्या–11

कला स्नातक (बी0ए0)
(सेमेस्टर प्रणाली)

143–यह अध्यादेश विश्वविद्यालय के समस्त सम्बंधित विभागों और विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अधीन सम्बद्ध महाविद्यालयों पर लागू होगा।

144–बी0ए0 पाठ्यक्रम एक नियमित पाठ्यक्रम होगा और आठ सेमेस्टर में विभाजित होगा, अर्थात् प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, और अष्टम सेमेस्टर। पाठ्यक्रम चयन आधारित पाठ्यक्रमांश प्रणाली (च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) पर आधारित होगा।

145–इस पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को यू0पी0 बोर्ड या सी0बी0एस0ई0 की हायर सेकेंडरी परीक्षा (10+2) या अपने सम्बंधित राज्य या देश के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करनी होगी।

146–प्रथम, तृतीय, पंचम, एवं सप्तम सेमेस्टर अनंतिम रूप से राज्य शासन द्वारा घोषित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार दिसम्बर माह में प्रारंभ होंगे। इसी प्रकार द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ और अष्टम सेमेस्टर जून माह में प्रारंभ होंगे, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

147–प्रत्येक सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाएगी और उसमें पाठ्यक्रमानुसार सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित होगी, जबकि आंतरिक मूल्यांकन सम्बंधित विभागों अथवा महाविद्यालयों द्वारा किया जाएगा।

148–प्रत्येक प्रश्न-पत्र–सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के बाहय मूल्यांकन के लिए 70 प्रतिशत अंक और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक होंगे।

149–इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रस्तावित सभी विषयों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है, अर्थात् मुख्य दो विषय और एक गौण विषय–जिसमें से एक गौण विषय एक प्रश्न-पत्र वैकल्पिक होगा।

150–बी0ए0 पाठ्यक्रम चयन आधारित पाठ्यक्रमांश प्रणाली (च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) पर आधारित होगा। पाठ्यक्रमांश (क्रेडिट) की रूपरेखा परिशिष्ट 4 और 5 में दी गई है।

151–सम्बंधित विभागों के प्रमुख/संस्थान के निदेशक आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का अभिलेख रखेंगे और उसे परीक्षा प्रभाग को प्रत्येक सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व प्रेषति करेंगे।

152–(क) सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अलग–अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यह नियम आंतरिक मूल्यांकन पर भी लागू होगा।

(ख) प्रविष्ट विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन एक सेमेस्टर में दो बार होगा, जो समग्र मूल्यांकन (सी0सी0ई0) के साथ होगा, अर्थात् सेमेस्टर परीक्षा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय स्तर पर होगी।

153–(क) यदि कोई अभ्यर्थी किसी पाठ्यक्रम के बाह्य या आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो वह अगले वर्ष उसी परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है। उदाहरणार्थ, कोई छात्र जो प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गया है वह अगले समूह (बैच) के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के साथ सम्बंधित परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा।

(ख) अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सम्बंधित विभाग के प्रमुख/संस्थान के निदेशक द्वारा घोषित कार्य, योजना के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

(ग) यदि कोई छात्र किसी सेमेस्टर में प्रवेश लेता है, परंतु उस सेमेस्टर का परीक्षा आवेदन प्रपत्र (फार्म) भरने में असफल रहता है, अथवा अल्प उपस्थिति या किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया जाता है अथवा अन्य कारणों से अथवा सेमेस्टर की बाह्य परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसे पुनः प्रवेश लेना होगा और सम्बंधित सेमेस्टर की उस परीक्षा में नए सिरे से सम्मिलित होना होगा। प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश और पुनर्प्रवेश की अनुमति अगले विषम सेमेस्टर में और द्वितीय,

चतुर्थ, और अष्टम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश एवं पुनर्प्रवेश की अनुमति अगले लागू होने वाले सम सेमेस्टर में होगी। प्रत्येक छात्र को बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के सत्र से अधिकतम छह वर्ष की अवधि में सभी सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना होगा।

154–अभ्यर्थी को किसी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तभी मिलेगी, जब उसकी उपस्थिति विश्वविद्यालय नियमों के अनुरूप होगी।

155–अभ्यर्थी को श्रेणी (ग्रेड) तभी प्रदान की जाएगी, जब वह आठों सेमेस्टरों की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा।

156–यदि किसी अभ्यर्थी के पिछले सेमेस्टर (सेमेस्टरों) का रुका हुआ पेपर (बैक पेपर) है और अंतिम परीक्षा तक उसे उत्तीर्ण नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उसके अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित तो किया जाएगा, परंतु सम्बंधित अभ्यर्थी के अवशिष्ट (बैक लॉग) कार्य का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी के तत्संबंधी सी0जी0पी0ए0, प्रतिशत, श्रेणी व ग्रेड की गणना नहीं की जाएगी और ''पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ'' (प्रोग्राम नॉट कंप्लीटेड) अंकसूची में अंकित किया जाएगा।

157–परिशिष्ट में परीक्षा (प्रश्न-पत्रों) की योजना भी उल्लिखित है।

158–इस अध्यादेश के अधीन श्रेणी ग्रेड– सुधार का कोई उपबंध नहीं है।

159–इस पाठ्यक्रम में कृपांक (ग्रेस मार्क्स) नहीं दिया जाएगा।

160–पुनर्मूल्यांकन की अनुमति सेमेस्टर परीक्षा के केवल दो लिखित प्रश्न-पत्रों में दी जाएगी और विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार होगी।

161–योग्यता सूची के लिए उन्हीं छात्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने अपनी सम्बंधित सभी सेमेस्टर परीक्षाओं–आंतरिक मूल्यांकन सहित–को एक ही प्रयास में बिना रुके बिना किसी बैक/ड्रॉप/ब्रेक के उत्तीर्ण किया हो।

162–प्रवेश, उपस्थिति, परीक्षा अथवा ऐसे अन्य कोई प्रकरण जो इस अध्यादेश के अधीन आच्छादित नहीं हैं, विश्वविद्यालय के अन्य सुसंगत अध्यादेश से शासित होंगे।

163–किसी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय की परीक्षा परिषद् का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अध्यादेश संख्या–12

प्रवेशिका परीक्षा (संगीत एवं नृत्य)

164– (एक) विश्वविद्यालय के प्रवेशिका पाठ्यक्रम के लिए दो परीक्षाएँ होंगी,–

(एक) प्रवेशिका–I

(दो) प्रवेशिका– II

(दो) प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

165– प्रति वर्ष यह परीक्षा उस दिनांक को ली जाएगी, जैसा कि इस निमित्त परीक्षा समिति द्वारा यह नियत किया जाये, उक्त दिनांक सामान्यतः परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम दो माह पहले अधिसूचित किया जायेगा।

166–विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीनः

प्रवेशिका–I में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को कम से कम विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिकशाला प्रमाण-पत्र परीक्षा के अधीन चौथी कक्षा उत्तीर्ण करना होगा; और

प्रवेशिका–II में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को इस अध्यादेश के अधीन प्रवेशिका की भाग–। परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

167–परीक्षा के लिए अध्ययन – पाठ्यक्रम में अथवा प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति में कमी की छूट सुसंगत अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार दी जा सकती है।

168–प्रवेशिका–I एवं II की परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा निम्नांकित विषयों में से किसी में भी ली जाएगी, नामशः –

(एक) गायन (हिंदुस्तानी)

अथवा

(दो) नृत्य (कथक)/भरतनाट्यम/मणिपुरी)

अथवा

(तीन) निम्नांकित शाखाओं में से किसी भी वाद्य संगीत में, नामशः

(क)	सितार	(ख)	सरोद
(ग)	वायलिन	(घ)	सारंगी
(ङ)	गिटार	(च)	बाँसुरी

(चार) तालवाद्य संगीत की किसी भी शाखा में, नामशः

(छ)	तबला	(ज)	पखावज

169– (एक) परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्रपत्र में कुलसचिव को इस निमित्त विहित समय के भीतर अवश्य पहुँचेगा।

(दो) आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विहित शुल्क भी होगा।

170–विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के प्रमुख अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य की सूचना पर, अथवा अन्य प्रकार से, कार्यपरिषद किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर परीक्षा में प्रवेश को अमान्य कर सकती है या उससे निष्कासित कर सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। ऐसे निष्कासन के कारण अभिलिखित किए जाएँगे।

171–प्रश्न-पत्र और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये विहित अधिकतम और न्यूनतम अंकों का विस्तृत विवरण अनुच्छेद–17 में है।

172–(एक) परीक्षा में सफल होने के लिये सैद्धान्तिक और प्रायोगिक परीक्षा में पृथक–पृथक न्यूनतम अंको को अनुच्छेद–17 में निर्धारित किया गया है।

(दो) कुल अंक के 60 प्रतिशत या अधिक पाने वाले सफल परीक्षार्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जायेगा, जिन्होंने कुल अंक में से 60 प्रतिशत से कम परन्तु अन्यून 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, उन्हें द्वितीय श्रेणी में रखा जायेगा और कुल अंक के 45 प्रतिशत से कम परन्तु अन्यून 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अन्य सफल परीक्षार्थियों को तृतीय श्रेणी में रखा जायेगा।

(तीन) ऐसे परीक्षार्थी जो उपर्युक्तानुसार अंक प्राप्त करने में असफल हो गये हों, परन्तु इस अध्यादेश के पैरा–173 में यथाविहित न्यूनतम अंक की छूट दी जाती है, उन्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा और उनकी पात्रता के अनुसार उस श्रेणी में रखा जायेगाः

परन्तु यह है कि उन परीक्षार्थियों को, जिन्हें कुल अंक को बढ़ाने के लिये कृपांक दिया गया है, कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

(चार) सैद्धान्तिक अथवा प्रायोगिक परीक्षा में कुल अंक के 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को ''उत्कृष्ट'' (डिस्टिंक्शन) घोषित किया जायेगा।

173–(एक) इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुल अंक में या एक विषय में एक अंक से अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के प्रकरण में कमी को छूट दी जाएगीः

परन्तु यह कि इस पैरा के प्रयोजनार्थ संगीत की प्रायोगिक परीक्षा को एक विषय माना जाएगा, दो विषयों में कृपांक नहीं दिया जाएगा। कुल अंक को बढ़ाने के लिए कृपांक पाने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।

(दो) यदि कोई अभ्यर्थी इस पैरा के उप–पैरा (एक) का लाभ लिए बिना परीक्षक के अंकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, परंतु प्रथम या द्वितीय श्रेणी एक अंक से चूकता है, केवल उसके कुल अंक को एक अंक से बढ़ाया जाएगा, जिससे वह प्रथम या द्वितीय श्रेणी, जैसी स्थिति हो, के लिए पात्रता रख सके।

(तीन) ये अतिरिक्त अंक अंक पत्र में पृथक रूप से दर्शाए जाएंगे।

(चार) किसी भी परीक्षा की योग्यता सूची में अभ्यर्थी का स्थान उसके द्वारा परीक्षकों से प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित किया जाएगा।

(पांच) अंकों में कमी की छूट से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को योग्यता–सूची में नहीं रखा जाएगा।

174–परीक्षा का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

175–परीक्षा के बाद यथासंभव शीघ्र कार्यपरिषद् परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पास श्रेणियों में प्रकाशित करेगी। प्रथम श्रेणी में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के नाम योग्यता–क्रम में रखे जाएँगे।

176–निम्नांकित में से प्रत्येक की योग्यता –सूची पृथक–पृथक होगी, नामशः –

(1) गायन;

(2) वाद्य संगीत (समस्त शाखाओं को एक साथ मिलाकर);

(3) तालवाद्य (समस्त शाखाओं को एक साथ मिलाकर);

(4) कथक नृत्य;

(5) भरतनाट्यम् नृत्य;

(6) मणिपुरी नृत्य।

177–सफल परीक्षार्थी परीक्षा समिति द्वारा विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

178–प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न-पत्र और अधिकतम एवं न्यूनतम अंक परिशिष्ट–6 में दिये अनुसार होंगे।

अध्यादेश संख्या–13

परिचय परीक्षा (संगीत एवं नृत्य)

179–(एक) परिचय की दो परीक्षाएँ होगी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, नामशः –

(क) परिचय भाग –I परीक्षा

(ख) परिचय भाग –II परीक्षा

(दो) प्रत्येक भाग की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष रहेगी।

180–परीक्षा, प्रति वर्ष ऐसी तिथि को होगी, जैसा कि इस संदर्भ में परीक्षा समिति द्वारा तय की जाएगी, उक्त तिथि सामान्यतः परीक्षा प्रारंभ होने के दो माह पूर्व अधिसूचित की जाएगी।

181–विश्वविद्यालय के अध्यादेशों और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन के अध्यधीन पैरा 183 में यथाउल्लिखित व्यक्ति, परिचय भाग–। की परीक्षा में प्रविष्ट होने के पात्र होंगे।

182–परिचय भाग–। एवं परिचय भाग–।। की परीक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी निम्नांकित परीक्षा एक शैक्षणिक वर्ष (उससे कम नहीं) पहले उत्तीर्ण कर चुका हो, नामशः –

(1) परिचय भाग– ।

विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा और विश्वविद्यालय द्वारा मान्य प्राथमिक शाला प्रमाण–पत्र परीक्षा के अंतर्गत छठी कक्षा अथवा आवेदित विषय के साथ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

(2) परिचय भाग– ।।

विश्वविद्यालय के इस अध्यादेश के अधीन परिचय की भाग–I परीक्षा ।

183–प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा परिचय भाग–। अथवा परिचय भाग–।। के लिए निम्नांकित विषयों में होगीः–

(एक) गायन (हिंदुस्तानी)

अथवा

(दो) नृत्य (कथक/भरतनाट्यम/मणिपुरी)

अथवा

(तीन) वाद्य संगीत –निम्नांकित किसी भी एक शाखा में, नामशः –

(क) सितार (ख) सरोद

(ग) वायलिन (घ) सारंगी

(ङ) गिटार (च) बाँसुरी

(चार) तालवाद्य संगीत–निम्नांकित किसी भी एक शाखा में, नामशः –

(छ) तबला (ज) पखावज

184—छात्रों को इस अध्यादेश के पैरा 182 में उल्लिखित संगीत में अंतिम अर्हकारी परीक्षा में लिए गए मुख्य विषय के आधार पर पैरा 183 में से किसी एक विषय को परिचय के लिए चुनना होगा।

185—(एक) परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्रपत्र में होगा और इस संबंध में यथा निर्धारित समय में कुलसचिव के पास पहुंचना होगा।

(दो) इस पाठ्यक्रम से सम्बंधित लागू होने वाले सभी शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएँगे।

186—शिक्षण विभाग अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य की सूचना पर या अन्य किसी प्रकार से कार्य परिषद् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर परीक्षा में प्रवेश के लिए अमान्य कर सकती है या उसे निष्कासित कर सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अभ्यर्थी उसमें प्रवेश के लिए उचित व्यक्ति नहीं है। ऐसे निष्कासन का कारण अभिलिखित किये जाएंगे।

187—प्रश्न-पत्र की स्कीम, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अधिकतम और न्यूनतम अंक वही रहेंगे, जैसा कि पैरा—193 में दर्शाया गया है।

188—(एक) जैसा कि पैरा 193 में विहित किया गया है, परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में और कुल अंकों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।

(दो) कुल अंक के 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले सफल परीक्षार्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जायेगा, जिन्होंने कुल अंक के 60 प्रतिशत से कम परंतु अन्यून 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, इन्हें द्वितीय श्रेणी में रखा जायेगा और अन्य समस्त सफल परीक्षार्थी, जिन्होंने कुल अंक के 45 प्रतिशत से कम परन्तु अन्यून 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो, को तृतीय श्रेणी में रखा जायेगा।

(तीन) परिचय भाग—। परीक्षा में श्रेणी नहीं दी जाएगी ।

(चार) भाग—।। परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण करने के लिए परीक्षार्थी द्वारा भाग—1 परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी।

189—परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा पृथक् से प्रकाशित किया जाएगा।

190—परीक्षा के बाद यथासंभव शीघ्र कार्यपरिषद् क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगी, प्रथम श्रेणी में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को योग्यता —क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।

191—निम्नांकित में से प्रत्येक की योग्यता सूची अलग—अलग होगी, नामशः —

(एक) गायन;

(दो) वाद्य संगीत (सभी शाखाओं को समाहित करते हुए);

(तीन) तालवाद्य (सभी शाखाओं को समाहित करते हुए);

(चार) कथक नृत्य;

(पांच) भरतनाट्यम नृत्य;

(छह) मणिपुरी नृत्य।

192—सफल परीक्षार्थी संगीत एवं नृत्य संकाय में 'परिचय' नामक पत्रोपाधि (डिप्लोमा) विद्या परिषद् द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।

193—

परिचय— एक के लिए प्रश्न-पत्रों की कार्य योजना

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
1	सैद्धान्तिक—।	100	33	33%
2	प्रायोगिक	200	66	33%

परिचय— दो के लिए प्रश्न-पत्रों की कार्य योजना

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
1	सैद्धान्तिक—।	100	33	33%
2	प्रायोगिक	200	66	33%

अध्यादेश संख्या–14

प्रबुद्ध परीक्षा (संगीत एवं नृत्य)

194–(एक) प्रबुद्ध के लिए निम्नानुसार दो परीक्षाए होंगी, नामशः –

(क) प्रबुद्ध भाग–। परीक्षा

(ख) प्रबुद्ध भाग–।। परीक्षा

(दो) प्रत्येक भाग के पाठ्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

195–परीक्षाएँ प्रतिवर्ष ऐसी तिथियों में होगी, जैसा कि विद्यापरिषद् द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जाएगा, उक्त तिथि सामान्यतः परीक्षाएँ प्रारंभ होने के कम से कम तीन माह पूर्व अधिसूचित की जाएँगी।

196–पूर्व एवं अंतिम परीक्षा में प्रवेशार्थी अभ्यर्थी को निम्नांकित परीक्षा, जो एक शैक्षणिक वर्ष (उससे कम नहीं) पहले उत्तीर्ण करनी होगी, नामशः –

(एक) भाग–। परीक्षा

विश्वविद्यालय की परिचय परीक्षा अथवा कोई परीक्षा जो समकक्ष मान्य हो और विश्वविद्यालय द्वारा मान्य प्राथमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा के अधीन आठवीं कक्षा अथवा आवेदित विषय के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

(दो) भाग–।। परीक्षा

विश्वविद्यालय की प्रबुद्ध भाग–। परीक्षा।

197–अध्ययन–पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए अथवा प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति की कमी को अध्यादेश के अनुसार छूट दी जा सकती है।

198–प्रबुद्ध भाग–। एवं ।। परीक्षा के लिए परीक्षार्थी की किसी में परीक्षा निम्नांकित विषयों में से किसी में होगी, नामशः –

(क) गायन

अथवा

(ख) नृत्य (कथक/भरतनाट्यम/मणिपुरी)

अथवा

(ग) वाद्य संगीत निम्नांकित किसी भी शाखा में, नामशः –

(क) सितार (ख) सरोद

(ग) वायलिन (घ) सारंगी

(ङ) गिटार (च) बाँसुरी

(घ) तालवाद्य संगीत – निम्नांकित में से किसी भी शाखा में :–

(छ) तबला (ज) पखावज

199–विद्यार्थी उपरिलिखित विषयों में से वही विषय लेंगे, जो उन्होंने संगीत या नृत्य में जैसी भी स्थिति हो अंतिम अर्हकारी परीक्षा में लिया हो।

200–(एक) प्रत्येक परीक्षा–प्रवेश–आवेदन विहित प्रपत्र में होगा और इस संबंध में विहित समय– सीमा में कुलसचिव के पास पहुँचना होगा।

(दो) आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विहित परीक्षा–शुल्क होगा।

201–शिक्षण विभाग के प्रमुख अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य से अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सूचना पर कार्य परिषद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी भी स्तर पर प्रवेश के लिए मना कर सकती है या निष्कासित कर सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अभ्यर्थी उसमें प्रवेश के योग्य व्यक्ति नहीं है। निष्कासन का कारण अभिलिखित किये जाएंगे।

202–प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र, उसके लिए प्रत्येक सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम अंक पैरा–209 में दिए गए विवरण के अनुसार होंगे।

203–(एक) परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षार्थी पैरा–209 में दर्शाए गये न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त नहीं करेगा और कुल अंक 33 प्रतिशत से कम नहीं होंगे।

(दो) कुल अंक के 60 प्रतिशत या अधिक पाने वाले सफल परीक्षार्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जायेगा, जिन्होंने कुल अंक के 60 प्रतिशत से कम परंतु 45 प्रतिशत से कम नहीं प्राप्त करने वाले को द्वितीय श्रेणी में और अन्य समस्त सफल परीक्षार्थी, जिन्होंने 45 प्रतिशत से कम परंतु 33 प्रतिशत से कम अंक नहीं प्राप्त किए हैं, तृतीय श्रेणी में रखे जाएँगे।

(तीन) भाग–। परीक्षा में कोई श्रेणी नहीं दी जाएगी।

(चार) वे परीक्षार्थी, जिन्होंने उपरिलिखितानुसार अंक नहीं पाए है, परंतु इस अध्यादेश के पैरा–204 में निर्धारित न्यूनतम अंक में छूट दी जाती है, उत्तीर्ण घोषित किए जाएँगे और उनकी पात्रता के अनुसार उस श्रेणी में रखा जाएगाः

परंतु यह कि उस स्थिति में, जिस में परीक्षार्थी को कुल अंक बढ़ाने के लिए कृपांक दिए गए हों, कोई श्रेणी नहीं दी जाएगी।

(पांच) सैद्धांतिक विषय या प्रायोगिक परीक्षा में कुल अंक के न्यूनतम 75 प्रतिशत पाने वाले परीक्षार्थी को ''उत्कृष्ट'' (डिस्टिंक्शन) घोषित किया जाएगा ।

204–(एक) इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सैद्धान्तिक (लिखित) या प्रायोगिक में कुल अकों में 2 अंकों की कमी को छूट दी जाएगी।

(दो) यदि कोई अभ्यर्थी इस अनुच्छेद के उप–पैरा–(एक) के लाभ के बिना, परीक्षकों से प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण करता है, परंतु एक अंक से श्रेणी पाने में चूक जाता उस कुल अंक को एक अंक से बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रथम या द्वितीय श्रेणी में, जैसी भी स्थिति हो, उसकी पात्रता हो सके। यह अतिरिक्त अंक अंक–सूची में अलग से दर्शाया जाएगा।

(तीन) अंकों में कमी की छूट के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी को योग्यता–सूची में स्थान नहीं दिया जायेगा।

205–परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को विवरण–पत्रिका में अलग से प्रकाशित किया जाएगा।

206–परीक्षा के बाद यथाशीघ्र कार्यपरिषद् क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में सफल परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगी, प्रथम श्रेणी में प्रथम तीन स्थान पाने वाले परीक्षार्थियों को गुणानुक्रम से रखा जाएगा।

207–निम्नांकित में से प्रत्येक की योग्यता–सूची अलग से होगी, नामशः –

(1) गायन;
(2) वाद्य संगीत (समस्त शाखाओं को समाहित करते हुए);
(3) तालवाद्य (समस्त शाखाओं को समाहित करते हुए);
(4) कथक नृत्य;
(5) भरतनाट्यम नृत्य;
(6) मणिपुरी नृत्य।

208–सफल परीक्षार्थी संगीत एवं नृत्य संकाय में विद्या परिषद् द्वारा विहित प्रपत्र में ''प्रबुद्ध'' नामक पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्राप्त करेगा।

209–

प्रबुद्ध–एक के प्रश्न-पत्रों की कार्य–योजना

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
1	सैद्धान्तिक–एक	100	33	33%
2	सैद्धान्तिक–दो	100	33	33%
3	आंतरिक मूल्यांकन	40	15	33%
4	प्रायोगिक	160	53	33%

प्रबुद्ध–दो के प्रश्न-पत्रों की कार्य–योजना

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
1	सैद्धान्तिक–I	100	33	33%
2	सैद्धान्तिक–II	100	33	33%
3	आंतरिक मूल्यांकन	40	15	33%
4	प्रायोगिक	160	53	33%

अध्यादेश संख्या–15

पारंगत परीक्षा (संगीत एवं नृत्य)

210–(एक) पारंगत की दो परीक्षाएँ निम्नानुसार होंगी, नामशः –

(क) पारंगत भाग–। परीक्षा

(ख) पारंगत भाग – ।। परीक्षा की अवधि

(दो) प्रत्येक भाग का पाठ्यक्रम एक शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा।

21–परीक्षा प्रति वर्ष ऐसी दिनांक को आयोजित होगी, जैसा कि परीक्षा समिति द्वारा इस सम्बंध में नियत की जाएगी, उक्त दिनांक सामान्यतः परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम दो माह पूर्व अधिसूचित की जाएगी।

212–पारंगत भाग–। और पारंगत भाग–।। की परीक्षा के प्रवेशार्थी अभ्यर्थी को कम से कम पहले निम्नांकित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी होगी, नामशः –

(1) पारंगत भाग–।

(एक) विश्वविद्यालय की प्रबुद्ध परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा और कक्षा 10 उत्तीर्ण।

(2) पारंगत भाग–।।

(दो) विश्वविद्यालय के इस अध्यादेश के अधीन पारंगत भाग–। की परीक्षा ।

213–भाग–। या भाग–।। परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा निम्नांकित विषयों में होगी, नामशः –

(एक) कंठ संगीत

अथवा

(दो) नृत्य (कथक/भरतनाट्यम/मणिपुरी)

अथवा

(तीन) वाद्य संगीत में–निम्नांकित में से किसी एक शाखा में, नामशः –

(क) सितार (ख) सरोद

(ग) वायलिन (घ) सारंगी

(ङ) गिटार (च) बाँसुरी

(चार) तालवाद्य संगीत–निम्नांकित में से किसी एक शाखा में :–

(छ) तबला (ज) पखावज

214–छात्र इस अध्यादेश के पैरा–212 में उल्लिखित संगीत में अंतिम अर्हता परीक्षा में प्रस्थापित मुख्य विषय के आधार पर पैरा–213 में से किसी एक विषय को पारंगत हेतु प्रस्थापित करेंगे।

215–(एक) परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्रपत्र में होगा और इस निमित्त में यथाविहित समय के भीतर कुलसचिव को पहुंच जायेगा।

(दो) इस पाठ्यक्रम से सम्बंधित समस्त लागू होने वाली फीस को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जायेगा।

216–शिक्षण–विभाग अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा अन्यथा की रिपोर्ट पर कार्यपरिषद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में किसी भी स्तर पर प्रवेश देने से मना कर सकेगी या अपवर्जित कर सकेगी, यदि उसे समाधान हो जाता है कि ऐसा अभ्यर्थी उसमें प्रवेश के योग्य व्यक्ति नहीं है। अपवर्जन का कारण अभिलिखित किया जाएगा।

217–प्रश्न-पत्र, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अधिकतम और न्यूनतम अंक पैरा 223 के अनुसार होंगे।

218–(एक) परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न-पत्र हेतु न्यूनतम अंक और कुल प्राप्तांक प्राप्त करने होंगे, जैसा कि पैरा–223 में विहित है।

(दो) कुल अंक के 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले सफल परीक्षार्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा, कुल अंक के 60 प्रतिशत से कम परंतु 45 प्रतिशत से अन्यून अंक पाने वालों को द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा, और अन्य सभी सफल परीक्षार्थियों को जिन्होंने कुल अंक के 45 प्रतिशत से कम किन्तु 33 प्रतिशत से कम अंक नहीं प्राप्त किए हैं, तृतीय श्रेणी में रखा जाएगा।

(तीन) भाग–एक परीक्षा में कोई श्रेणी प्रदान नहीं की जाएगी।

(चार) भाग–दो परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण करने के लिए परीक्षार्थी द्वारा भाग–एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का समावेश किया जाएगा।

219–परीक्षा–पाठ्यक्रम अलग से विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

220–परीक्षा के बाद यथाशीघ्र कार्यपरिषद् प्रथम श्रेणी में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के नाम को गुणानुक्रम में क्रमांकित करते हुए, परीक्षा में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में सफल परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगी।

221–योग्यता–सूची निम्नांकित में से प्रत्येक की अलग–अलग होगी, नामशः –

(एक) गायन;

(दो) वाद्य संगीत (समस्त शाखाओं को समाहित करते हुए);

(तीन) तालवाद्य (समस्त शाखाओं को समाहित करते हुए);

(चार) कथक नृत्य;

(पांच) भरतनाट्यम नृत्य;

(छः) मणिपुरी।

222–सफल परीक्षार्थी संगीत एवं नृत्य संकाय में विद्यापरिषद् द्वारा विहित प्रपत्र में 'पारंगत' नाम से पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्राप्त करेगा।

223–पारंगत–एक और पारंगत–दो के प्रश्न-पत्रों की स्कीम नीचे दी गयी तालिका के अनुसार होगी। (परिशिष्ट–9)

पारंगत–एक के प्रश्न-पत्रों की स्कीम

प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
सैद्धान्तिक–एक	100	33	33%
सैद्धान्तिक–दो	100	33	33%
प्रायोगिक			
प्रक्रम	80	26	33%
मौखिकी	160	53	33%
आंतरिक मूल्यांकन	60	20	33%

पारंगत–दो के प्रश्न-पत्रों की स्कीम

प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
सैद्धान्तिक–एक	100	33	33%
सैद्धान्तिक–दो	100	33	33%
प्रायोगिक			
प्रक्रम	80	26	33%
मौखिकी	160	53	33%
आंतरिक मूल्यांकन	60	20	33%

अध्यादेश संख्या–16

द्विवर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) परीक्षायें

224–(एक)विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम के लिए दो परीक्षाएँ होंगीः

भाग– एक

भाग–दो

(दो) प्रत्येक भाग एक शैक्षणिक वर्ष की अवधि तक विस्तृत होगा।

225–परीक्षा प्रतिवर्ष ऐसी दिनांक को आयोजित होगी, जैसा कि परीक्षा–समिति द्वारा इस सम्बंध में नियत की जाएगी। उक्त तिथि सामान्यतः परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम चार माह पूर्व अधिसूचित की जाएगी।

226–विश्वविद्यालय के अध्यादेश और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन के अध्यधीन प्रथमा परीक्षा में प्रवेश के लिए निम्नांकित व्यक्ति पात्रता रखेंगे, नामशः –

(एक) ठुमरी, दादरा और ध्रुपद, धमार में प्रवेश को छोड़कर भाग–एक में प्रवेशार्थी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शाला प्रमाण–पत्र परीक्षा के तहत कम से कम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण हो ।

(दो) ठुमरी, दादरा और ध्रुपद, धमार के लिए भाग–एक में प्रवेशार्थी अभ्यर्थी गायन में कम से कम प्रबुद्ध या इसके समकक्ष डिप्लोमा उत्तीर्ण हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त गायन को मुख्य विषय के रूप में लेकर स्नातक हो।

227–परीक्षा के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम में अथवा प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति की कमी को सम्बंधित अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार छूट दी जा सकती है।

228–भाग–एक एवं दो की परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की निम्नांकित विषयों में से किसी में भी परीक्षा ली जाएगी, नामशः –

(एक) सुगम संगीत

(दो) हारमोनियम/सिंथेसाइजर

(तीन) लोकनृत्य

(चार) ध्रुपद–धमार

(पांच) ठुमरी–दादरा

229–(एक) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्रपत्र में होगा और कुलसचिव को इस संबंध में विहित तिथि के अंतर्गत प्राप्त होगा।

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विहित शुल्क आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।

230–विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के प्रमुख अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त रिपोर्ट पर कार्यपरिषद् किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी भी प्रक्रम से मना कर सकती है या निष्कासित कर सकती है, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अभ्यर्थी उसमें प्रवेश के योग्य व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार किए गए निष्कासन का कारण अभिलिखित किया जाएगा।

231–प्रश्न-पत्रों एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विहित अधिकतम एवं न्यूनतम अंकों का विवरण पैरा–237 में है।

232–(एक) परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को अलग–अलग सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक में परिशिष्ट–क में विहित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।

(दो) कुल अंक के 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले सफल परीक्षार्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा, कुल अंक के 60 प्रतिशत से कम परंतु 45 प्रतिशत से अन्यून अंक पाने वालों को द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा, और अन्य सभी सफल परीक्षार्थियों को, जिन्होंने कुल अंक के 45 प्रतिशत से कम, तथा परंतु 35 प्रतिशत से अन्यून अंक पाए हैं, तृतीय श्रेणी में रखा जाएगा।

(तीन) जो परीक्षार्थी उपर्युक्तानुसार अंक प्राप्त करने में असफल रहे हैं, परंतु इस अध्यादेश के पैरा–232 में यथाविहित न्यूनतम अंक के संबंध में कमी को उपमर्षित कर दिया गया है, उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और उन्हें उस श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके वे पात्र हैं:

परन्तु यह कि ऐसे परीक्षार्थियों के प्रकरण में, जिन्हें कुल अंक बढ़ाने के लिए कृपांक दिया गया है, उन्हें कोई श्रेणी प्रदत्त नहीं की जाएगी।

(चार) सैद्धान्तिक विषय या प्रायोगिक परीक्षा में कुल अंकों में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को ''विशिष्ट उपाधि'' (डिस्टिंक्शन) प्राप्त घोषित किया जाएगा ।

(पांच) किसी परीक्षा की योग्यता–सूची में अभ्यर्थी का स्थान उसके द्वारा परीक्षकों से प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित किया जायेगा।

(छः) अंकों की कमी के उपमर्षण से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को योग्यता–सूची में नहीं रखा जाएगा।

233–परीक्षा का पाठ्य विवरण विश्वविद्यालय द्वारा अलग से प्रकाशित किया जाएगा।

234–परीक्षा के बाद, यथाशीघ्र किन्तु 30 जून से पूर्व कार्यपरिषद् प्रथम श्रेणी में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के नाम गुणानुक्रम में क्रमांकित करते हुए, क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उत्तीर्ण श्रेणी के परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगी।

235–निम्नांकित में से प्रत्येक की योग्यता–सूची अलग–अलग होगी, नामशः –

(एक) सुगम संगीत

(दो) हारमोनियम/सिंथेसाइजर

(तीन) लोकनृत्य

(चार) ठुमरी दादरा

(पांच) ध्रुपद धमार

236–सफल परीक्षार्थी परीक्षा परिषद द्वारा विहित प्रपत्र में डिप्लोमा (उपाधि-पत्र) प्राप्त करेगा।

237–द्विवर्षीय डिप्लोमा परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र एवं अधिकतम और न्यूनतम अंक निम्नानुसार होंगे

भाग– एक परीक्षा

क्र0 संख्या	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
1	प्रायोगिक	200	33%
2	सैद्धान्तिक	100	33%

भाग– दो परीक्षा

क्र0 संख्या	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
1	प्रायोगिक	200	33%
2	सैद्धान्तिक	100	33%

अध्यादेश संख्या–17

एक वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) परीक्षा

238–(एक) विश्वविद्यालय के एकवर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम के लिए एक परीक्षा होगी।

(दो) पाठ्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

239–परीक्षा प्रति वर्ष ऐसी तिथि को होगी, जैसा कि परीक्षा–परिषद् द्वारा इस सम्बंध में नियत की जाएगी। सामान्यतः यह उक्त तिथि परीक्षा प्रारंभ होने के न्यूनतम चार माह पूर्व अधिसूचित की जाएगी।

240–विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन एकवर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) परीक्षा में प्रवेश के लिए निम्नांकित व्यक्ति पात्र होंगे, नामशः – एकवर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) में प्रवेशार्थी अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिकशाला प्रमाण-पत्र परीक्षा के तहत कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हों।

241–परीक्षा के लिए अध्ययन–पाठ्यक्रम में अथवा प्रायोगिक कार्य के लिए कक्षाओं में उपस्थिति में कमी की छूट सम्बंधित अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार दी जा सकती है।

242–परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा निम्नांकित में से किसी एक विषय में ली जाएगी, नामशः –

(एक) लोकगीत

(दो) ढोलक

243–(एक) परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्रपत्र में होगा और इस सम्बंध में विहित समय के अंतर्गत कुलसचिव को प्राप्त हो जाएगा।

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विहित शुल्क आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

244–विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के प्रमुख अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त रिपोर्ट पर कार्यपरिषद् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर परीक्षा में प्रवेश के लिए मना कर सकती है या उसे निष्कासित कर सकती है, यदि यह समाधान हो जाए कि ऐसा अभ्यर्थी उसमें प्रवेश के योग्य व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार किए गए निष्कासन का कारण अभिलिखित किया जाएगा।

245–प्रश्न-पत्रों तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विहित अधिकतम एवं न्यूनतम अंक पैरा–251 में वर्णित है।

246–(एक) परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक में अलग–अलग पैरा–253 में विहित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।

(दो) कुल अंक के 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले सफल परीक्षार्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा, जिन्होंने 60 प्रतिशत से कम, परंतु 45 प्रतिशत से अन्यून अंक पाने वालों को द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा, और अन्य सफल परीक्षार्थी, जिन्होंने 45 प्रतिशत से कम परंतु कुल अंक के 33 प्रतिशत से अन्यून अंक प्राप्त किए हैं, तृतीय श्रेणी में रखे जाएंगे।

(तीन) परीक्षार्थी, जो उपर्युक्तानुसार अंक पाने में असफल रहे हैं, परंतु इस अध्यादेश के पैरा–251 में यथाविहित न्यूनतम अंकों के संबंध में कमी को उपमर्षित कर दिया गया है, उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और उन्हें उस श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके वे पात्र हैं:

परन्तु यह कि उन परीक्षार्थियों को, जिन्होंने कुल अंक बढ़ाने के लिए कृपांक पाया है, कोई श्रेणी प्रदान नहीं की जाएगी।

(चार) सैद्धान्तिक विषय या प्रायोगिक परीक्षा में कुल अंक के कम से कम 75 प्रतिशत अंक पाने वाले परीक्षार्थी को ''विशष्टि उपाधि प्राप्त'' ''उत्कृष्ट'' (डिस्टिंक्शन) घोषित किया जाएगा।

(पांच) किसी परीक्षा की योग्यता सूची में किसी भी अभ्यर्थी का स्थान– निर्धारण परीक्षकों से प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित किया जाएगा।

(छः) अंकों में कमी के उपमर्षण से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को योग्यता–सूची में नहीं रखा जाएगा।

247–परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण विश्वविद्यालय द्वारा अलग से प्रकाशित किया जाएगा।

248–परीक्षा के बाद, यथाशीघ्र कार्यपरिषद् प्रथम श्रेणी में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के नाम गुणानुक्रम में क्रमांकित करते हुए, क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उत्तीर्ण श्रेणी के परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगी।

249–निम्नांकित में से प्रत्येक की योग्यता–सूची पृथक होगी, नामशः –

(एक) लोकगीत;

(दो) ढोलक।

250–सफल परीक्षार्थी परीक्षा–परिषद द्वारा विहित प्रपत्र में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) प्राप्त करेगा।

251–एक वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र एवं अधिकतम और न्यूनतम अंक नीचे दी गयी सारणी के अनुसार होंगे (परिशिष्ट)

क्र0 संख्या	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
1	प्रायोगिक	100	33%
2	सैद्धान्तिक	100	33%

अध्यादेश संख्या–18

विश्वविद्यालय–शिक्षण विभागों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथियां

252–(एक) विश्वविद्यालय–शिक्षण–विभागों अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि का विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चय किया जायेगा।

(दो) सम्बद्ध महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालय–शिक्षण–विभागों में अभ्यर्थियों के प्रवेश की नियत तिथियों तक प्रविष्ट समस्त छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सम्बंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रत्येक स्थिति में नियत अंतिम तिथि के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगीः

(तीन) परन्तु यह कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान अन्य विश्वविद्यालयों से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को प्रव्रजित छात्रों के प्रवेश के प्रकरण पर प्रत्येक स्थिति में प्रावीण्य के आधार पर अलग से विचार किया जाएगा।

253–शैक्षणिक वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के दौरान कुलपति के अनुमोदन से छात्र को विषय–परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

254–छात्र महाविद्यालय अथवा शिक्षण विभाग के प्रमुख/प्राचार्य द्वारा स्वीकृत होने तथा विहित फीस संदाय करने के पश्चात् यथाशक्य उसके एक सदस्य के रूप में नामांकित हो जाएगा।

255–(1) किसी भी छात्र को एक महाविद्यालय से अन्य महाविद्यालय में अथवा एक महाविद्यालय से विश्वविद्यालय शिक्षण–विभागों में स्थानांतरित होने की अनुज्ञा त्याग या स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के बिना नहीं दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय से अन्य महाविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों में, या विपरीत क्रम से, स्थानांतरित होने वाले किसी भी छात्र को उस माह की अध्यापन फीस संदाय करना नहीं अपेक्षित होगा, जिस माह की अध्यापन फीस उस महाविद्यालय या विभाग में पहले से ही संदत्त कर दिया हो जहां से वह प्रव्रजित हुआ है।

256–यदि शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्र अपना महाविद्यालय या शिक्षण विभाग छोड़ने का प्रस्ताव रखता है, तो वह –

(एक) छोड़ने के अपने आशय की सूचना देगा;

(दो) तद्दिनांक तक की महाविद्यालय/विभाग को देय समस्त फीस का संदाय करेगा,

(तीन) अपने महाविद्यालय से संदत्त छात्रवृत्ति या वजीफा का प्रतिदाय करेगा, यदि महाविद्यालय/विभाग द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

(चार) महाविद्यालय/विभाग की किताबें/गणवेश/या अन्य सामग्री वापस करेगा अथवा उस सामग्री के लिए प्रतिकर संदाय करेगा, यदि ऐसा करने के लिए कहा जाए।

257—जब छात्र इस अध्यादेश के पैरा—256 में अपेक्षित समस्त संदाय कर दिए हों, तो प्राचार्य विद्यापरिषद् द्वारा विहित प्रपत्र में स्थानांतरण—प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। शिक्षण विभागों के प्रकरण में, प्रमाण-पत्र कुलसचिव द्वारा जारी किया जाएगा।

258—यदि कोई छात्र महाविद्यालय/विभाग की स्थानीय परीक्षा (होम इग्जामिनेशन) में अनुत्तीर्ण होने के कारण उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं होता है, उसे ऐसी उच्चतर कक्षा में अन्य महाविद्यालय/विभाग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

259—(1) महाविद्यालय का कोई भी छात्र यदि गंभीर दुराचरण अथवा सतत् निष्क्रियता का अपराधी है, महाविद्यालय का प्राचार्य/विश्वविद्यालय शिक्षण—विभाग का प्रमुख उसके अभिभावक को सूचित करने के बाद और उसके अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर —

(क) निकाल सकेगा;

(ख) अस्थायी रूप से निष्कासित कर सकेगा;

(ग) कुलपति के अनुमोदन से ऐसे छात्र को उस परीक्षा का अभ्यर्थी होने से निरर्हित कर सकेगा, जिसके लिए वह महाविद्यालय में पाठ्यक्रम पूरा कर रहा था।

(2) छात्र को निष्कासित करने या अस्थायी तौर पर निष्कासित करने के आदेश की प्रति विश्वविद्यालय को ऐसे आदेश जारी करने के एक सप्ताह के भीतर अग्रेषित की जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से विद्यार्थी के निष्कासन के अनुक्रम में उसका नाम नामांकित छात्रों की पंजी से हटा दिया जाएगा।

(4) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से छात्र के अस्थायी निष्कासन से वह अपने अस्थायी निष्कासन अवधि के दौरान समस्त पाठ्यक्रमों में उपस्थिति और समस्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के विभागों तथा विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं में प्रवेश हेतु निरर्हित हो जाएगा।

(5) महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से निष्कासन के अधीन किसी भी व्यक्ति को प्रव्रजन प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा और महाविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी तौर पर निष्कासित किसी भी व्यक्ति को अस्थायी तौर पर निष्कासन की अवधि के दौरान प्रव्रजन प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा।

अध्यादेश संख्या—19

परीक्षाओं के लिए अध्ययन—पाठ्यक्रमों में उपस्थिति की कमी का उपमर्षण

260—(एक) नीचे बिन्दु (दो) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन किसी छात्र की अध्ययन पाठ्यक्रम, यथानिर्धारित प्रायोगिक कक्षाओं सहित, में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति में किसी कमी पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के प्रमुख या महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा 5 प्रतिशत का उपमर्षण तथा इसके अलावा कुलपति द्वारा 10 प्रतिशत का उपमर्षण औचित्यपूर्ण आधार पर दिया जा सकेगा।

(दो) विभागाध्यक्ष और प्राचार्य आगामी परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि के चार सप्ताह से अनधिक पूर्व उन छात्रों, जो पूर्ववर्ती उप—पैरा के अनुसार कमी के उपमर्षण के लिए हकदार हैं और जिन्होंने परीक्षा प्रवेश के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन किया है, परंतु प्रायोगिक कक्षाओं की विहित संख्या सहित शिक्षण—कक्षाओं की विहित संख्या में उपस्थित नहीं हुए हैं, प्रत्येक छात्र के मामले में स्पष्टतया निम्नलिखित अंकित करते हुए सूची भेजेंगे —

(क) प्रत्येक विषय में उपस्थिति में उसकी कमी का परिमाण;

(ख) अध्यादेश, 262 के अधीन यथापरिभाषित कुल उपस्थिति;

(ग) अपनी अनुशंसा कि कमी में उपमर्षण किया जाना; और

(घ) आधार, जिस पर अनुशंसा आधारित हो।

261—सूची कुलपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो जिस आधार पर उपमर्षण माँगा गया है, और विभागाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा अनुशंसा की गई है, उस पर विचार करने के पश्चात् कमी का उपमर्षण कर सकेंगे या अस्वीकृत कर सकेंगे। कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।

262—उस छात्र को सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/शिक्षण विभाग के प्रमुख द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत तक उपस्थिति में क्रेडिट दिया जाएगा, जिसने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय, अंतर महाविद्यालयीन और अंतर विश्वविद्यालयीन खेलों में या अंतर विश्वविद्यालयीन या अंतर महाविद्यालयीन युवा—उत्सव और अन्य पाठ्यक्रमेतर क्रियाकलापों में महाविद्यालय/शिक्षण विभाग की ओर से भाग लिया हो और राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरों आदि में भाग लिया हो।

263–किसी भी विद्यार्थी छात्र को उपस्थिति की कमी में उपमर्षण की पात्रता नहीं होगी, जिसकी उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम हो।

व्याख्याः– (एक) ''उपस्थिति'' का तात्पर्य–पाठ्यक्रम के लिए विहित प्रत्येक विषय के व्याख्यानों में कुल उपस्थिति से है।

(दो) इस प्रयोजन के लिए, प्रायोगिक कक्षाओं को, जहां विहित किया गया हो, विषय के रूप में माना जाएगा।

264–(एक) विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालयों/शिक्षण विभागों के व्याख्यानों और यथा निर्धारित प्रायोगिक कार्य में विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण प्रत्येक सत्र/सेमेस्टर के अंत में, (क) प्राचार्य/विश्वविद्यालय–शिक्षण विभाग के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जाएगा; और (ख) पाठ्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को सूचित किया जाएगा।

(दो) विवरण विश्वविद्यालय को सम्बंधित सत्र/सेमेस्टर के पूर्ण होने की तिथि से एक माह समाप्त होने से पूर्व अग्रेषित किया जाएगा।

अध्यादेश संख्या–20

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच0डी0) प्रदान करने सम्बंधी अध्यादेश

265–परिचय–

(1) भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ (जिसे आगे ''संस्कृति विश्वविद्यालय'' कहा जायेगा द्वारा डॉक्टरेट (पीएच0डी0) की उपाधि सर्वथा इसमें इसके पश्चात् समाविष्ट उपबंधों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(2) भारतीय, विदेशी और अप्रवासी भारतीय छात्रों का निर्णय शोध सलाहकार समिति द्वारा लिया जाएगा।

(3) पीएच0डी0 पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकार की जाएगी।

266–पंजीयन की पात्रता–

(क) संस्कृति विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट के रजिस्ट्रीकरण के लिए अभ्यर्थी पात्र होगा, यदि वह संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो और निम्नांकित उपाधियों में से कोई एक उपाधि कम से कम 55 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त हो या इसके समतुल्य ग्रेड, पॉइंट स्केल में, जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली प्रचलित हो। 5 प्रतिशत अथवा इसके समतुल्य ग्रेड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डबल्यू0एस0) और अन्य वर्गों के प्रत्याशियों को आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार छूट दी जाएगी ।

(एक) एम0पी0ए0 (गायन/वादन संगीत/नृत्य) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) द्वारा मान्यता प्राप्त संगीत में समतुल्य स्नातकोत्तर उपाधि ।

(दो) एम0म्यूज/एम0 ए0/एम0 फिल0 (गायन/वादन संगीत/नृत्य) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में समतुल्य उपाधि।

(तीन) शोध–परामर्शदात्री समिति के अनुमोदन के अध्यधीन किसी विदेशी विश्वविद्यालय से भारतीय शास्त्रीय गायन/वादन/नृत्य में स्नातकोत्तर)

(ख) यू0जी0सी0 और अन्य सम्बंधित परिनियामक/विनियामक निकायों द्वारा इस सम्बंध में जारी किए गए दिशानिर्देर्शों/मानको के दृष्टिगत और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपनायी गई आरक्षण–नीति को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंड पर प्रवेश आधारित होगा।

(ग) संगीत और नृत्य में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे0आर0एफ0) अर्हित अभ्यर्थी।

267–रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया–

पीएच0डी0 पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(क) पीएच0डी0 पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकरण केवल उसी संकाय में होगा, जिसमें विद्यार्थी ने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।

(ख) आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अंतिम दिनांक, प्रवेश परीक्षा की जानकारी और पीएच0डी0 पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन–साक्षात्कार की घोषणा संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष की जाएगी।

(ग) आवेदन के साथ पूर्वापेक्षति समस्त अभिलेखों की स्व–प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जाएँगी। प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (अंतर्राष्ट्रीय उपाधि के लिए आवश्यक नहीं) रजिस्ट्रीकरण के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) विश्वविद्यालय में पीएच0डी0 पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं अनुवर्ती साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।

(ड.) यू0जी0सी0 (जे0आर0एफ0) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छोड़ कर समस्त अभ्यर्थियों को संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्रविष्ट होना पड़ेगा।

(च) यू0जी0सी0 (जे0आर0एफ0) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित होना पड़ेगा, जिसमें उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शोध अभिरुचि एवं शोध क्षेत्र पर विमर्श करें। इसके अतिरिक्त उन्हें साक्षात्कार के दौरान अपने विशिष्ट विषय में प्रस्तुति देनी होगी।

(छ) प्रवेश–परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होंगेः

परंतु यह कि 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रवेश परीक्षा में उन अभ्यर्थियों के लिए होगी, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डबल्यू0एस0) और आयोग द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयानुसार अन्य वर्गों के अभ्यर्थी होंगे।

(ज) प्रवेश–परीक्षा के पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत शोध–प्रविधि और 50 प्रतिशत विषय विशेष होगा। जो अभ्यर्थी प्रवेश–परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उन अभ्यर्थियो के लिए विश्वविद्यालय साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा आयोजित करेगा।

(झ) अभ्यर्थी को अपने प्रस्तावित शोध–कार्य के लिए आवश्यक अर्हता रखनी होगी। शोध का प्रस्तावित क्षेत्र विद्यमान ज्ञान–क्षेत्र में कुछ जोड़ने वाला हो।

(ञ) शोध का विषय संस्कृति विश्वविद्यालय के संकायों के अनुरूप हो।

(ट) स्नातकोत्तर उपाधि की अंक–सूची/ग्रेड शीट और प्रव्रजन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए। प्रव्रजन–प्रमाण-पत्र आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से अधिकतम छह माह के अंदर जमा कर देना होगा ।

(ठ) संस्कृति विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अन्य संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को आवेदन नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) एवं अध्ययन– अवकाश की अनुमति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

268–जाँच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी)–

(1) पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से जाँच समिति का गठन निम्नानुसार होगाः–

(क)	कुलपति	– अध्यक्ष
(ख)	संकायाध्यक्ष एवं सम्बंधित संकाय के विभागाध्यक्ष	– सदस्य
(ग)	कुलपति द्वारा नियुक्त विषय–विशेषज्ञ/क्षेत्र–विशेषज्ञ	– सदस्य
(घ)	शोध समन्वयक	– सदस्य
(ङ)	कुलपति द्वारा नियुक्त पीएच0डी0 विनियमों से भली भाँति अवगत बाह्य विशेषज्ञ	– सदस्य
(च)	उस सम्बंधित विभाग के संकाय सदस्य, जिनके अधीन स्थान रिक्त है	– सदस्य

(2) कुलपति की अनुपस्थिति में सम्बंधित संकाय के अध्यक्ष/विभाग–प्रमुख बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ऐसी स्थिति में संकायाध्यक्ष द्वारा एक और अध्यापक को समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा, तथापि यदि संकायाध्यक्ष विभाग–प्रमुख उपलब्ध न हो, कुलपति संकाय के किसी भी अध्यापक को सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं।

269–पूर्व पीएच0डी0 (कोर्स वर्क)–

(1) प्रवेश के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सेमेस्टर (छह माह) की न्यूनतम अवधि के लिए (कोर्स वर्क) करना होगा।

(2) पीएच0डी0 कोर्सवर्क के लिए न्यूनतम 12 क्रेडिट की आवश्यकता है, जिसमें यू0जी0सी0 के द्वारा 2019 में अधिसूचित डी0ओ0 नं. एफ–1–1/2018 (जर्नल/ CARE) के अनुसार, ''रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स'' (शोध एवं प्रकाशन नीति) और एक शोध–प्रविधि पाठ्यक्रम और बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन का पाठ्यक्रम होगा।

(3) सभी विषयों के सभी पीएच0डी0 शोधार्थियों को अपनी शोध अवधि में अपने चयनित पीएच0डी0 विषय से सम्बंधित अध्यापन/शिक्षा/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। पीएच0डी0 शोधार्थियों को अनुशिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन हेतु प्रति सप्ताह 4–6 घण्टे का सहायक के रूप में कार्य नियत किया जा सकता है।

(4) एक सेमेस्टर पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा और अपने रिसर्च टॉपिक पर प्रस्तुतीकरण शोध–परामर्शदात्री समिति के समक्ष देना अपेक्षित होगा। पीएच0डी0 शोधार्थी को कोर्सवर्क में शोध–पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए तथा शोध–प्रबंध जमा करने के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या यू0जी0सी0 के 10 पॉइंट स्केल में इसके समतुल्य ग्रेड प्राप्त करना होगा।

(5) सम्पन्न कोर्सवर्क में अर्जित क्रेडिट एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की एक संस्था से अन्य संस्था में स्थानान्तरणीय होंगे। सभी नए पीएच0डी0 प्रवेशकों को, चाहे किसी भी विषय से हों, डॉक्टरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपनी पीएच0डी0 के लिए चयनित विषय से संबंधित अध्यापन/शिक्षा/शिक्षा शास्त्र/लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम अपेक्षित होगा।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी प्री–पीएच0डी0 कोर्सवर्क में असफल होता है, उसे उक्त पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए छह माह का एक और अवसर दिया जाएगा, जिसमें असफल होने पर अग्रेतर कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

270–शोध–पर्यवेक्षक का आवंटन–

(1) संस्कृति विश्वविद्यालय के स्थायी संकाय–सदस्य, जो पीएच0डी0 प्राप्त आचार्य/सह–आचार्य के रूप में कार्यरत हों और जिसके पीयर–रिव्यूड या रेफरीड जर्नल में कम से कम पाँच शोध–प्रकाशन हों और स्थायी संकाय सदस्य जो पीएच0डी0 प्राप्त सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हों और जिनके पीयर–रिव्यूड या रेफरीड जर्नल में न्यूनतम तीन शोध–प्रकाशन हों, को शोध–पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।

(2) प्रत्येक चयनित छात्र के लिए शोध–पर्यवेक्षक का आवंटन संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चय किया जायेगा, जो प्रत्येक संकाय सदस्य के लिए विद्यार्थियों की संख्या, संकाय पर्यवेक्षकों में उपलब्ध विशेषीकरण, और साक्षात्कार के दौरान छात्र द्वारा यथाउपदर्शित शोध अभरूचि पर निर्भर होगा। पर्यवेक्षकों के आवंटन पर अंतिम विनिश्चय शोध–परामर्शदात्री समिति के द्वारा किया जाएगा।

(3) पात्र आचार्य/सह–आचार्य/सहायक आचार्य किसी प्रदत्त अवधि में क्रमशः आठ (08)/छह (06)/चार (04) पीएच0डी0 शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकेंगे।

271–प्रगति प्रतिवेदन–

(1) शोधार्थी को अनिवार्यतः संस्कृति विश्वविद्यालय को उस अवधि में किए गए कार्य का छमाही प्रगति–प्रतिवेदन विहित प्रारूप में अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जिसे शोध परामर्शदात्री समिति के समक्ष अवलोकनार्थ रखा जाएगा।

(2) यदि कार्य की प्रगति दो क्रमिक प्रतिवेदनों में संतोषजनक नहीं पाई जाती है अथवा एक वर्ष में कोई प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होता है और यदि अभ्यर्थी विहित फीस जमा नहीं कर पाता है, तो कुलपति सम्बंधित अभ्यर्थी का रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने का आदेश दे सकेगा। कुलपति द्वारा की गई ऐसी अनुशंसा विद्या परिषद् की बैठक में रखी जाएगी, जो अपनी अनुशंसा क्रम से कार्यपरिषद् को इस प्रकरण पर अंतिम विनिश्चय के लिए देगी।

272–शोध सलाहकार समिति एवं उसके कृत्य–

(1) प्रत्येक पीएच0डी0 शोधार्थी के लिए एक शोध–सलाहकार समिति होगी। संबंधित पीएच0डी0 शोधार्थी का शोध–पर्यवेक्षक इस समिति का संयोजक होगा और समिति के निम्नांकित दायित्व होंगेः–

(एक) शोध–प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध–विषय को अंतिम रूप देना।

(दो) पीएच0डी0 शोधार्थी को उसके अध्ययन की रूपरेखा एवं शोध–प्रविधि विकसित करने में मार्गदर्शन करना और उस पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट करना, जिसे उसे करना है।

(तीन) पीएच0डी0 शोधार्थी के शोध–कार्य की प्रगति में समय–समय पर समीक्षा एवं सहायता करना।

(2) शोध–सलाहकार समिति के समक्ष पीएच0डी0 शोधार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में मूल्यांकन एवं अग्रेतर मार्गदर्शन हेतु अपने कार्य की प्रगति का प्रस्तुतीकरण करेगा और संक्षप्ति प्रस्तुत करेगा। शोध–सलाहकार समिति पीएच0डी0 शोधार्थी के प्रगति प्रतिवेदन के साथ अपनी संस्तुति सम्बंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगी। ऐसी संस्तुति की एक प्रति पीएच0डी0 छात्र को भी दी जाएगी।

(3) यदि पीएच0डी0 शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक है, तो शोध–सलाहकार समिति उसके कारणों को अभिलिखित करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि पीएच0डी0 शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को क्रियान्वित करने में असफल रहता है, तो शोध–सलाहकार समिति विशेष कारणों के साथ पीएच0डी0 शोधार्थी का रजिस्ट्रीकरण पीएच0डी0 पाठ्यक्रम से निरस्त करने की अनुशंसा कर सकेगी।

273–शोध की अवधि–

(1) पीएच0डी0 पाठ्यक्रम कोर्स वर्क को सम्मिलित कर न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि और अधिकतम छह वर्ष की अवधि का होगा।

(2) महिला–अभ्यर्थी और दिव्यांगजन (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता) को पीएच0डी0 के लिए अधिकतम अवधि में दो वर्ष की शिथिलता अनुज्ञात की जा सकेगी।

(3) इसके अतिरिक्त, महिला–अभ्यर्थी को मातृत्व अवकाश/शिशुपालन–अवकाश संपूर्ण पीएच0डी0 अवधि में एक बार 240 दिन तक के लिए दिया जा सकेगा।

274–उपस्थिति और क्षेत्र–कार्य–

(1) शोधार्थी की उपस्थिति एक शैक्षणिक सत्र में कार्य दिवसों के अनुसार होगी। शोधार्थी की उपस्थिति का सत्यापन शोध–पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा। शोधार्थी का उपस्थिति–प्रमाण-पत्र पर्यवेक्षक द्वारा अनिवार्यतः शोध–प्रबंध प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) शोधार्थी शोध–पर्यवेक्षक की संस्तुति पर क्षेत्र–कार्य के लिए बाहर जा सकेगा। शोधार्थी को क्षेत्र–कार्य–प्रतिवेदन और सम्बंधित संगठन/अधिकारी का प्रमाण-पत्र शोध–पर्यवेक्षक द्वारा सम्यक् रूप से अग्रेषित कराके शोध–समन्वयक को प्रस्तुत करेगा।

275–शोध–अवधि का विस्तार–

(1) अभ्यर्थी को शोध–विषय के रजिस्ट्रीकरण की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् एक और सेमेस्टर की वृद्धि के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा। अभ्यर्थी को शोध–विषय के रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से चार वर्ष के भीतर अपना शोध–प्रबंध पूर्ण करेगा। विद्या परिषद शोध–सलाहकार समिति (आर0ए0सी0) की अनुशंसा पर अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि बढ़ा सकेगी।

(2) इस सम्बंध में शोधकर्ता द्वारा आवेदन आवश्यक फीस के साथ जमा किया जाएगा।

(3) शोध सलाहकार समिति (आर0ए0सी0) द्वारा विशेष परिस्थितियों के अधीन एक बार में छह माह का विस्तार दिया जाएगा। कुलपति एक बार में दो सत्र एक साथ बढ़ा सकेगा।

(4) शोध–कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि छह वर्ष होगी। किसी भी स्थिति में, शोध विषय की रजिस्ट्रीकरण तिथि से छह वर्ष समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी को शोध–प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी का रजिस्ट्रीकरण विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।

276–शोध–प्रबंध की भाषा–

पीएच0डी0 हेतु शोध–प्रबंध केवल अंग्रेजी या हिंदी में लिखा जाएगा।

277–पूर्णप्राय शोध–प्रबंध–

(1) अभ्यर्थी शोध–प्रबंध जमा करने के न्यूनतम छह माह पूर्व प्रस्तुतीकरण का आयोजन करने के लिए पर्यवेक्षक के माध्यम से सम्बंधित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष को सूचित करेगा।

(2) शोध–प्रबंध जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी विभाग में पूर्व–प्रस्तुतीकरण करेगा, जो प्रतिपुष्टि व टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए सभी संकाय सदस्यों एवं शोधार्थियों के लिए खुला होगा जिन्हें प्रारूप शोध–प्रबंध में पर्यवेक्षक के परामर्श के अधीन सम्मिलित किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी शोध–प्रबंध मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने के पूर्व प्रमुखता से रेफरीड जर्नल या यू0जी0सी0 सी0ए0आर0ई0– लिस्टेड जर्नल में एक शोध–पत्र प्रकाशित करेगा और सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दो शोध–पत्रों का प्रस्तुतीकरण करेगा, और उनका प्रमाण प्रस्तुतीकरण– प्रमाण-पत्र या पुनर्मुद्रण (री–प्रिंट) के रूप में प्रस्तुत करेगा।

(4) अभ्यर्थी को पूर्व–प्रस्तुतीकरण के छह माह के भीतर शोध–प्रबंध जमा करना होगा।

278–शोध–प्रबंध जमा करना–

(1) शोध–प्रबंध परीक्षा के लिए तब तक स्वीकार्य नहीं होगा, जब तकः–

(एक) इस अध्यादेश द्वारा शोध–कार्य को संपन्न करने के लिए विहित अवधि के भीतर शोध–प्रबंध प्रस्तुत न किया गया हो ।

(दो) शोध–प्रबंध का टंकण अद्यतन एम0एल0ए0 (आधुनिक भाषा संघ) के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए कागज के एक तरफ न किया गया हो।

(2) टंकण का विहित प्रारूप निम्नानुसार होगा–

(क) अंग्रेजी–टंकण

(एक)	फॉन्ट स्टाइल	– टाइम्स न्यू रोमन
(दो)	फॉन्ट साइज	– 12
(तीन)	स्पेसिंग	– 2.0

(ख) हिंदी – टंकण

(एक)	फॉन्ट स्टाइल	– एरियल यूनीकोड एम0एस0 / कोकिला / अपराजिता
(दो)	फॉन्ट साइज	– 14
(तीन)	स्पेसिंग	– 2

(3) अभ्यर्थी शोध–प्रबंध की दो सॉफ्ट प्रतियों एवं सारांश की चार प्रतियों सहित शोध–प्रबंध की पाँच प्रतियाँ जमा करेगा, जिनमें से शोध–प्रबंध की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जायेगी।

(4) साहित्यिक चोरी।

सम्बंधित उच्चतर शिक्षण संस्था के पास शोध–कार्य में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सुविकसित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का प्रयोग करने वाली क्रियाविधि होगी और शोध–निष्ठा पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने के लिए की गई सभी शोध गतिविधियों का अभिन्न अंग होगी।

(5) पीएच0डी0 शोधार्थी मूल्यांकन हेतु शोध–प्रबंध– निम्नलिखित के साथ, प्रस्तुत करेगा,

(क) पीएच0डी0 शोधार्थी के वचनबद्ध कि इसमें कोई साहित्यिक चोरी नहीं है,

(ख) शोध–पर्यवेक्षक से शोध–प्रबंध की मौलिकता और शोध–प्रबंध किसी अन्य उच्चतर शिक्षण संस्था में अन्य उपाधि / डिप्लोमा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, का सत्यापन करने का प्रमाण-पत्र।

(6) पीएच0डी0 शोधार्थी शोध–प्रबंध की एक प्रति पर्यवेक्षक को देगा। शोध–प्रबंध की प्रति शोधकर्ता या पर्यवेक्षक को लौटाई नहीं जाएगी।

(7) पीएच0डी0 शोधार्थी पूर्व में अपने द्वारा स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से प्रकाशित शोध–प्रबंध को आगे बढ़ाने में योगदान करने से सम्बंधित सहायक सामग्री भी प्रस्तुत करेगा।

(8) संस्कृति विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शुल्क–प्रभाग एवं छात्रावास इत्यादि से पीएच0डी0 शोधार्थी द्वारा ''अशेष'' (नो ड्यूज) प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण भी अनिवार्य होगा।

279–घोषणा–

(1) परीक्षण के लिए शोध–प्रबंध जमा करते समय अभ्यर्थी हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(2) शोध प्रबंध की मौलिकता सत्यापित करने वाला पर्यवेक्षक का प्रमाण-पत्र सम्बंधित संकाय / विभाग के संकायाध्यक्ष / एच0ओ0डी0 द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। यदि संकायाध्यक्ष / एच0ओ0डी0 उपलब्ध न हो, वरिष्ठतम अध्यापक पर्यवेक्षक ऐसा प्रमाण–पत्र अग्रेषित कर सकेगा।

(3) साहित्यिक चोरी–प्रतिवेदन भी शोध–प्रबंध के साथ संलग्न किया जाएगा।

280–परीक्षकों की नियुक्ति–

(1) परीक्षकों का पैनल है (विशेषज्ञों के न्यूनतम छह नाम) संकायाध्यक्ष द्वारा विभागाध्यक्ष से विमर्श करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, पर्यवेक्षक से भी परीक्षकों के नामों के लिए विमर्श किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हो, कुलपति कुछ और परीक्षकों के नाम परीक्षकों के पैनल में सम्मिलित कर सकेगा। संकायाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, कुलपति सम्बंधित विभागाध्यक्ष से परीक्षकों के नामों के लिए कह सकेगा।

(2) मूल्यांकन के लिए शोध–प्रबंध कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल से दो परीक्षकों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनमें से एक परीक्षक अन्य राज्य से अवश्य होगा।

281–शोध का मूल्यांकन–

(1) शोध–प्रबंध की आगामी प्रक्रिया के लिए दोनों परीक्षकों का अनुकूल प्रतिवेदन अनिवार्य होगा।

(2) यदि कोई परीक्षक शोध–प्रबंध की प्राप्ति के दिनांक से दो (02) माह की अवधि के भीतर प्रतिवेदन नहीं भेजता है, तो कुलपति पैनल से एक नया परीक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(3) यदि कोई एक परीक्षक शोध–प्रबंध को अस्वीकृत करता है, तो उसे तृतीय परीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा। तृतीय परीक्षक की नियुक्ति कुलपति द्वारा पूर्वोक्त छह नामों के पैनल में से की जाएगी।

(4) यदि दोनों परीक्षकों के प्रतिवेदन नकारात्मक हैं, तो प्रतिवेदनों को विद्या परिषद् के समक्ष अनुशंसा के लिए रखा जाएगा और कार्य परिषद् अंतिम विनिश्चय करेगी।

(5) पीएच0डी0 शोध–प्रबंध के मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया मौखिक परीक्षा परिणाम की घोषणा को सम्मिलित कर शोध–प्रबंध जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

282–मौखिक परीक्षा–

(1) संतोषजनक मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्राप्ति पर, अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा से गुजरेगा, जिसे शोध–प्रबंध के एक परीक्षक द्वारा संचालित किया जाएगा।

(2) यदि दोनों परीक्षक मौखिक परीक्षा लेने में असमर्थ हैं, कुलपति किसी अन्य विषय– विशेषज्ञ को मौखिक परीक्षा लेने के लिए नियुक्त करेगा।

(3) मौखिक परीक्षा कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति द्वारा इस शर्त के अध्यधीन संचालित की जाएगी कि पर्यवेक्षक आंतरिक परीक्षक होगा और शोध–प्रबंध के परीक्षकों में से न्यूनतम एक अनिवार्यतः समिति का सदस्य होगा।

(4) यदि पर्यवेक्षक मौखिक परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो कुलपति किसी अन्य विषय–विशेषज्ञ को परीक्षा संचालित करने के लिए नियुक्त करेगा।

(5) यदि अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, उसे सम्मिलित होने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वितीय मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो शोध–प्रबंध को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(6) मौखिक परीक्षा विनिर्दिष्ट तिथि एवं समय पर केवल परीक्षक की सहमति से ही आयोजित की जाएगी। यदि परीक्षक मौखिक परीक्षा में उपस्थित है और अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित है, तो अभ्यर्थी को अगली मौखिक परीक्षा से संबंधित समस्त व्यय–भार का वहन करेगा। अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में उपस्थित न होने का कारण भी लिखित में बताना होगा।

(7) मौखिक परीक्षा ''ऑनलाइन'' भी संचालित की जा सकेगी। मौखिक परीक्षा शोध– सलाहकार समिति/संकाय–सदस्यों/शोधार्थियों/और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुली होगी।

283–परीक्षकों का प्रतिवेदन– मौखिक परीक्षा के पश्चात, परीक्षकों का प्रतिवेदन और मौखिक परीक्षा का परिणाम अकादमिक परिषद के समक्ष रखा जाएगा जो इसके पश्चात् की प्रक्रिया का पालन करेगी।

284–दूरस्थ माध्यम से और नियमित रोजगार में पीएच0डी0–

(एक) इस अध्यादेश या तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के किसी अन्य नियम या विनियम में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी कोई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पीएच0डी0 पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा–माध्यम/ऑनलाइन माध्यम से संचालित नहीं करेगा।

(दो) सेवारत अभ्यर्थी पीएच0डी0 करने के लिए अनुज्ञात होंगे, परन्तु यह कि इस अध्यादेश में उल्लिखित समस्त पात्रता–शर्तें पूर्ण करें।

285–अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करना– वास्तविक उपाधि प्रदान करने के पूर्व, उपाधि देने वाली संस्था इस आशय का अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करेगी कि उपाधि यू0जी0सी0 विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदान की गई है।

286–आई0एन0एफ0एल0आई0बी0एन0ई0टी0 केन्द्र (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र) पर पीएच0डी0 शोध प्रबंध का प्रस्तुतीकरण–

मूल्यांकन प्रक्रिया के सफल समापन के पश्चात् और पीएच0डी0 उपाधि (उपाधियां) प्रदान करने की घोषणा से पूर्व विश्वविद्यालय पीएच0डी0 शोध–प्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति आई0एन0एफ0एल0 आई0बी0एन0ई0टी0 को समस्त संस्थाओं/महाविद्यालयों के लिए सुगम बनाने हेतु उसे सुरक्षित रखने के लिए देगा।

287–शोध–प्रबंध का पुनरीक्षण–

(1) एक या दोनों परीक्षकों की अनुशंसा पर संस्कृति विश्वविद्यालय अभ्यर्थी को शोध–प्रबंध को पुनरीक्षित रूप में परीक्षकों से संसूचना प्राप्ति की तिथि छह माह की अनधिक अवधि के भीतर पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को पुनरीक्षित रूप में शोध–प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक बार अनुमति नहीं दी जाएगी।

288–शोध–प्रबंध का प्रकाशन–

(1) अभ्यर्थी को अपने शोध प्रबंध के प्रकाशन के पूर्व संस्कृति विश्वविद्यालय को लिखित रूप में सूचित करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा या अभ्यर्थी के निमित्त या किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण द्वारा प्रकाशित शोध–प्रबंध, जिस पर संस्कृति विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की है, में प्रमुख रूप से दर्शाया जाएगा कि शोध–प्रबंध संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्याशी के लिए स्वीकृत किया गया था।

(2) अभ्यर्थी संस्कृति विश्वविद्यालय को प्रकाशित शोध–प्रबंध की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।

289– पर्यवेक्षक–परिवर्तन–

यदि अभ्यर्थी तर्कपूर्ण कारणों से अपना पर्यवेक्षक बदलना चाहता है, तो आर0ए0सी0 के अनुमोदन के पश्चात् कुलपति द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मामलों में वर्तमान पर्यवेक्षक प्रस्तावित पर्यवेक्षक और अभ्यर्थी की पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।

290–विदेशी एवं अप्रवासी भारतीय छात्र–

(1) संस्कृति विश्वविद्यालय विदेशी एवं अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) छात्रों को अनुमति दे सकेगा, जो अपने डॉक्टरल, पोस्ट–डॉक्टरल या अन्य शोध–परियोजनाओं के लिए अल्पकालीन प्रत्याशी के रूप में भारत आते हैं। संस्कृति विश्वविद्यालय में अपने डॉक्टरल या पोस्ट–डॉक्टरल परियोजनाओं के संबंध में अल्पकालिक अभ्यर्थी के रूप में भारत आये हों।

(2) अपनी डॉक्टरल या पोस्ट डॉक्टरल परियोजनाओं हेतु संस्कृति विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी के रूप में स्वयं का रजिस्ट्रीकरण कराने के इच्छुक विदेशी और अप्रवासी छात्रों को कड़ाई से यू0जी0सी0 सन्नियमों का पालन करना होगा और उनका रजिस्ट्रीकरण कड़ाई से यू0जी0सी0 सन्नियमों के अनुसार होगा।

(3) दोनों मामलों में आर0ए0सी0 का विनिश्चय अंतिम होगा।

291–पीएच0डी0 का निरस्तीकरण–

अभ्यर्थी को पीएच0डी0 प्रदान किए जाने के पश्चात् यदि किसी समय यह पता चलता है कि उक्त पीएच0डी0 के प्रदाय में तात्विक अनियमितता हुई है, तो संस्कृति विश्वविद्यालय तत्काल उक्त पीएच0डी0 को निरस्त कर देगा और उक्त विनिश्चय अभ्यर्थी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: ''तात्विक अनियमितता'' का तात्पर्य कपट, साहित्यिक चोरी अथवा किसी अन्य अनाचार से उपाधि प्राप्त करने से है।

292–प्रकीर्ण –

(1) किसी भी रूप में, किसी भी चरण पर, अभ्यर्थी द्वारा अपने शोध–प्रबंध के संबंध में संयाचना पर संस्कृति विश्वविद्यालय तत्काल उसके शोध/शोध–प्रबंध को निरस्त कर देगा।

(2) कोई बात, जो इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट नहीं है, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 से शासित होगी। विश्वविद्यालय का विनिश्चय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होगा।

अध्यादेश संख्या–21

डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी0लिट्0) से सम्बंधित अध्यादेश

डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किए गए शोध–प्रबंध पर इस अध्यादेश में आगे अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

293–रजिस्ट्रीकरण की पात्रता–

(1) शोधार्थी डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु पात्र होगा, उसने इस विश्वविद्यालय या इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किसी भी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि कम से कम पाँच वर्ष पहले प्राप्त की हो।

(2) डी0लिट0 उपाधि मूल कार्य के आधार पर प्रदान की जाएगी।

294–प्रक्रिया–

डी0लिट्0 की उपाधि हेतु रजिस्ट्रीकरण निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार होगाः–

(क) डी0लिट्0 उपाधि हेतु शोधार्थी को विहित परिशिष्ट–12 के अनुसार आवेदन–प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करना होगा, जो यदि आवश्यक हो, रजिस्ट्रीकरण हेतु विहित फीस का संदाय करने पर प्राप्य होगा;

(ख) एक वर्ष में शोध सामान्य समिति की दो बैठकें हो सकेंगी;

(3) निर्धारित प्रपत्र में डी0लिट0 के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि विहित प्रपत्र में होगी और वर्ष में केवल एक बार अनुसूचित की जाएगी।

(4) शोध का विषय विश्वविद्यालय की सामान्य प्रकृति के अनुरुप होगा;

(5) स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि (डिप्लोमा) की अंकसूची/ग्रेड शीट/एम0फिल0 उपाधि, पीएच0डी0 प्रमाण-पत्र, प्रवजन–प्रमाण-पत्र, जहाँ अपेक्षित हो, की अनुप्रमाणित प्रतियाँ, आवेदन के साथ संलग्न होंगी। रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि शोधार्थी द्वारा प्रव्रजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही की जाएगी। अधिकतम छह माह का समय प्रव्रजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिया जाएगा। कुलपति विशेष परिस्थितियों के अधीन अतिरिक्त छह माह का समय बढ़ा सकेगा;

(6) यदि छात्र नियत समय के भीतर प्रव्रजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो रजिस्ट्रीकरण निरस्त हो जाएगा;

(7) आवेदन परिशिष्ट–13 के अनुसार प्रस्तावित विषय की रूपरेखा की टंकित या मुद्रित पाँच प्रतियों के साथ होगा;

(8) सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदनों को जाँच (स्क्रीनिंग) समिति के समक्ष रखा जाएगा और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के परिनियम द्वारा गठित शोध–सामान्य समिति के समक्ष रखा जाएगा;

(9) शोध-सामान्य समिति विषय/रूपरेखा को अनुमोदित/संशोधित कर सकती है या नया विषय प्रस्तावित कर सकेगी।

(10) सामान्य समिति की अनुशंसाएँ विद्या परिषद् के समक्ष रखी जाएंगी, जो शोध–सामान्य समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आलोक में आवेदन पर विचार करेगी;

(11) विद्यापरिषद् को, सामान्य समिति की अनुशंसाओं को स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधित करने का अधिकार होगा। सम्बंधित निकायों से रजिस्ट्रीकरण के अंतिम अनुमोदन के पश्चात, विश्वविद्यालय शोधार्थी को उसके रजिस्ट्रीकरण की सूचना देगा और शोधार्थी का नाम रजिस्ट्रीकृत शोधार्थी की सूची में सम्मिलित किया जाएगा। शोधार्थी शोध समिति की बैठक की तिथि से रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा।

295–जाँच-समिति (स्क्रीनिंग कमेटी)–

(1) शोध जाँच–समिति अपनी अनुशंसाएँ शोधार्थी के साक्षात्कार के पश्चात् ही देगी।

(2) निम्नलिखित व्यक्ति सम्बंधित संकाय की जाँच समिति के सदस्य होंगेः–

(एक) कुलपति – सभापति

(दो) संकायाध्यक्ष – सदस्य

(तीन) विभागाध्यक्ष – सदस्य

(चार) संकाय के संकायाध्यक्ष/एच0ओ0डी0 द्वारा दिए गए न्यूनतम चार नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नियुक्त आचार्य अथवा विख्यात विद्वान रैंक के दो वाह्य विशेषज्ञ

(क) यदि विषय दो अनुशासनों से सम्बंधित है, तो अन्य सम्बंधित विभाग का प्रमुख या एक अध्यापक भी समिति का सदस्य होगा।

(ख) कुलपति की अनुपस्थिति में, सम्बंधित संकायाध्यक्ष जाँच– समिति का सभापति होगा और ऐसी स्थिति में सम्बंधित विषय का एक और अध्यापक समिति में सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

(ग) समिति में सभापति को मिलाकर चार सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

296–छमाही प्रतिवेदन–

(1) डी0 लिट0 उपाधि के लिए रजिस्ट्रीकृत शोधार्थी प्रत्येक छह माह पश्चात् विहित निदर्शन-पत्र (प्रोफार्मा) (परिशिष्ट–14) में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) असंतोषजनक छमाही प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा एक वर्ष तक प्रतिवेदन न मिलने पर रजिस्ट्रीकरण निरस्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों के अधीन कुलपति अपेक्षित फीस के साथ प्रतिवेदन का विलंब से प्रस्तुतीकरण अनुमोदित कर सकते हैं।

(3) प्रत्येक शोधार्थी को छह माही प्रतिवेदनों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर यथाविनिश्चय प्रतिधारण फीस भी संदाय करेगा ऐसी फीस रजिस्ट्रीकरण की तिथि से संदेय होगा।

297–शोध-अवधि–

न्यूनतम–

(1) शोधार्थी रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से तीन वर्ष पूर्व और छह वर्ष के बाद मूल्यांकन के लिए शोध–प्रबंध जमा करने हेतु अनुज्ञात नहीं होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि शोधार्थी अपना कार्य चार वर्ष में पूर्ण कर लेगा/लेगी।

(2) यदि अभ्यर्थी यह महसूस करता है कि उसे अपने डी0 लिट0 कार्य के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, तो वह आवेदन-पत्र के साथ पर्यवेक्षक का नाम, संक्षिप्त जीवन-वृत्त और पर्यवेक्षक का स्वीकृति-पत्र प्रस्तावित करेगा। अंतिम विनिश्चय शोध-सामान्य समिति द्वारा अनुमोदन/निरस्तीकरण/पर्यवेक्षक–परिवर्तन के सम्बंध में लिया जाएगा।

(3) यदि सम्बंधित विषय में अभ्यर्थी का दस वर्ष का अध्यापन अनुभव है, तब अध्यादेश 21 यथाउल्लिखित रिक्त अवधि के नियम को शिथिल किया जा सकेगा।

(4) उसी विषय पर पुनःरजिस्ट्रीकरण की सुविधा प्रत्याशी को दी जा सकती है, परन्तु यह कि वह अन्य औपचारिकताएँ नए सिरे से पूर्ण करता हो। यदि पुनः रजिस्ट्रेशन के समय विषय परिवर्तित किया जाता है, तो अभ्यर्थी को जाँच समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।

(5) अभ्यर्थी को पुराने देय, यदि कोई हो, के संदाय के साथ आवश्यक फीस जमा करना होगा।

(6) कुलपति आवेदन-पत्रों के प्रस्तुतीकरण की तिथि, जब और जैसे, आवश्यक हो, बढ़ा सकेगा।

298–समय-विस्तार–

(1) चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात, यदि अपेक्षित हो, शोधार्थी अपनी शोध-अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि कुलपति का समाधान हो जाता है, तो शोधार्थी को एक वर्ष का समय विस्तार दिया जा सकेगा, जिसे विशेष परिस्थितियों के अधीन, एक वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में ऐसा समय–विस्तार दो वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(3) आवेदक समय-विस्तार हेतु अपना आवेदन आवश्यक फीस सहित जमा कर सकेगा/सकेगी। आवेदन प्रदत्त शोध-अवधि के पूर्ण होने के न्यूनतम दो माह पहले कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

299–शोध-प्रबंध की भाषा–शोध–प्रबंध केवल अंग्रेजी अथवा हिंदी में लिखा जाएगा।

300–पूर्णता की ओर अग्रसर शोध–प्रबंध–

(1) शोधार्थी जिस तिथि को शोध-प्रबंध विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए जमा करने की अपेक्षा करता है, उसके सामान्यतः न्यूनतम छह माह पूर्व विश्वविद्यालय को सूचित करेगा/करेगी।

(2) शोध–प्रबंध जमा करने के पूर्व शोधार्थी अपने शोध-प्रबंध पूर्व-प्रस्तुतीकरण सेमिनार सम्बंधित संकाय में प्रस्तुत करेगा, जो समस्त संकाय सदस्यों एवं शोधार्थियों के लिए प्रतिपुष्टि और टिप्पणियाँ पाने हेतु खुला होगा, जिन्हें वह शोध–प्रबंध में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(3) सेमिनार का प्रतिवेदन संकायाध्यक्ष/विभाग-प्रमुख द्वारा कुलसचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

301–शोध-प्रबंध का प्रस्तुतीकरण– कोई भी शोध–प्रबंध परीक्षा के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तकः

(एक) वह शोध के क्रियान्वयन के लिए इस अध्यादेश द्वारा विहित अवधि के भीतर न जमा किया गया हो।

(दो) शोधार्थी शोध-प्रबंध की छह प्रतियाँ – टंकित या मुद्रित – संक्षेपिका की छह प्रतियों के साथ जमा नहीं करता है। शोधार्थी शोध–प्रबंध तथा संक्षेपिका की दो सॉफ्ट प्रतियाँ भी जमा करेगा।

(तीन) शोध-प्रबंध का आकार ए–4 होगा, फॉन्ट निम्नानुसार होगा–

1. अंग्रेजी–टंकण (टाईपिंग) :
   - (एक) फॉन्ट स्टाइल – टाइम्स न्यू रोमन
   - (दो) फॉन्ट साइज – 12
   - (तीन) स्पेसिंग – 2.0
2. हिंदी – टंकण (टाईपिंग) :
   - (एक) फॉन्ट स्टाइल – एरियल यूनीकोड एम0एस0/कोकिला/अपराजिता
   - (दो) फॉन्ट साइज – 14
   - (तीन) स्पेसिंग – 2

(चार) शोधकर्ता विश्वविद्यालय–पुस्तकालय, शुल्क प्रकोष्ठ, छात्रावास, इत्यादि से यथालागू ''अशेष'' (नो ड्यूज) प्रमाण-पत्र जमा करेंगे।

302–शोध-प्रबंध के साथ घोषणा–

शोधार्थी को एक हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत शोध–प्रबंध मौलिक योगदान है और प्रस्तुत शोध प्रबंध तात्विक रूप से वही नहीं है, जो भारत या किसी अन्य देश में किसी विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय में उपाधि या किसी अन्य शैक्षणिक अर्हता के लिए प्रस्तुत किया गया हो। (परिशिष्ट–15 के अनुसार)

303–परीक्षकों की नियुक्ति–

(1) आठ परीक्षकों का एक पैनल संकायाध्यक्ष द्वारा विभागाध्यक्ष से परामर्श करके विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। कुलपति (यदि आवश्यक हो) कुछ और परीक्षकों के नाम जोड़ सकेगा।

(2) शोध-प्रबंध को मूल्यांकन के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त तीन परीक्षकों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

304–शोध–प्रबंध का मूल्यांकन–

(1) समस्त परीक्षकों से अनुकूल प्रतिवेदन अनिवार्य है।

(2) यदि कोई परीक्षक शोध-प्रबंध प्राप्त होने की तिथि से छह माह के भीतर प्रतिवेदन नहीं भेजता हैं, तो कुलपति नए परीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा।

(3) परीक्षक अपना प्रतिवेदन मुहर बंद लिफाफों में पृथक–पृथक भेजेंगे।

(4) यदि दो/समस्त परीक्षकों के प्रतिवेदन नकारात्मक हैं, तो प्रतिवेदनों को विद्या–परिषद् के समक्ष रखा जाएगा और विद्या-परिषद् की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् शोध-प्रबंध को अस्वीकृत कर देगी।

(5) शोधार्थी का कार्य उपाधि प्रदान करने की योग्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगाः–

(क) वह एक या अधिक अध्ययन शाखाओं में उत्कृष्टता के साथ ज्ञान में वृद्धि करने वाला सारभूत कार्य हो;

(ख) वह शोध के नए क्षेत्रों को खोलने अथवा पूर्व-अन्वेषणों के परिणामों पर उल्लेखनीय प्रगति करने या पूर्वज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या प्रस्तुत करने के संदर्भ में मूल कार्य हो;

(ग) वह उच्च योग्यता का विद्वतापूर्ण कार्य हो;

(घ) वह किसी अन्य के साथ मिलकर किया गया कार्य न होकर शोधार्थी का स्वयं का कार्य हो।

(6) परीक्षक निम्नलिखित बिंदुओं पर विनिर्दिष्ट अभिमत प्रस्तुत करेंगेः–

(क) क्या शोध-प्रबंध में मौलिक शोध कार्य समाहित है जो नए तथ्यों के अन्वेषण से अथवा तथ्यों एवं सिद्धान्तों के निर्वचन के नए उपागम (अप्रोच) से संवलित है;

(ख) वह कार्य कहाँ तक अभ्यर्थी की मौलिक सोच, आलोचनात्मक परीक्षण और तटस्थ निर्णय की क्षमता को व्यक्त करता है;

(ग) क्या शोध-प्रबंध भाषा और विषय–वस्तु के प्रस्तुतीकरण में संतोषजनक है;

(घ) क्या शोध-प्रबंध डी0 लिट0 की उपाधि के लिए अनुमोदित किया जा सकता है।

(7) परीक्षकों को विहित प्रपत्र में मौखिक परीक्षा के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची के साथ विस्तृत प्रतिवेदन भी देना होगा।

(8) यदि परीक्षक शोध–प्रबंध में संशोधन सुझाते हैं, उन्हें उन बिंदुओं का विस्तृत प्रतिवेदन देना होगा, जिन पर शोध–प्रबंध को संशोधित और पुनः प्रस्तुत किया जाना हो।

305–मौखिक परीक्षा–

(1) प्रत्येक शोधार्थी को स्वयं एक विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना अपेक्षित होगा। शोध प्रबंधक की परीक्षा के लिए नियुक्त परीक्षक ऐसी मौखिक परीक्षा संचालित करेंगे।

(2) यदि तीन में से कोई या कोई भी, परीक्षक मौखिक परीक्षा के संचालन में असमर्थ हैं, कुलपति किसी अन्य विषय विशेषज्ञ को मौखिक परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त करेगा।

(3) दो परीक्षक मौखिक परीक्षा लेंगे। कुलपति पैनल के उन परीक्षकों को नियुक्त करेंगे, जिन्होंने शोध–प्रबंध का मूल्यांकन किया है।

(4) यदि शोधार्थी मौखिक परीक्षा में असफल होता है, तो परीक्षक उसे मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और अवसर देंगे। यदि शोधार्थी द्वितीय मौखिक परीक्षा में असफल हो जाता है, शोध–प्रबंध अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(5) मौखिक परीक्षा हेतु आमंत्रित परीक्षकों को उनके द्वारा यथालागू समस्त समुचित रसीदें प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार संदाय होगा।

306–परीक्षक का प्रतिवेदन–

(1) मौखिक परीक्षा के पश्चात् बाद, शोध–प्रबंध के मूल्यांकन का प्रतिवेदन कुलपति के समक्ष रखा जाएगा, जो अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात् परिणाम की घोषणा करेगा और उसे विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि प्रदान करने हेतु अनुमोदन के लिए परीक्षा परिषद् के समक्ष रखे जाने के लिए अग्रेषित करेगा और तद्नुसार कार्यपरिषद् को सूचित किया जाएगा।

(2) परिणाम की घोषणा के पश्चात् सफल शोधार्थी मौखिक परीक्षा की तिथि से उपाधि का हकदार होगा।

307–शोध-प्रबंध का पुनरीक्षण–

(1) यदि दो परीक्षक शोध–प्रबंध को अनुमोदित करते हैं और तीसरा अस्वीकृत/पुनरीक्षण का सुझाव देता है, तो शोध–प्रबंध को कुलपति द्वारा नियुक्त चौथे परीक्षक के पास मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा (पूर्व–परीक्षकों के प्रतिवेदनों के बिना)

(2) यदि चौथे परीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को शोध–प्रबंध पुनरीक्षित करने के लिए कहा जाता है, अभ्यर्थी को परीक्षक द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर पुनरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। परीक्षक की टिप्पणियाँ परीक्षक की पहचान गुप्त रखते हुए अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि समस्त तीनों परीक्षक पुनरीक्षण/अस्वीकृति का सुझाव देते हैं, अथवा दो परीक्षक पुनरीक्षण/अस्वीकृति की सलाह देते हैं और तीसरा अनुमोदित करता है, तो शोध–प्रबंध अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(4) परीक्षकों की अनुशंसाओं पर कुलपति शोधार्थी को उस तिथि से छः माह से अन्यून और अट्ठारह से अनधिक अवधि के भीतर पुनरीक्षित रूप में अपना शोध–प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा–जब उसे इस सम्बंध में विनिश्चय की संसूचना प्राप्त होती है।

(5) यदि परीक्षक पुनरीक्षित शोध–प्रबंध पर उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा करते हैं, तब अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

(6) पुनरीक्षित शोध–प्रबंध पर उपाधि प्रदान की जाने की अनुशंसा समस्त परीक्षकों की होनी चाहिए, अन्यथा शोध–प्रबंध को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(7) किसी भी अभ्यर्थी को एक से अधिक बार पुनरीक्षित रूप में शोध–प्रबंध जमा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। पुनरीक्षित शोध–प्रबंध को उन्हीं परीक्षकों को निर्दिष्ट की जाएगी, जिन्होंने पहली बार शोध–प्रबंध का परीक्षण किया है।

(8) पुनरीक्षित शोध–प्रबंध के मुखपृष्ठ पर निम्नलिखित कथन होगाः–

''डॉक्टर ऑफ लेटर्स उपाधि के लिए प्रस्तुत पुनरीक्षित शोध–प्रबंध''

(यह शोध–प्रबंध के प्रथम प्रस्तुतीकरण हेतु कथन के स्थान पर लिखा जाएगा, जो इस प्रकार हैः ''डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध–प्रबंध'')

308–उपाधि की वापसी– यदि बाद में कोई अनियमितता पाई जाती है, विश्वविद्यालय उपाधि को वापस ले लेगा।

309–फीस– शोधार्थी को विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार डी0लिट0 उपाधि से सम्बंधित फीस देना होगा।

310–शोध–प्रबंध का प्रकाशन–

(1) यदि शोध–प्रबंध, जिस पर विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि प्रदान की है, शोधार्थी द्वारा या उसके निमित्त या अन्य व्यक्ति या शोध प्रबंध प्रकाशित करने वाले अभिकरण जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो प्रमुखता से यह दर्शाया जाएगा कि शोध–प्रबंध भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया था।

(2) शोधार्थी अपनी प्रकाशित पुस्तक की दों प्रतियाँ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रकाशन के प्रयोजनार्थ, डी0लिट0 शोधार्थी परीक्षकों के प्रतिवेदन के लिए अपेक्षित फीस जमा करने के पश्चात् निवेदन कर सकेगा।

311–अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना– किसी भी शोधार्थी को किसी अध्ययन–पाठ्यक्रम में भाग लेने या विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्था की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा उस अवधि में नहीं होगी, जिस दौरान वह इस विश्वविद्यालय में शोध छात्र के रूप में कार्य कर रहा हो।

312–यदि अभ्यर्थी सेवारत है, तो नियोक्ता का एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करेगा।

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
अपर मुख्य सचिव।

अध्यादेश–8

परिशिष्ट–1

क्रेडिट फ्रम वर्क						
सेमे0 प्रथम	डी0एस0सी0	डी0एस0ई0	ए0ई0सी0	एस0ई0सी0	वी0ए0सी0	कुल
	10	4	2	2	2	20
	मुख्य	निर्वाचित	अंग्रेजी			
सेमे0 द्वितीय	डी0एस0सी0	डी0एस0ई0	ए0ई0सी0	एस0ई0सी0	वी0ए0सी0	कुल
	10	4	2	2	2	20
	मुख्य	निर्वाचित	अंग्रेजी			
सेमे0 तृतीय	डी0एस0सी0	डी0एस0ई0	ए0ई0सी0	एस0ई0सी0	वी0ए0सी0	कुल
	10	4	2	2	2	20
	मुख्य	निर्वाचित	ए0ई0सी0			
सेमे0 चतुर्थ	डी0एस0सी0	डी0एस0ई0	ए0ई0सी0	एस0ई0सी0	वी0ए0सी0	कुल
	10	4	2	2	2	20
	मुख्य	निर्वाचित	ई0वी0एस0			
सेमे0 पंचम	डी0एस0सी0	डी0एस0ई0	बहु–विषयक	एस0ई0सी0	वी0ए0सी0	कुल
	10	4	2	2	2	20
	मुख्य	निर्वाचित	हिन्दी या संस्कृत			
सेमे0 षष्ठम	डी0एस0सी0	डी0एस0ई0	बहु–विषयक	एस0ई0सी0	वी0ए0सी0	कुल
	10	4	2	2	2	20
	मुख्य	निर्वाचित	हिन्दी या संस्कृत			
सेमे0 सप्तम	**डी0एस0सी0**					कुल
	मौखिक परीक्षा	मंच प्रदर्शन	प्रशिक्षण	अनुसंधान प्रविधि		22
	10	4	2	6		
सेमे0 अष्टम	मौखिक परीक्षा	मंच प्रदर्शन	प्रकरण	कार्यक्रम रिपोर्टिंग		कुल
	10	4	6	2		22
					कुल योग	**164**

डी0एस0सी0 – डिसिप्लीन स्पेसिफिक कोर्स (विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम)
डी0एस0ई0 – डिसिप्लीन स्पेसिफिक इलेक्टिव (विषय विशिष्ट वैकल्पिक)
ए0ई0सी0 – एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स (योग्यता–विकास पाठ्यक्रम)
एस0ई0सी0 – स्किल इनहाँसमेंट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम)
वी0ए0सी0 – वैल्यू एडेड कोर्स (मूल्य आधारित पाठ्यक्रम)
ई0वी0एस0 – इनवायरनमेंटल स्टडीज (पर्यावरण अध्ययन)

अध्यादेश–9

परिशिष्ट– 2

वाद्य (स्वरवाद्य) संगीत, तालवाद्य और नृत्य (कथक और भरतनाट्यम) के लिए एम0पी0ए0 के लिए परीक्षा की योजना।

सेमेस्टर–प्रथम

पाठ्यक्रम		बाह्य मूल्यांकन		आन्तरिक मूल्यांकन		अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
		अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक		
प्रश्न-पत्र–I	सैद्धान्तिक	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–II	सैद्धान्तिक	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–III	प्रयोगात्मक –I मौखिक परीक्षा	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–IV	प्रयोगात्मक –II रंगमंच प्रदर्शन	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–V	परियोजना	100	40	-	-	100	40
	कुल	**380**	**152**	**120**	**48**	**500**	**200**

सेमेस्टर–द्वितीय

पाठ्यक्रम		बाह्य मूल्यांकन		आन्तरिक मूल्यांकन		अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
		अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक		
प्रश्न-पत्र–I	सैद्धान्तिक	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–II	सैद्धान्तिक	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–III	प्रयोगात्मक –I मौखिक परीक्षा	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–IV	प्रयोगात्मक –II रंगमंच प्रदर्शन	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–V	परियोजना	100	40	-	-	100	40
	कुल	**380**	**152**	**120**	**48**	**500**	**200**

सेमेस्टर–तृतीय

पाठ्यक्रम		बाह्य मूल्यांकन		आन्तरिक मूल्यांकन		अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
		अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक		
प्रश्न-पत्र–I	सैद्धान्तिक	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–II	सैद्धान्तिक	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–III	प्रयोगात्मक –I मौखिक परीक्षा	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–IV	प्रयोगात्मक –II रंगमंच प्रदर्शन	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–V	परियोजना	100	40	-	-	100	40
	कुल	**380**	**152**	**120**	**48**	**500**	**200**

सेमेस्टर–चतुर्थ

पाठ्यक्रम		बाह्य मूल्यांकन		आन्तरिक मूल्यांकन		अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
		अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक		
प्रश्न-पत्र–I	सैद्धान्तिक	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–II	सैद्धान्तिक	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–III	प्रयोगात्मक –I मौखिक परीक्षा	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–IV	प्रयोगात्मक –II रंगमंच प्रदर्शन	70	28	30	12	100	40
प्रश्न-पत्र–V	परियोजना	100	40	-	-	100	40
	कुल	**380**	**152**	**120**	**48**	**500**	**200**

नोटः सम्बंधित विषयों के पाठ्यक्रम गायन और वाद्य (स्वरवाद्य) संगीत, तालवाद्य, नृत्य (कथक, भरतनाट्यम) में उल्लिखित नामकरण के सम्बंध में परिणाम और मार्कशीट तैयार करते समय विषयों और पेपरों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं।

अध्यादेश–10

परिशिष्ट–3

चित्रकला में बी0वी0ए0 के लिए पाठ्यक्रम संरचना

दृश्य कला स्नातक

बी0वी0ए0– प्रथम सेमेस्टर (आधारभूत पाठ्यक्रम)

प्रश्न-पत्र	प्रश्न-पत्र का नाम	क्रेडिट समय	बाह्य प्रतिशत		आन्तरिक प्रतिशत		कुल अधिकतम अंक	कुल न्यूनतम अंक
			अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक		
I	कला का इतिहास (सिंधु घाटी सभ्यता से गुप्त काल तक)	2	70	23	30	10	100	33
II	अंग्रेजी / हिन्दी भाषा	2	70	23	30	10	100	33
III	पर्यावरण अध्ययन	2	70	23	30	10	100	33
IV	चित्रकला	3	70	28	30	12	100	40
V	रूपरेखा 2डी	5	70	28	30	12	100	40
VI	रूपरेखा 3डी	5	70	28	30	12	100	40
VII	मुद्रण करना	5	70	28	30	12	100	40
कुल क्रेडिट		**24**	**कुल अंक**				**700**	**259**

बी0वी0ए0– द्वितीय सेमेस्टर (मूल पाठ्यक्रम)

प्रश्न-पत्र	प्रश्न-पत्र का नाम	क्रेडिट समय	बाह्य प्रतिशत		आन्तरिक प्रतिशत		कुल अधिकतम अंक	कुल न्यूनतम अंक
			अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक		
I	कला का इतिहास (सिंधु घाटी सभ्यता से गुप्त काल तक)	2	70	23	30	10	100	33
II	अंग्रेजी / हिन्दी भाषा	2	70	23	30	10	100	33
III	पर्यावरण अध्ययन	2	70	23	30	10	100	33
IV	चित्रकला	3	70	28	30	12	100	40
V	रूपरेखा 2डी	5	70	28	30	12	100	40
VI	रूपरेखा 3डी	5	70	28	30	12	100	40
VII	मुद्रण करना	5	70	28	30	12	100	40
कुल क्रेडिट		**24**	**कुल अंक**				**700**	**259**

बी0वी0ए0– तृतीय सेमेस्टर (चित्रकला में विशेषज्ञता)

प्रश्न-पत्र	प्रश्न-पत्र का नाम	क्रेडिट समय	बाह्य प्रतिशत		आन्तरिक प्रतिशत		कुल अधिकतम अंक	कुल न्यूनतम अंक
			अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक		
I	कला का इतिहास	3	70	23	30	10	100	33
II	तकनीकी सिद्धान्त	3	70	23	30	10	100	33
III	चित्रकला	8	70	28	30	12	100	40
IV	संघटन	8	70	28	30	12	100	40
V	वैकल्पिक विषय (कोई एक)	2	70	28	30	12	100	40
	परिदृश्य							
	आपदा प्रबंधन							
	योगा							
	लकड़ी काटना / लिनोकट							
कुल क्रेडिट		**24**	**कुल अंक**				**500**	**186**

बी0वी0ए0– चतुर्थ सेमेस्टर (चित्रकला में विशेषज्ञता)

प्रश्न-पत्र	प्रश्न-पत्र का नाम	क्रेडिट समय	बाह्य प्रतिशत		आन्तरिक प्रतिशत		कुल अधिकतम अंक	कुल न्यूनतम अंक
			अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक		
I	कला का इतिहास	3	70	23	30	10	100	33
II	सौंदर्यशास्त्र	3	70	23	30	10	100	33
III	चित्रकला	8	70	28	30	12	100	40
IV	संघटन	8	70	28	30	12	100	40
V	वैकल्पिक विषय (कोई एक)	2	70	28	30	12	100	40
	परिदृश्य							
	अंग्रेजी भाषा और संचार कौशल							
	यात्रा और पर्यटन							
	कार्यात्मक हिन्दी							
कुल क्रेडिट		**24**	**कुल अंक**				**500**	**186**

बी0वी0ए0– पंचम सेमेस्टर (चित्रकला में विशेषज्ञता)

प्रश्न-पत्र	प्रश्न-पत्र का नाम	क्रेडिट समय	बाह्य प्रतिशत		आन्तरिक प्रतिशत		कुल अधिकतम अंक	कुल न्यूनतम अंक
			अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक		
I	कला का इतिहास	3	70	23	30	10	100	33
II	सौंदर्यशास्त्र	3	70	23	30	10	100	33
III	चित्रकला	8	70	28	30	12	100	40
IV	संघटन	8	70	28	30	12	100	40
V	वैकल्पिक विषय (कोई एक)	2	70	28	30	12	100	40
	मुद्रण एवं प्रकाशन							
	कम्प्यूटर अनुप्रयोग							
	क्ले मॉडलिंग							
कुल क्रेडिट		**24**	**कुल अंक**				**500**	**186**

बी0वी0ए0– षष्ठम सेमेस्टर (चित्रकला में विशेषज्ञता)

प्रश्न-पत्र	प्रश्न-पत्र का नाम	क्रेडिट समय	बाह्य प्रतिशत		आन्तरिक प्रतिशत		कुल अधिकतम अंक	कुल न्यूनतम अंक
			अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक		
I	कला का इतिहास	3	70	23	30	10	100	33
II	प्रोजेक्ट/संगोष्ठी	3	70	28	30	12	100	40
III	चित्रकला	8	70	28	30	12	100	40
IV	संघटन	8	70	28	30	12	100	40
V	वैकल्पिक विषय (कोई एक)	2	70	28	30	12	100	40
	व्यक्तित्व विकास							
	सुगम संगीत/लोक संगीत							
कुल क्रेडिट		**24**	**कुल अंक**				**500**	**193**

बी0वी0ए0– सप्तम सेमेस्टर (चित्रकला मं विशेषज्ञता)

प्रश्न-पत्र	प्रश्न-पत्र का नाम	क्रेडिट समय	बाह्य प्रतिशत		आन्तरिक प्रतिशत		कुल अधिकतम अंक	कुल न्यूनतम अंक
			अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक		
I	कला का इतिहास	3	70	23	30	10	100	33
II	सौंदर्यशास्त्र(पश्चिमी)	3	70	23	30	10	100	33
III	चित्रकला	8	70	28	30	12	100	40
IV	संघटन	8	70	28	30	12	100	40
V	वैकल्पिक विषय (कोई एक)	2	70	28	30	12	100	40
	चित्रांकन							
	कला समीक्षा							
	लक्जरी उत्पाद डिजाइन (प्रदर्शनी एवं मौखिक)							
कुल क्रेडिट		**24**	**कुल अंक**				**500**	**186**

बी0वी0ए0– अष्टम सेमेस्टर (चित्रकला में विशेषज्ञता)

प्रश्न-पत्र	प्रश्न-पत्र का नाम	क्रेडिट समय	बाह्य प्रतिशत		आन्तरिक प्रतिशत		कुल अधिकतम अंक	कुल न्यूनतम अंक
			अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक		
I	कला का इतिहास	3	70	23	30	10	100	33
II	प्रोजेक्ट/संगोष्ठी (भारत में समकालीन कला)	3	70	28	30	12	100	40
III	चित्रकला	8	70	28	30	12	100	40
IV	संघटन	8	70	28	30	12	100	40
V	वैकल्पिक विषय (कोई एक)	2	70	28	30	12	100	40
	चित्रांकन							
	कला समीक्षा							
	लक्जरी उत्पाद डिजाइन (प्रदर्शनी एवं मौखिक)							
कुल क्रेडिट		**24**	**कुल अंक**				**500**	**193**

नोटः

01–तकनीकी सिद्धांत/सेमिनार/प्रोजेक्ट/असाइनमेंट सम्बंधित विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा।

02–प्रत्येक सेमेस्टर के लिए आंतरिक मूल्यांकन कक्षा शिक्षक या संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

अध्यादेश–12

परिशिष्ट–4

ग्रेड अंक	विवरण	अंक प्रतिशत	श्रेणी/ग्रेड
9.1-10	असाधारण	90-100	First/ O
8.1-9	उत्कृष्ट	80-89	First/ A
7.1-8	बहुत अच्छा	70-79	First/ B
6.1-7	अच्छा	60-69	First/ C
5.1-6	ठीक	48-59	Second/ D
4.1-5	औसत	36-47	Pass/ E
0.0-4	ड्राप्ड	36 से कम	F

अध्यादेश संख्या–11

संरचना यूजी कार्यक्रम (तीन वर्ष/चार वर्ष)– प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और पुरातत्व
परिशिष्ट–5

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	प्रमुख 1		प्रमुख 2		माइनर		सीसी/वीसी		कुल क्रेडिट	पुरस्कार
	प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और पुरातत्व			क्रेडिट		क्रेडिट		क्रेडिट		क्रेडिट		
1	सेमेस्टर 1	पेपर 1	प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत्र और समयरेखा	4	पेपर 1	4	पेपर 1	4	सीसी 1	4	24	प्रमाण-पत्र
		पेपर 2	प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ई0पू0 से 187 ई0पू0	4	पेपर 2	4						
	सेमेस्टर 2	पेपर 3	प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 187 ई0पू0 से 550 ई0पू0	4	पेपर 3	4	पेपर 3	4	वीसी 1	4	24	

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	प्रमुख 1		प्रमुख 2		माइनर		सीसी / वीसी		कुल क्रेडिट	पुरस्कार
		पेपर 4	प्राचीन भारत का इतिहास लेखन	4	पेपर 4	4						
2	सेमेस्टर 3	पेपर 5	प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 550 ई0पू0 से 750 ई0पू0	4	पेपर 5	4	पेपर 6	4	सीसी 2	4	24	डिप्लोमा
		पेपर 6	प्राचीन भारतीय सामाजिक संगठन	4	पेपर 6	4						
	सेमेस्टर 4	पेपर 7	क्षेत्र पुरातत्व	4	पेपर 7	4	पेपर 8	4	वीसी 2	4	24	
		पेपर 8	प्राचीन भारतीय आर्थिक संगठन	4	पेपर 8	4						
3	सेमेस्टर 5	पेपर 9	प्राचीन भारतीय पुरालेख एवं पुरालेख	4	पेपर 9	4			प्रशिक्षण / टर्म पेपर	4	24	बी0ए0 डिग्री
		पेपर 10	प्राचीन भारत की धार्मिक प्रणालियाँ	4	पेपर 10	4						
		पेपर 11	प्रारंभिक मध्यकालीन उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास	4								

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	प्रमुख 1		प्रमुख 2		माइनर		सीसी / वीसी		कुल क्रेडिट	पुरस्कार
	सेमेस्टर 6	पेपर 12	प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र	4	पेपर 11	4			लघु परियोजना	4	24	
		पेपर 13	भारत का प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास	4	पेपर 12	4						
		पेपर 14	प्राचीन भारतीय वास्तुकला	4								
4	सेमेस्टर 7	पेपर 15	अशोका- एक विशेष अध्ययन	4					अनुसंधान परियोजना	12	अनुसंधान परियोजना	बी0ए0 अनुसंधान
		पेपर 16	प्राचीन विश्व सभ्यताएं	4								
		पेपर 17	प्राचीन भारत की मूर्तिकला एवं चित्रकला	4								
	सेमेस्टर 8								प्रमुख परियोजना	24	24	
				68		**48**		**16**		**60**	**192**	

*यह पाठ्यक्रम प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व जैसे माइनर विषय के छात्रों के लिये है।

अध्यादेश संख्या–11

संरचना यूजी कार्यक्रम (तीन वर्ष/चार वर्ष)– बौद्ध दर्शन
परिशिष्ट –5

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	प्रमुख 1		प्रमुख 2		माइनर		सीसी / वीसी		कुल क्रेडिट	पुरस्कार
	बौद्ध दर्शन			क्रेडिट		क्रेडिट		क्रेडिट		क्रेडिट		
1	सेमेस्टर 1	पेपर 1	बुद्ध और संघ–1*	4	पेपर 1	4	पेपर 1	4	सीसी 1	4	24	प्रमाण-पत्र
		पेपर 2	बुद्ध की शिक्षायें–1	4	पेपर 2	4						
	सेमेस्टर 2	पेपर 3	बुद्ध और संघ– 2	4	पेपर 3	4	पेपर 3	4	वीसी 1	4	24	
		पेपर 4	बुद्ध की शिक्षा– 2*	4	पेपर 4	4						
2	सेमेस्टर 3	पेपर 5	बौद्ध संप्रदाय– 1*	4	पेपर 5	4	पेपर 6	4	सीसी 2	4	24	डिप्लोमा
		पेपर 6	बौद्ध दार्शनिक– 1	4	पेपर 6	4						
	सेमेस्टर 4	पेपर 7	बौद्ध संप्रदाय– 2	4	पेपर 7	4	पेपर 8	4	वीसी 2	4	24	
		पेपर 8	बौद्ध दार्शनिक– 2*	4	पेपर 8	4						

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	प्रमुख 1		प्रमुख 2		माइनर		सीसी / वीसी		कुल क्रेडिट	पुरस्कार
3	सेमेस्टर 5	पेपर 9	श्रीलंका में बौद्ध धर्म –1	4	पेपर 9	4			प्रशिक्षण / टर्म पेपर	4	24	बी0 ए0 डिग्री
		पेपर 10	चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म– 1	4	पेपर 10	4						
		पेपर 11	दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म– 1	4								
	सेमेस्टर 6	पेपर 12	श्रीलंका में बौद्ध धर्म – 2	4	पेपर 11	4			लघु परियोजना	4	24	
		पेपर 13	चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म – 2	4	पेपर 12	4						
		पेपर 14	दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म– 2	4								
4	सेमेस्टर 7	पेपर 15	बौद्ध शिक्षा	4					अनुसंधान परियोजना	12	अनुसंधान परियोजना	बी0ए0 अनुसंधान
		पेपर 16	बौद्ध कला, वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान	4								
		पेपर 17	बौद्ध धार्मिक स्थल	4								
	सेमेस्टर 8								प्रमुख परियोजना	24	24	
				68		**48**		**16**		**60**	**192**	

*यह पाठ्यक्रम बौद्ध दर्शन जैसे छोटे विषय वाले छात्रों के लिए है।

अध्यादेश संख्या–11

संरचना यूजी कार्यक्रम (तीन वर्ष / चार वर्ष)– पालि
परिशिष्ट –5

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	प्रमुख 1		प्रमुख 2		माइनर		सीसी / वीसी		कुल क्रेडिट	पुरस्कार
	पालि			क्रेडिट		क्रेडिट		क्रेडिट		क्रेडिट		
1	सेमेस्टर 1	पेपर 1	पालि साहित्य की रूपरेखा	4	पेपर 1	4	पेपर 1	4	सीसी 1	4	24	प्रमाण-पत्र
		पेपर 2	पालि भाषा का परिचय*	4	पेपर 2	4						
	सेमेस्टर 2	पेपर 3	पालि विनयपिटक साहित्य	4	पेपर 3	4	पेपर 3	4	वीसी 1	4	24	
		पेपर 4	प्रारम्भिक पालि व्याकरण*	4	पेपर 4	4						
2	सेमेस्टर 3	पेपर 5	पालि सुत्तपिटक साहित्य	4	पेपर 5	4	पेपर 6	4	सीसी 2	4	24	डिप्लोमा
		पेपर 6	उच्चतर पालि व्याकरण–1*	4	पेपर 6	4						
	सेमेस्टर 4	पेपर 7	पालि त्रिपिटक साहित्य का परिचय *	4	पेपर 7	4	पेपर 8	4	वीसी 2	4	24	
		पेपर 8	पालि अनुवाद एवं निबन्ध	4	पेपर 8	4						

वर्ष	सेमेस्टर	पाठ्यक्रम	प्रमुख 1		प्रमुख 2		माइनर		सीसी / वीसी		कुल क्रेडिट	पुरस्कार
3	सेमेस्टर 5	पेपर 9	पालि वंश साहित्य	4	पेपर 9	4			प्रशिक्षण / टर्म पेपर	4	24	बी0 ए0 डिग्री
		पेपर 10	उच्चतर पालि व्याकरण–2	4	पेपर 10	4						
		पेपर 11	पालि काव्य साहित्य	4								
	सेमेस्टर 6	पेपर 12	आधुनिक भारत के पालि साहित्यकार	4	पेपर 11	4			लघु परियोजना	4	24	
		पेपर 13	पालि अभिधम्मपिटक साहित्य	4	पेपर 12	4						
		पेपर 14	पालि साहित्य में बौद्ध ध्यान साधना	4								
4	सेमेस्टर 7	पेपर 15	बौद्ध कला और वास्तुकला	4					अनुसंधान परियोजना	12	अनुसंधान परियोजना	बी0ए0 अनुसंधान
		पेपर 16	बौद्ध धर्म का विकास (3वीं शताब्दी ई0पू0 तक)	4								
		पेपर 17	शोध पद्धति	4								
	सेमेस्टर 8								प्रमुख परियोजना	24	24	
				68		48		16		60	192	

* पालि जैसे विषय वाले छात्रों को पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएगी।

अध्यादेश–13

परिशिष्ट–6

प्रवेशिका–एक

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	प्रायोगिक	100	33%

प्रवेशिका–दो

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	प्रायोगिक	50	33%
2	सैद्धान्तिक	150	33%

अध्यादेश–14

परिशिष्ट–7

परिचय–एक के लिए प्रश्न-पत्रों की कार्य योजना

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
1	सैद्धान्तिक –1	100	33	33%
2	प्रायोगिक	200	66	33%

परिचय–दो के लिए प्रश्न-पत्रों की कार्य योजना

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
1	सैद्धान्तिक –1	100	33	33%
2	प्रायोगिक	200	66	33%

अध्यादेश–15

परिशिष्ट–8

प्रबुद्ध–एक के प्रश्न-पत्रों की कार्य–योजना

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
1	सैद्धान्तिक–एक	100	33	33%
2	सैद्धान्तिक–दो	100	33	33%
3	आंतरिक मूल्यांकन	40	15	33%
4	प्रायोगिक	160	53	33%

प्रबुद्ध–दो के प्रश्न-पत्रों की कार्य–योजना

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
1	सैद्धान्तिक–I	100	33	33%
2	सैद्धान्तिक–II	100	33	33%
3	आंतरिक मूल्यांकन	40	15	33%
4	प्रायोगिक	160	53	33%

अध्यादेश–16

परिशिष्ट–9

पारंगत–एक के प्रश्न-पत्रों की स्कीम

प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
सैद्धान्तिक–एक	100	33	33%
सैद्धान्तिक–दो	100	33	33%
प्रायोगिक			
प्रक्रम	80	26	33%
मौखिकी	160	53	33%
आंतरिक मूल्यांकन	60	20	33%

पारंगत–दो के प्रश्न-पत्रों की स्कीम

प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रतिशत
सैद्धान्तिक–एक	100	33	33%
सैद्धान्तिक–दो	100	33	33%
प्रायोगिक			
प्रक्रम	80	26	33%
मौखिकी	160	53	33%
आंतरिक मूल्यांकन	60	20	33%

अध्यादेश–17

परिशिष्ट–10

भाग–एक

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	प्रायोगिक	200	33%
2	सैद्धान्तिक	100	33%

भाग–दो

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	प्रायोगिक	200	33%
2	सैद्धान्तिक	100	33%

अध्यादेश–18

परिशिष्ट–11

क्र0	प्रश्न-पत्र का नाम	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	प्रायोगिक	100	33%
2	सैद्धान्तिक	100	33%

परिशिष्ट–12

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
डी0 लिट0 उपाधि के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन-पत्र

प्रति

कुलसचिव,
भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का छायाचित्र (फोटो)

महोदय,

मैं विश्वविद्यालय की डी0 लिट0 उपाधि के लिए अपना नाम पंजीकृत करने हेतु निवेदन करता/करती हूँ। आवेदन शुल्क रु0 ..... नकद/ आई0पी0ओ0 डी0डी0/क्र0.....दिनांक..... द्वारा जमा कर दिया गया है। मैंने भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ की डॉक्टर ऑफ लेटर्स उपाधि को अधिशासित करने वाले अध्यादेश को पढ़ लिया है तथा उन नियमों से अपनी प्रतिबद्धता स्वीकार करता/करती हूँ।

मैं अपनी योग्यता, शोध–विषय, इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ।

स्थान :
दिनांकः

(आवेदक के हस्ताक्षर)

1-पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
(अ) अंग्रेजी में.....
(ब) हिंदी में .....
2-जन्म दिनांक.....(शब्दों में).....
3-विवाहित/अविवाहित .....
4- पुरुष/महिला.....
5-पिता/माता/पति का नाम.....
6-उनका पूर्ण पता (पत्र व्यवहार का)
.....
.....
7-अभ्यर्थी का स्थायी निवास पूर्ण पते सहित.....
8-वर्तमान पता (पत्र–व्यवहार के लिए) .....
9-वर्तमान व्यवसाय (यदि कोई हो) .....
धारित पद, नियोक्ता का नाम एवं पता .....
.....
(यदि कर्मचारी हैं, शोधकार्य करने हेतु नियोक्ता की अनुमति एवं आवश्यक अवकाश देने हेतु पत्र संलग्न किया जाए)
10-(अ) अभिभावक का पूरा नाम व पता.....
(ब) अभिभावक से अभ्यर्थी का संबंध.....
11-(अ) जाति.....
(ब) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं.....
(स) धर्म.....
(द) राष्ट्रीयता.....

12-उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण

परीक्षा का नाम	श्रेणी	प्रतिशत / अंक	वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम

(अ) उपाधि–परीक्षा तक का विवरण

1- हायर सेकेंडरी

2- बी0ए0 / बी0पी0ए0 / बी0म्यूज / एम0ए0 / एम0पी0ए0 / एम0म्यूज0

3- कोई अन्य परीक्षा

(उपर्युक्त परीक्षाओं की अंकसूचियों की अभिप्रमाणित सत्य प्रतियाँ अवश्य संलग्न की जाएँ)।

(ब) पीएच0डी0 उपाधि का विवरण.....

विश्वविद्यालय .....

विभाग.....

संकाय .....

शोध–प्रबंध का शीर्षक.....

निर्देशक / संयुक्त निर्देशक का नाम एवं पद.....

पीएच0डी0 उपाधि प्रदाय की दिनांक.....

(**टीप**–आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करें।)

13- (अ) विषय, जिसमें अभ्यर्थी ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की.....

(बं) विशेषीकरण.....

14- महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में अध्यापन महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम

.....

पद.....

अवधि..... से .....

(नियोक्ता का प्रमाण-पत्र)

.....

15- शोध–अनुभव

(अ) आवेदक के निर्देशन में शोध के लिए प्रदत्त अभ्यर्थियों की पीएच0डी0 की संख्या–.....

(सूची एवं शीर्षक संलग्न करें।)

.....

.....

(ब) प्रकाशित शोध–पत्रों की संख्या.....

	शोध–पत्रों का शीर्षक	पत्रिकाएँ, जिनमें प्रकाशित हुए (वर्ष, खंड, संख्या)
(1)	.....	.....
(2)	.....	.....
(3)	.....	.....
(4)	.....	.....
(5)	.....	.....
(6)	अन्य प्रकाशन.....	

16-शोध का प्रस्तावित विषय.....

17-विशेषीकरण.....

18-शोध के लिए उपर्युक्त विषय चुनने के कारण .....

.....

19-रूपरेखा की पाँच टंकित प्रतियाँ क्या संलग्न है?.....

20-यह आवश्यक है कि आवेदन–पत्र समुचित ढंग से भरा गया है और समस्त संलग्नक संलग्न हों, जिनके अभाव में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। समस्त संलग्नक संख्यांकित एवं निम्नानुसार क्रमबद्ध उल्लिखित हैं।

क्र0 सं0	आवश्यकता	प्रस्तुत की जाने वाली प्रतियों की संख्या	संलग्नक संख्या
क	नियोक्ता की अनुमति		संलग्नक क्र.....
ख	उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण		संलग्नक क्र.....
ग	फीस संदाय का प्रमाण		संलग्नक क्र.....
घ	प्रकाशित शोध-पत्रों की सूची		संलग्नक क्र.....
ङ	प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (मूल)		संलग्नक क्र.....
च	अन्य		संलग्नक क्र.....

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास में सत्य है।

मैं पुनः घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी में मेरे द्वारा प्रस्तावित विषय नया है और अतीत में उस पर कोई शोध कार्य नहीं हुआ है तथा किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रस्तावित विषय पर कोई शोध–उपाधि प्रदान नहीं की गई है।

स्थानः .....

दिनांकः .....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

जाँच समिति (स्क्रीनिंग कमेटी)

सम्बंधित संकाय के लिए जाँच समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगेः–

1- कुलपति	–	सभापति
2- संकायाध्यक्ष	–	सदस्य
3- विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
4- विभाग का वरिष्ठ विषय अध्यापक	–	सदस्य
5- यदि विषय अनुशासनात्मक एच0ओ0डी0 या संबंधित अध्यापक के विभाग से सम्बंधित है, तो सम्बंधित विभागाध्यक्ष अथवा अध्यापक	–	सदस्य
6- कुलपति की अनुपस्थिति में, संकायाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ऐसी स्थितियों में सदस्य के रूप में विभाग के एक और अध्यापक को आमंत्रित किया जायेगा।	–	सदस्य

अभ्यर्थी का नाम .....

संकाय .....

पर्यवेक्षक .....

संयुक्त पर्यवेक्षक.....

अनुशंसा

(क) अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाए।

.....

.....

.....

(ख) नीचे दिए गए कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

.....

.....

.....

.....

सदस्यों के हस्ताक्षर एवं दिनांक

1-..... 2- .....

3-..... 4-.....

5-..... 6-.....

रूपरेखा का निदर्शन-पत्र

क- (1)शोध–प्रबंध का शीर्षक.....

(2) सामान्य परिचय :

(3) शोध का प्रयोजन :

(लगभग 200 शब्दों में)

(4) प्रस्तावित कार्य का अपेक्षित परिणाम :

(5) स्रोतः

(6) प्रस्तावित शोध– प्रविधि :

(7) प्रस्तावित शोध की सीमाएँः

(8)संदर्भ–ग्रंथ– सूची :

ख- अभ्यर्थी के प्रकाशित शोध–पत्रों की सूचीः

(अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर)

..... अवधि हेतु शोध–कार्य का छमाही प्रगति प्रतिवेदन

.....से .....तक की अवधि के लिए ।

प्रतिवेदन क्र0.....

1- शोधार्थी का नाम व पताः

2- संकायः

3- शीर्षकः

4- रजिस्ट्रीकरण–दिनांक :

5- कार्य–प्रगति का विवरणः

(यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त पन्ने जोड़ें)

6- शुल्क–भुगतान, रसीद क्र0..... दिनांक.....

स्थान.....

दिनांक.....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

विषय

डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि के लिए

प्रस्तुत

शोध–प्रबंध

शोधार्थी

संकाय का नाम

विश्वविद्यालय का नाम

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि शोध समिति द्वारा अनुमोदित, डी0 लिट्0 के लिए प्रस्तुत ''.....'' शीर्षक शोध–प्रबंध मेरा अपना कार्य है।

मैं पुनः प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास में इस शोध–प्रबंध में किसी कार्य का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, जिसका उद्धरण न दिया गया हो, और जिसे इस विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय में किसी उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया हो।

स्थान :.....

दिनांक :.....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

———

परिशिष्ट–13

(अध्यादेश 21, सात का पैरा 209)

रूपरेखा का निदर्शन-पत्र

क- (1) शोध–प्रबंध का शीर्षक.....

(2) सामान्य परिचय :

(3) शोध का प्रयोजन :

(4) प्रस्तावित कार्य का अपेक्षित परिणाम :

(5) शोध–कार्य का स्रोतः

(6) प्रस्तावित शोध– प्रविधि :

(7) प्रस्तावित शोध की सीमाएँः

(8) संदर्भ–ग्रंथ– सूची :

ख- अभ्यर्थी के प्रकाशित शोध–पत्रों की सूचीः

स्थानः .....

दिनांकः .....

(अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर)

———

परिशिष्ट–14

(अध्यादेश 21, एक का पैरा 292)

शोध–कार्य का छमाही प्रगति प्रतिवेदन

.....से .....तक की अवधि के लिए ।

प्रतिवेदन संख्या .....

1- शोधार्थी का नाम व पताः

2- विभाग एवं संकायः

3- विषयः

4- पर्यवेक्षक का नामः

5- पर्यवेक्षक का नामः

6- रजिस्ट्रीकरण की तिथिः

7- कार्य–प्रगति का विवरणः
(यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त पन्ने जोड़ें)

8- रसीद संख्या ..... दिनांक..... द्वारा संदत्त फीस

स्थान .....
दिनांक.....

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

पर्यवेक्षक की टिप्पणी
स्थान .....
दिनांक.....

(पर्यवेक्षक का नाम और हस्ताक्षर)

स्थान .....
दिनांक.....

(एच0ओ0डी0 / संकायाध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर)

———————

विषय

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि के लिए प्रस्तुत
शोध–प्रबंध

पर्यवेक्षक

शोधार्थी

सह पर्यवेक्षक (यदि कोई हो)

संकाय का नाम

विश्वविद्यालय का नाम

वर्ष

परिशिष्ट–15

(अध्यादेश 21, एक का पैरा 298)

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि शीर्षक ..... शोध समिति द्वारा .... के निर्देशन में पूर्ण किया गया, मेरा अपना कार्य है।

(पर्यवेक्षक का नाम) (सह-पर्यवेक्षक का नाम)

मैं पुनः घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार इस शोध–प्रबंध में इस विश्वविद्यालय में अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय में किसी उपाधि के लिए प्रस्तुत किसी कार्य का कोई भी अंश बिना सम्यक् उद्धरण के समाविष्ट नहीं है।

स्थान :.....

दिनांकः.....

(अभ्यर्थी का नाम एवं हस्ताक्षर)

———

पर्यवेक्षक का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि..... .....श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा किया गया कार्य मेरे (हमारे) निर्देशन में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि के लिए किया गया शोध कार्य है। मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार यह शोध–प्रबंधः

1- अभ्यर्थी का अपना कार्य समाविष्ट करता हैः
2- विधिवत् पूर्ण किया गया हैः
3- पीएच0डी0 के लिए विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यादेश 20 की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और
4- अपनी विषय-वस्तु एवं भाषा की दृष्टि से स्तरीय है तथा इसे परीक्षक को भेजा जा सकता है।
इस शोध–प्रबंध को परीक्षक को भेजने की अनुशंसा की जाती है।

(सह–निर्देशक का नाम एवं हस्ताक्षर) (निर्देशक का नाम एवं हस्ताक्षर)

स्थान :..... स्थान :.....

दिनांक :..... दिनांक : .....

शोध – विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित।

स्थान :..... नाम :.....

दिनांकः ..... संकायाध्यक्ष : .....

संकायः .....

साक्षात्कार समिति

1-	कुलपति	–सभापति
2-	सम्बंधित संकाय के अध्यक्ष (यदि संकायाध्यक्ष किन्हीं कारणों से उपलब्ध न हों, कुलपति किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं)	–सदस्य
3-	सम्बंधित विषय के विभागाध्यक्ष	–सदस्य
4-	सम्बंधित विषय के विभाग के वरिष्ठ अध्यापक	–सदस्य
5-	यदि विषय दो अनुशासनों से संबद्ध है, तो अन्य सम्बंधित विभाग के प्रमुख या वरिष्ठ अध्यापक	–सदस्य
6-	वाह्य विशेषज्ञ (यदि आवश्यक हो) (कुलपति की अनुपस्थिति में, सम्बंधित संकाय के अध्यक्ष साक्षात्कार–समिति के सभापति होंगे और ऐसी स्थिति में सदस्य के रूप में संबंधित विषय के एक अध्यापक को आमंत्रित किया जाएगा)।	–सदस्य

अभ्यर्थी का नाम .....
शोध का विषय (बड़े अक्षरों में) .....
विभाग .....
संकाय .....

अनुशंसा

(क) अभ्यर्थी का रजिस्ट्रीकरण किया जाए
(ख) निम्नांकित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है:
सदस्यों के हस्ताक्षर एवं दिनांक

1- ..... 2- .....
3- ..... 4- .....
5- ..... 6- .....

————————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1384/IV-2026 dated May 15, 2026 :

No. 1384/IV–2026

Dated Lucknow, May 15, 2026

IN exercise of the powers under Section 48 of the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2022 (U.P. Act no. 2 of 2022), the Governor is pleased to make the following First Ordinances for the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya.

FIRST ORDINANCES OF THE BHATKHANDE SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA, 2026

ORDINANCE NO. 01

The Constitution of students' union in the colleges of Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya shall be as per State Government rules and U.G.C. guidelines.

ORDINANCE NO. 02

Admission of Students into Colleges

1. A student when applying for admission to a college shall bring with him a school leaving certificate or a college leaving Certificate signed by the head of the institution in which he last studied:

Provided that a student who passed his last examination as candidate shall, instead of such certificate, furnish to the principal of the college in which he desires to prosecute his studies evidence of good conduct:

Provided further, that a student who studied last at an institution connected with another University or Board shall produce a Migration Certificate from the Registrar or Secretary of that University or Board in addition to the leaving certificate from the head of such institution and pay an immigration fee in case of a University:

Provided also that student or class of students exempted by the Executive Council from producing the Certificates or paying the immigration fee mentioned in the second provision:

Provided also that no admission to Colleges shall be permitted under any circumstances after a prescribed date upto which the principal of the College may be permitted by the Vishwavidyalaya to admit a student to join the College. The Principals of the Colleges shall, within a week of the said date, send to the Vishwavidyalalya a complete list of all students admitted to the Colleges for the session.

2. A student shall be enrolled as a member of a college as soon as he has been accepted by the Principal and has paid the prescribed college fee.

3. (1) No student shall be allowed to migrate from one college to another without a leaving or transfer certificate in the form prescribed.

(2) No student migrating -

(i) from one college in the Vishwavidyalaya to another in the Vishwavidyalaya; and

(ii) from one college in the Vishwavidyalaya to a teaching department in the Vishwavidyalaya or *vice versa*. Shall be required to pay tuition fees for a month for which he has already paid tuition fees in the college or department from which he has migrated.

If during an academic year a student desires to leave the college of which he has become a member and to join another college, he shall, –

(i) give notice of his intention to leave,

(ii) make payment of all college fees due upto date, and

(iii) refund whatever scholarship or bursary has been paid to him from college funds, if required by the college to do so.

4. When a student has made all payments required by paragraph 3 of this Ordinance, the principal shall grant a transfer certificate in the form prescribed.

5. (1) When a student has been guilty of grave misconduct or of persistent idleness, the principal of the college at which such student is studying may, after informing his guardian and according to the nature and gravity of the offence, -

(a) expel;

(b) rusticate; or

(c) disqualify such student from being a candidate at the next ensuing Vishwavidyalaya examination.

(2) No student who has been so expelled shall be admitted to another college without the permission of the Principal of the college from which the student was expelled, and no student who has been so rusticated shall be admitted into another college within the period of his rustication.

6. If a foreign student fails in any of the University examinations he or she will be allowed to seek regular admission in the immediate academic session in the course only once.

ORDINANCE NO – 03

Examinations of the University

The Vishwavidyalaya shall hold the following examinationa, viz, .

7. The First Semester Examination for the Four-Year Degree Course B.P.A. Examination in Vocal Music, Instrumental/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) Dance.

8. The Second Semester Examination for the Four-Year Degree Course B.P.A. Examination in Vocal Music, Instrumental/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) Dance.

9. The Third Semester Examination for the Four-Year Degree Course B.P.A. Examination in Vocal Music, Instrumental/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) Dance.

10. The Fourth Semester Examination for the Four-Year Degree Course B.P.A. Examination in Vocal Music, Instrumental/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) Dance.

11. The Fifth Semester Examination for the Four-Year Degree Course B.P.A. Examination in Vocal Music, Instrumental/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) Dance.

12. The Sixth Semester Examination for the Four-Year Degree Course B.P.A. Examination in Vocal Music, Instrumental/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) Dance.

13. The Seventh Semester Examination for the Four-Year Degree Course B.P.A. Examination in Vocal Music, Instrumental/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) Dance.

14. The Eighth Semester Examination for the Four-Year Degree Course B.P.A. Examination in Vocal Music, Instrumental/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) Dance.

15. The First Semester Examination for the B.V.A.- Painting.

16. The Second Semester Examination for the B.V.A. – Painting

17. The Third Semester Examination for the B.V.A. – Painting

18. The Fourth Semester Examination for the B.V.A. – Painting

19. The Fifth Semester Examination for the B.V.A. – Painting

20. The Sixth Semester Examination for the B.V.A.- Painting

21. The Seventh Semester Examination for the B.V.A. – Painting

22. The Eighth Semester Examination for the B.V.A. – Painting

23. The First Semester Examination of the Masters Degree (M.P.A.) in Vocal Music, Instrumental / Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time and Dance..

24. The Second Semester Examination of the Masters Degree (M.P.A.) in Vocal Music, Instrumental / Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance..

25. The Third Semester Examination of the Masters Degree (M.P.A.) in Vocal Music, Instrumental/Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance.

26. The Fourth Semester Examination of the Masters Degree (M.P.A.) in Vocal Music, Instrumental/Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance.

27. The First Semester examination of Master in Dramatic Art.

28. The Second Semester examination of Master in Dramatic Art.

29. The Third Semester Examination of Master in Dramatic Art.

30. The Fourth Semester Examination of Master in Dramatic Art.

31. The First Semester Examination of Bachelor of Arts (BA).

32. The Second Semester Examination of Bachelor of Arts (BA) .

33. The Third Semester Examination of Bachelor of Arts (BA) .

34. The Fourth Semester Examination of Bachelor of Arts (BA) .

35. The Fifth Semester Examination of Bachelor of Arts (BA) .

36. The Sixth Semester Examination of Bachelor of Arts (BA) .

37. The Seventh Semester Examination of Bachelor of Arts (BA) .

38. The Eighth Semester Examination of Bachelor of Arts (BA) .

39. The Part-I Examination of Praveshika in Vocal Music, Instrumental Music/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance .

40. The Part-II Examination of Praveshika in Vocal Music, Instrumental Music/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance .

41. The Part-I Examination of Parichay in Vocal Music, Instrumental Music/Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance.

42. The Part-II Examination of Parichay in Vocal Music, Instrumental Music/Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance.

43. The Part-I for the Prabudha in Vocal Music, Instrumental Music/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance.

44. The Part-II for the Prabudha in Vocal Music, Instrumental Music/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance.

45. The Part I Examination for the Parangat in Vocal Music, Instrumental Music/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance.

46. The Part II Examination for the Parangat in Vocal Music, Instrumental Music/ Percussion Music (in such branches as may be decided by the University from time to time) and Dance.

47. The Part I Examination for One Year Diploma.

48. The Part I Examination for Two Year Diploma.

49. The Part II Examination for Two Year Diploma.

ORDINANCE NO. – 04

Residence of Students

50. All students prosecuting courses of studies in the teaching departments of the Vishwavidyalaya shall, unless they reside with their parents or guardians, reside in a hostel, if any, maintained by the Vishwavidyalaya.

51. Every hostel shall provide for Boarding and Lodging and shall charge such fees except mess charges as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

52. All students residing in the hostels shall join the hostel mess. Mess charges will be payable every month in advance.

53. All residents of hostels shall be subject to hostel rules framed by the Warden with the approval of Registrar.

ORDINANCE NO. – 05

Recognition of Teachers

54. The Head of a College not maintained by the Vishwavidyalaya on behalf of himself, or on behalf of a member of the staff of such college, may apply to the Executive Council for recognising himself or the member as a Professor or a Associate Professor, if he, -

(a) possesses such qualifications as may be laid down by the Academic Council as necessary for qualifying a teacher for imparting instructions to post graduate classes ;

(b) receives or is to be paid salary according to the scale approved by the Vishwavidyalaya respectively for Professors and Associate Professor of colleges not maintained by the Vishwavidyalaya.

55. On receipt of such application, the Executive Council shall forward it to the Selection Committee constituted under Chapter IX Part II of Statute.

56. The committee referred in Statute shall, as soon as may be, consider the application and return the same with its recommendations to the Executive Council.

57. The Executive Council shall thereupon pass orders in terms of the advice of the committee referred to in sub-section (3).

58. All other teachers of the constituent college not recognised as Professor or Associate Professors shall be deemed to be Assistant Professors of the University.

(i) Seniority of the Professor, Associate Professor and Assistant Professor will be determined as per Statute.

(ii) If after applying the provision in sub-section 5 and 6 the period of service in the case of any two or more Professors, Associate Professor or Assistant Professor are found to be equal, their seniority shall be determined by age.

ORDINANCE NO. – 06

Examination in General

59. The syllabus and the text books, if any, to be prescribed or recommended in connection with any subject in which the University conducts the examination shall be determined from time to time by the Academic Council after considering the recommendations of the Department of Studies.

60. All examinations shall be held in Lucknow and at such other place or places as may be decided by the Academic Council.

61. All recognised teaching in connection with University courses shall be conducted by the teachers of the University in accordance with the scheme framed by the Academic Council.

62. Ordinarily all examinations expect practical and viva voce, shall be conducted by means of printed or cyclotyled papers to be answered in English or in Hindi or as may be permitted by the Academic Council. They shall be given out to examiners on the same date and at the same hour at all the Examination centers.

63. Students seeking admission to all the examinations shall have prosecuted their courses of studies through the medium selected by them for their examination.

64. In order to pass an examination an examinee must obtain not less than the minimum percentage of marks laid down in the ordinance for the examination.

65. Within the month from the date of publication of results the examinees may apply for scrutiny of answer books together with necessary fees if they are not satisfied with their results.

The answer books will be revalued.

Any change in result found during the scrutiny will be published and shall be final for all purposes.

(A) Scrutiny of Results–

(i) Any candidate, who has appeared at Parangat, Graduate and Post-Graduate examination conducted by the University may apply to the Registrar for Scrutiny of his marks in any of the two written papers of any course and for re-checking of his/her results, the application must reach to the Registrar within 30 days after the dispatch of marksheets by the University.

(ii) It shall be compulsory to submit the original marksheet alongwith the application for retabulation.

(iii) As regards retabulation, such examination of a subject comprising of only one paper shall be treated one subject.

(iv) The result of retabulation shall be informed to the candidate within three months from the date of application.

(v) A candidate shall not be entitled to a refund of the fees.

(vi) The result of the scrutiny shall be communicated to the candidate.

(vii) The permission to submit the Examination Form (Application) shall be accorded without late fee within 15 days *after* the declaration of examination results.

(viii) On receipt of such an application, the Vice-Chancellor shall cause the marks of the applicant as recorded on his answer books, to be scrutinized by one of the tabulators.

(ix) If as a result of scrutiny it is found that the candidate should be declared as passed or placed in higher division, the result of the candidate shall be revised accordingly.

(x) If the student of B.V.A. and M.V.A. passes/qualifies the examination resulting retabulation, one month duration shall be granted after the last date of taking admission as regular student so that he/she may seek admission in UTD.

(B) Revaluation of Answer Books–

(i) Any candidate who has appeared in Parangat, Graduate and Post-Graduate Examination conducted by the University may apply to the Registrar for revaluation of two papers.

(ii) Such application must be made so as to reach the Registrar within 40 days of the publication of result of the examination or within 15 days after the despatch of marksheet by the University (whichever is earlier).

(iii) It shall be compulsory to submit the original marksheet along with the application for revaluation.

(iv) There is no provision for revaluation of practical examination, sessional work, Annual Assignment and Dissertation.

(v) As regards revaluation, such examination of a subject comprising of only one paper shall be treated as one subject.

(vi) The result of revaluation shall be informed to the candidate within months from the date of application.

(vii) A candidate shall not be entitled to a refund of the fees.

(viii) When a candidate applies for revaluation, the answer book in question will be sent to two external examiners by the Vice-Chancellor for assessment, distinct from the original evaluator. Each of these examiners will receive a set of five answer books that have been previously assessed by the same examiner, along with a copy of the instructions provided to the examiner by the paper setter. These materials are provided to assist the examiners in evaluating the answer book in accordance with the established standards set by the initial examiner and the provided instructions. In cases where fewer than five candidates appeared for the examination in the specific paper, all the candidates' answer books will be sent to each of the examiners. The remuneration for revaluating an answer book will be determined by the Vishwavidyalaya and may vary over time.

(ix) In the event that the marks assigned by either of the two additional examiners differ from those given by the original examiner by more than 10% of the maximum marks achievable for the paper, the average of the marks given by all three examiners—the original examiner and the two reassessors—will be considered as the accurate evaluation. This reassessment of the result is contingent upon the condition that at least one of the variations from the original marks exceeds 10% of the maximum marks for the paper. Should there be a tie, where two differences in marks assigned by the three examiners are equal, the two marks most favorable to the candidate will be used to determine the correct assessment.

(x) The permission to submit the Examination Form (Application) shall be accorded without late fees within 15 days after the declaration of examination results.

(xi) A certificate in prescribed form signed by Registrar shall be given to each successful examinee at an examination other than an examination for a degree course.

(a) (i) Every examinee successful at a final examination for a degree shall be entitled to be admitted to that degree on such conditions as the Executive Council may prescribe.

(ii) Every candidate admitted to a degree shall receive a certificate for that degree in the form prescribed by the Academic Council. Every certificate for a degree shall be signed by the Vice-Chancellor and sealed with the seal of the Vishwavidyala.

(b) (i) Ordinarily not less than two months before the commencement of the examinations, the Registrar shall publish the date of commencement of the examination. The last date for receipt of examination application forms together with fee, in respect of regular candidates, shall be as prescribed by University.

(ii) All applications for admission to examinations shall be made in the forms prescribed by the Academic Council.

(c) Examination form may be accepted 45 days before the commencement of the date of the examination concerned with late fee as may be approved by the Academic Council/Executive Council from time to time for Regular candidates(s) with the special permission of Vice-Chancellor. Such candidates shall have to pay special examination fees after the special permission granted by the Vice-Chancellor.

(d) Nothing in this Ordinance shall apply to candidates for the Doctorate Degrees.

(e) In the Ordinances relating to the examination unless there is anything repugnant in the subject or context, -

(i) An "applicant" means a person who has submitted an application to Vishwavidyalaya on a form prescribed by the Academic Council for admission to an examination,

(ii) A "Candidate" means a person who has been admitted to an examination by the Vishwavidyalaya;

(iii) An "examinee" means a candidate who presents himself at the examination to which he has been admitted.

ORDINANCE NO. – 07

Conduct of Examination

Date of Examination:

66. The dates of all Vishwavidyalaya Examinations shall be fixed by the Academic Council in accordance with the Ordinance relating to those examinations.

Appointment of Examiner:

67. (1) The examiners shall be appointed for the various examinations of the Vishwavidyalaya in accordance with the provisions laid down in the Statutes.

(2) Two other persons appointed by the Academic Council from among professors, Associate Professors and senior most teachersof the Vishwavidyalaya their term of appointment being three years:

Provided that in case in which, in the opinion of the Vice-Chancellor, immediate action is necessary, examiners may be appointed by the Vice-Chancellor.

68 (1) The committee shall recommend persons for appointment as examiners from among persons approved by the Academic Council in this behalf.

(2) In the absence of the Vice-Chancellor, the senior Dean shall preside at meetings of the Committee.

Moderation Committee :

69. There shall be a Committee for moderating question papers for examinations in the subject or subjects comprised in each Department of study, which shall consist of the following persons, viz :-

(i) the Head of the Department of study;

(ii) senior teacher of the Department, other than the Head of the Department, appointed by the Academic Council;

(iii) the Dean of the Faculty (Chairman);

(iv) one member to be appointed by the Vice-Chancellor from among teachers of the University.

Conduct of Examinations:

70. (i) The Academic Council shall appoint officers-in-charge for each examination center and shall issue instructions for their guidance;

(ii) Copies of question papers shall be printed or cyclostyled at such time as may be determined in each case by the Registrar with the approval of the Vice-Chancellor.

(iii) The Registrar shall, at least a fortnight before the commencement of each examination forward to the officer-in-charge of each center the following papers :-

(a) The Numerical Return showing the number of candidates in each subject at the center;

(b) A programme of the examinations;

(c) The roll list of the candidates for the particular Examination;

(d) A statement showing the names of the examiners in the subjects concerned;

(e) Such other papers as are required for the proper conduct of the examination.

(iv) (a) The Officer-in-charge of each center shall forward all answer books relating to the written part of the examination, to the Registrar of theVishwavidyalaya, who shall forward all answer books for each written paper received from the various centers of examinations to the examiner concerned.

(b) All answer books shall be stamped by the Officer-in-charge of examination with the Vishwavidyalaya stamp to be supplied by the Registrar.

(v) The Executive Council shall issue such general instructions, approved in this behalf by the Academic Council for the guidance of examiners, as it considers necessary for the proper discharge of their duties, and shall prescribe suitable forms for the recording of the marks obtained by the examinees.

(vi) Subject to any special directions made by the Academic Council in this behalf the Registrar shall be responsible for the arrangements connected with the conduct of all examinations of the Vishwavidyalaya.

(vii) Invigilators at the Vishwavidyalaya examinations at all centers shall be appointed from the following persons in the order of preference in which they are named:

(a) Professors and teachers including the physical training instructors of colleges.

(b) Technical staff of the University or College.

(viii) The Vice-Chancellor shall appoint senior invigilator or center Superintendent for each center. The fee payable to the center Superintendent and invigilator shall be as decided by the University from time to time.

Preparation of Results:

71. (i) A Special Examination Committee consisting of three members, shall be appointed by the Academic Council each year to prepare the results of examinations and report these to the Executive Council for publication. The Chairperson of this Committee shall be the Controller of Examination.

(ii) The Special Examination Committee shall recommend to the Academic Council the names of persons suitable to be appointed as tabulators for the examinations of the year, and the Academic Council shall forward to the Executive Council its recommendations after considering the recommendations of the Special Examination Committee. The Executive Council after considering such recommendations shall appoint two tabulators or two sets of tabulators and a scrutineer for tabulating the result of the examinations.

(iii) The Executive Council shall appoint the Registrar of the Vishwavidyalaya as Checker.

(iv) Any discrepancy between the marks, as reported by the examiner to the tabulators and to the Registrar, shall be reported to the Special Examination Committee for such action as it deems fit.

(v) The Registrar shall forward, to the tabulators before the close of each examination, all the necessary papers relating to it *e.g.* the names of examiners the roll list of examinees, the forms for recording the marks, the statement showing the last dates by which the examiners are required to send their examinations. The tabulators shall keep communications strictly confidential received by them in the course of the discharge of the duties,

(vi) The tabulators shall receive the marks direct from the examiners and shall, on or before a date to be prescribed by the Executive Council, submit to the Registrar the results prepared in accordance with the instructions of the Special Examination Committee.

(vii) The Registrar, after checking the results, shall place them before the Special Examination Committee which shall meet to scrutinize them, and shall prepare the results.

(viii) Any attempt made by or on behalf of a candidate to secure preferential treatment in the matter of his or her examination shall be reported to the Registrar who shall place the matter before the Executive Council.

(ix) There shall be no re-examination of examinees answer papers. If an omission to mark any paper is discovered, the matter shall be placed for consideration before the Special Examination Committee, which shall order such action to be taken as it deems fit. If any such omission is discovered after the results are published by the Executive Council, the Registrar shall call a meeting of the Special Examination Committee to consider the matter and it shall take such action with respect to it as it deems fit. If it orders the question or the paper to be marked, and if as a result of such marking, the examinee, having previously been declared to have failed, passes, the Vice-Chancellor shall be requested in the exercise of his powers under the Act to declare him to have passed in the division in which his marks entitle him to be placed.

(x) Except as decided otherwise by the Executive Council the examination answer-books and the details regarding the marks obtained by the examinees, except the tabulated results, shall be destroyed of otherwise disposed of after four months from the date of publication of the results.

Publication of Results:-

72. The Executive Council shall publish the results of the Vishwavidyalaya examinations on the official website of the University.

The Registrar shall place the proceedings of the Special Examination Committee before the Executive Council along with the list of successful examinees as prepared by the Committee. The cross lists of examinees showing the subject or subjects in which examinees have failed to obtain the prescribed minimum number of marks, shall be prepared by the tabulators before the results are published; and it shall be the duty of the Registrar to compare with the cross lists, the list of examiners reported as successful and, where necessary to ask the tabulators to make the necessary corrections in the lists.

ORDINANCE NO. –08

BACHELOR OF PERFORMING ARTS (B.P.A.)

PERFORMING ARTS PROGRAMME

(SEMESTER SYSTEM)

73. The Ordinance will be applicable to all the concerned Departments of the University and affiliated/Constituent colleges under the jurisdiction of the University.

74. B.P.A. Programme will be a regular programme and shall be spread over Eight semesters *i.e.*, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth semester. The programme is based on Choice Based Credit System (CBCS).

75. Every candidate seeking admission to this programme must have passed Higher Secondary (10+2) examination of U.P. Board or C.B.S.E. or any equivalent examination recognized by his/her respective States/ country. Besides this the candidate will have to qualify an entrance test (aptitude test) organized by the University teaching department/colleges or CUET (Common University Entrance Test).

76. The seats available for the students in each programme shall be as decided by the University from time to time.

77. The fee structure for the programme shall be as decided by the University from time to time.

78. First, Third, Fifth and Seventh semester will tentatively commence in the month of December, as per the academic calendar announced by the University. In the same way Second, Fourth, Sixth and Eighth semester will commence in the month of June, which can be changed by the University as and when required.

79. The final examination of each semester shall be conducted by the University and will consist of Theory/Practical examination as per the requirement of the course program whereas the internal assessment shall be done by the concerned Departments of UTD/ Colleges.

80. There shall be 70% marks for External evaluation and 30% marks for Internal assessment for each paper; Theory and Practical.

81. All the subjects offered through this programme have will be as per Appendix-1.

82. B.P.A. programme shall be based on Choice Based Credit System.

83. Head of the concerned Departments/ Principal of the Colleges shall keep the record of marks of internal assessment and forward the same to examination section at least one week before the final examination of each semester.

84. (a) In order to qualify the semester examination, the candidate shall be required to secure at least 40% marks in each paper separately. This rule will be applicable for internal assessment also.

(b) Internal assessment, *i.e.* continuous comprehensive examination (CCE) shall be done at University Teaching Department/College level.

85. (a) If a candidate fails in any course in external or internal assessment examination, he/ she may reappear at the same in the next year. For example a failure of first semester will reappear in the exam concerned along with the students of the first semester of the next batch.

(b) The Candidate shall be eligible to appear in the internal assessment as per the schedule announced by the Head of Department concerned/ Principal of the Colleges in accordance with the academic calendar of the University.

(c) A student who has been admitted to any semester but fails to fill up examination form of that semester examination OR is debarred to appear in examination due to short attendance OR any other reasons OR fails in all the courses of external examination of a semester, he/she shall have to take re-admission and appear in that examination afresh in the concerned semester. Regular admission and re-admission in semester I, III, V and VII shall be allowed in the next applicable odd semester and regular admission and re-admission in semester II, IV, VI & VIII shall be allowed in the next applicable Even semester. Every student will have to qualify all the Eight semesters within a maximum period of Six Years from the session of his/ her first admission in the B.P.A. programme.

86. The candidate shall be allowed to appear in the examination of a semester only when his/her attendance is as per University rules.

87. The Grade shall be awarded to a candidate only after he/she qualifies the exams of all the Eight semesters.

88. In case a candidate has back paper(s) in any of the previous semester(s) and has not cleared it till the final semester examination, his/her final semester result will be declared but it shall provide details about the backlog of the concerned candidate. Corresponding CGPA, Percentage, Divisions and Grade of the concerned candidate will not be calculated and "Programme not completed" shall be mentioned as the result in the Marksheet.

89. There shall be no provision for Grade improvement under this Ordinance.

90. Grace marks shall not be awarded in this progamme.

91. Re-evaluation will be permitted only in two written papers of semester examination and will be dealt as per University rules.

92. Only those students who have cleared their all respective semester examinations, including internal assessments, uninterrupted at one stretch without any back/ drop/ break *etc.* shall be considered for merit list.

93. Matters relating to admission, attendance, examination or any such other matter not covered under this Ordinance shall be governed by the other relevant Ordinances of the University.

94. In case of any dispute/ambiguity, the decision of the Examination Council of the University shall be final and binding.

APPENDIX-A

Credit Framework						
Sem.-I	DSC	DSE	AEC	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	English			
Sem.-II	DSC	DSE	AEC	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	English			
Sem.-III	DSC	DSE	AEC	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	EVS			
Sem.-IV	DSC	DSE	AEC	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	EVS			
Sem.-V	DSC	DSE	Multidisciplinary	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	Hindi or Sanskrit			
Sem.-VI	DSC	DSE	Multidisciplinary	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	Hindi or Sanskrit			
Sem.-VII	**DSC**					Total
	Viva-Voce	Stage Performance	Internship	Research Methodology		
	10	4	2	6		22
Sem.-VIII	Viva-Voce	Stage Performance	Dissertation	Program Reporting		Total
	10	4	6	2		22
					Grand Total	**164**

DSC- Discipline Specific Course

DSE- Discipline Specific Elective

AEC- Ability Enhancement Course

SEC- Skill Enhancement Course

VAC- Value Added Course

EVS- Environmental Studies

ORDINANCE NO. –09

MASTER OF PERFORMING ARTS (M.P.A.)

(SEMESTER SYSTEM)

95. The Ordinance will be applicable to all the concerned Departments of Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalya and affiliated colleges under the jurisdiction of this University.

96. The Master of Performing Arts shall be based on Choice Based Credit System (C.B.C.S.) and spread over four semesters. In every semester, there shall be two theory and two practical examinations (VIVA-VOCE and STAGE PERFORMANCE), which shall be completed by the end of each semester.

97. **Eligibility:** A candidate who has obtained a Bachelor of Performing Arts (B.P.A.) Degree of this University or has obtained Four years/ Eight Semesters under graduate degree from any other statutory/ recognized University in the concerned subject with minimum 45% marks in aggregate or equivalent C.G.P.A and 50% marks or equivalent Grade Point in the concerned subject OR a Bachelors degree in respective descipline shall be eligible to seek admission in the M.P.A. programme.

98. Besides above, Candidate will have to qualify aptitude test organized by the University Teaching Department (U.T.D.)/ its affiliated colleges.

99. The seats available for the students in each programme shall be decided by the University from time to time.

100. Every candidate thus admitted shall pursue the prescribed programme in each of the four semesters successively. The Master of Performing Arts Degree shall be awarded to those candidates who have obtained at least 40% marks or equivalent Grade Point in each courseof theory and practical examinations separately in all the four semesters. Successful Examinees shall be awarded Grade based on the credits obtained by the candidate as per the University rules.

101. A candidate shall not be allowed to pursue any other degree programme simultaneously while pursuing Master of Performing Arts of this University.

102. The syllabi for the examination shall be published separately for the examination

103. Head of the concerned Departments/ Principal of the Colleges shall keep the record of marks of internal assessment and forward the same to examination section at least one week before the final examination of each semester.

104. The final examination of each semester shall be conducted by the University and will consist of Theory/Practical examination as per the requirement of the course program where as internal assessment shall be done by the concerned departments of U.T.D./ Colleges.

105. If a candidate fails in any course in external or internal assessment of I and III semester examinations, he/ she may reappear in respective examinations in the next odd number semester. In the same way, if a candidate fails in any course in external and internal assessment of II and IV semester examinations, he/she may reappear in respective examinations in the next even number semester. Such students will have to fill up the examination form and remit the required fee for each course.

106. The candidate will be allowed to appear in the examination of a semester, only when his/her attendance is as per University rules.

107. A student who has been admitted to any semester but fails to fill up examination form of that semester examination OR is debarred to appear in examination due to short attendance OR any other reasons OR fails in all the courses of external examination of a semester, he/she shall have to take re-admission and appear in that examination afresh in the concerned semester. Regular admission and re-admission in semester I and III shall be allowed in the next applicable Odd Semester and regular admission and re-admission in semester II and IV shall be allowed in the next applicable Even Semester. Every student will have to qualify all the four semesters within a maximum period of Four Years from the session of his/ her first admission in the M.P.A. programme.

108. There shall be 30% internal and 70% external evaluation in both theory and practical examinations.

109. The provision of re-evaluation will be as per University rules for external theory courses only.

110. The attempts taken by the candidate to clear any course will be indicated in the respective semester end marksheet but not in the final marksheet.

111. Subjects offered through this programme will be as per Appendix-B. The examination shall be held in all subjects on the dates as declared by the University from time to time.

112. There shall be no provision for division improvement in this programme.

113. The Grade shall be awarded to a candidate, only after he/she qualifies the examinations of all the 04 semesters.

114. In case a candidate has back paper(s) in any of the previous semester(s) and has not cleared it till the final semester examination, in such case his/her final semester result will be declared but it shall provide details about the backlog of the concerned candidate. Corresponding CGPA, Percentage, Divisions and Grade of the concerned candidate will not be calculated and "Programme not completed" shall be mentioned in the Mark-sheet.

115. The merit list will consist of only those students who clear allthe semesters in first attempt without any break. Merit list will be prepared on the basis of C.G.P.A. only.

116. There shall be no provision of grace marks in this programme.

117. Matters relating to admission, attendance, examinations or any such other matters not covered under this Ordinance shall be governed by the relevant Ordinances of this University.

118. In case of any dispute, the decision of Examination Committee of the University shall be final and binding.

Scheme of Examination for M.P.A. for Vocal, Instrumental (SwaraVadya) Music, Percussion & Dance (Kathak and Bharatnatyam) shall be as given in Appendix-2.

ORDINANCE NO. –10

Bachelor of Visual Arts (B.V.A.)

PAINTING

Structure of the Course–

119. There will be a common course of one year (two semesters) duration named as the "Foundation Course" which shall be obligatory and qualifying the same shall be a prerequisite for the enrolment in Bachelor of Visual Arts (Painting).

120. The specialization courses in the above said areas will be of Three Years (six semesters) duration. Total duration of the under graduate course will be of four years (Eight semesters) which includes one year (two semesters) of Foundation course. The bachelor of Visual Art (B.V.A.) programme is a regular based on Choice Based Credit System (C.B.C.S.).

121. The minimum qualification for admission in foundation course will Intermediate or 10+2 examination or equivalent exam recognized by University.

General Policy :

122. During the period of study of these programmes, students will be profusely exposed to various aspects of Indian Art and Culture.

123. Students would be initiated to develop critical and discerning vision. They would be encouraged to assume the individual approach to art.

124. Attention shall be given to students to develop a good professional outlook apart from academic excellence, through practical assignments. Museums, places of historical importance and other appropriate locations will be visited to develop a sense of discovery, familiarity with classical works of arts and crafts and acquaintance with objects and places of cultural importance in the students.

Admission:

125. Admission shall be given to the students on the basis of aptitude/admission test or CUET.

126. Admission/aptitude test shall be designed by the Department of University or concerned college with a view to find the following traits in the applicant:-

(a) Aptitude – *for native ability, natural gift*;

(b) Interest – *for interest, aptitude toward Disciplines and personal philosophy*;

(c) Personality – *for psychological make-up*;

(d) Intelligence – *for self-Manifestation, visual awareness and individualism (Viva-Voice).*

127. The Ordinance will be applicable to all the concerned Departments of the University and affiliated colleges under the jurisdiction of the University.

128. The total number of seats in each course shall be as decided by the University Teaching Department/Colleges from time to time.

129. The fee structure for the courses shall be as decided by the University from time to time.

130. The First, Third, Fifth and Seventh semester will commence in the month of June as per the academic calendar announced by the State Government. In the same way Second, Fourth, Sixth, and Eighth semester will commence in the month of December, which can be changed by the University as and when required.

131. The final examination of each semester shall be conducted by the University and will consist of Theory / Practical examination as per requirement of course whereas internal assessment shall be done by the concerned Department of the U.T.D./ Colleges.

132. There shall be 70% marks for External evaluation and 30% marks for internal assessment for each paper (Theory and Practical)

133. Head of the Departments concerned /Principal of the Colleges shall keep the record of marks of internal assessment and shall forward the same to examination section before the final examination of each semester.

(a) In order to pass the semester examination, the candidate shall be required to secure at least 40% marks in each theory paper and 40% marks in practical separately.

(b) Internal assessment, *i.e.* continuous comprehensive examination (CCE) shall be done at University Teaching Department / College level.

134. (a) If a candidate fails in any course or in Practical examination external or internal assessment examination, he/she may reappear at the same *e.g.* a failure of first semester will reappear in the exam concerned along with the students of the first semester of the next batch *i.e.* next year.

(b) The Candidate shall be eligible to appear in the internal assessment as per the schedule announced by the Head of Concerned Department /Principal of the Colleges in accordance with the academic calendar of the University.

135. The candidate will be allowed to appear in the University semester examination only when he/she fulfils the criteria of the attendance of this University.

136. Choice Based Credit System Framework for the different courses under the B.V.A. programme is as mentioned under:

(i) Painting

137. The Grade shall be awarded to a candidate, only after he / she qualifies the exams of all the eight semesters. The calculation of S.G.P.A. (Semester Grade Point Average) and C.G.P.A. (Cumulative Grade Point Average) will be done according to the Appendix-3.

138. There shall be no provision for division/grade improvement under this Ordinance.

139. Only those students who have cleared their all respective semester examination, including internal assessment uninterrupted at a stretch without any back / drop / break *etc*. shall be considered for merit list.

140. A candidate has to complete the entire programme of under graduate degree within a maximum period of six years from the session of his / first admission in the concern programme.

141. Matters relating to admission, attendance, examinations or any such other matters not covered under this Ordinance shall be governed by the other relevant Ordinances of the University.

142. In case of any dispute/ambiguity, the decision of the Examination committee of the University shall be final and binding.

COURSE STRUCTURE FOR B.V.A. IN PAINTING

BACHLOR OF VISUAL ARTS

B.V.A. I Semester (Foundation Course)

Paper	Name of Paper	Credit Hours	External %		Internal %		Total Max Marks	Total Min Marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
I	History of Art (Indus Valley Civilization to Gupta Period)	2	70	23	30	10	100	33
II	English/Hindi Language	2	70	23	30	10	100	33
III	Environmental Study	2	70	23	30	10	100	33

Paper	Name of Paper	Credit Hours	External %		Internal %		Total Max Marks	Total Min Marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
IV	Drawing	3	70	28	30	12	100	40
V	Design 2D	5	70	28	30	12	100	40
VI	Design 3D	5	70	28	30	12	100	40
VII	Print-Making	5	70	28	30	12	100	40
Total Credit		**24**	**Total marks**				**700**	**259**

B.V.A. II Semester (Foundation Course)

Paper	Name of Paper	Credit Hours	External %		Internal %		Total Max Marks	Total Min Marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
I	History of Art (Medieval Period to Present Day)	2	70	23	30	10	100	33
II	English / Hindi Language	2	70	23	30	10	100	33
III	Environmental Study	2	70	23	30	10	100	33
IV	Drawing	3	70	28	30	12	100	40
V	Design 2D	5	70	28	30	12	100	40
VI	Design 3D	5	70	28	30	12	100	40
VII	Print-Making	5	70	28	30	12	100	40
Total Credit		**24**	**Total marks**				**700**	**259**

B.V.A. III Semester (Specialization in PAINTING)

Paper	Name of Paper	Credit Hours	External %		Internal %		Total Max Marks	Total Min Marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Technical Theory	3	70	23	30	10	100	33
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any one) Landscape Disaster Management Yoga Wood cut / Linocut	2	70	28	30	12	100	40
Total Credit		**24**	**Total marks**				**500**	**186**

B.V.A. IV Semester (Specialization in PAINTING)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max marks	Total Min marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Aesthetics	3	70	23	30	10	100	33
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max marks	Total Min marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
V	Elective Subject (any one)	2	70	28	30	12	100	40
	Landscape							
	English Language & Communication Skill							
	Travel and Tourism							
	Functional Hindi							
Total Credit		**24**	**Total marks**				**500**	**186**

B.V.A. V Semester (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max marks	Total Min marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Aesthetics	3	70	23	30	10	100	33
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any one)	2	70	28	30	12	100	40
	Print and Publishing							
	Computer Application							
	Clay Modelling							
Total Credit		**24**	**Total marks**				**500**	**186**

B.V.A. VI Semester (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max marks	Total Min marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Project/Seminar	3	70	28	30	12	100	40
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any one)	2	70	28	30	12	100	40
	Personality Development							
	Sugam Sangeet / Folk Music							
Total Credit		**24**	**Total marks**				**500**	**193**

B.V.A. VII Semester (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max. marks	Total Min marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Aesthetics (Western)	3	70	23	30	10	100	33
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max marks	Total Min marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
V	Elective Subject (any one)	2	70	28	30	12	100	40
	Portraiture							
	Art Criticism							
	Luxury Product Design (Exhibition & Viva)							
Total Credit		**24**	**Total marks**				**500**	**186**

B.V.A. VIII Semester (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max. marks	Total Min marks
			Max. marks	Min. marks	Max. marks	Min Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Project / Seminar (Contemporary Art in India)	3	70	28	30	12	100	40
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any one)	2	70	28	30	12	100	40
	Portraiture							
	Art Criticism							
	Luxury Product Design (Exhibition & Viva)							
Total Credit		**24**	**Total marks**				**500**	**193**

Note:-

01. Technical theory/Seminar/Project/Assignment will be conducted by the Department concerned.

02. Internal assessment for each semester shall be done by the class teacher or a committee constituted for such purpose by the Head of the respective Department.

ORDINANCE NO. –11

Bachelor of Arts (B.A.)

(SEMESTER SYSTEM)

143. The Ordinance will be applicable to all the departments concerned of the University and affiliated colleges under the jurisdiction of the University.

144. B.A. Programme will be a regular programme and shall be spread over eight semesters *i.e.*, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth semester. The programme shall be based on Choice Based Credit System (CBCS).

145. Every candidate seeking admission to this programme must have passed Higher Secondary (10+2) examination of U.P. Board or C.B.S.E. or any equivalent examination recognized by his/her respective States/ country.

146. First, Third, Fifth and Seventh semester will tentatively commence in the month of December, as per the academic calendar announced by the State Government. In the same way, Second, Fourth, Sixth and Eighth semester will commence in the month of June, which can be changed by the University as and when required.

147. The final examination of each semester shall be conducted by the University and will consist of Theory/Practical examination as per the requirement of the course programme where as internal assessment shall be done by the concerned departments or Colleges.

148. There shall be 70% marks for External evaluation and 30% marks for internal assessment for each paper; Theory and Practical.

149. All the subjects offered through this programme have been divided in three groups *i.e*., that is major two Subjects and minor one subject-from that one minor subject one paper will be optional.

150. B.A. programme shall be based on choice based credit system. The credit framework is mentioned in Appendix 4 and 5.

151. Head of the Departments concerned/ Director of the Institute shall keep the record of marks of internal assessment and forward the same to examination section at least one week before the final examination of each semester.

152. (A) In order to qualify the semester examination, the candidate shall be required to secure at least 40% marks in each paper separately. This rule will be applicable for internal assessment also.

(B) Internal assessment of the enrolled students shall be done twice in a semester followed with comprehensive examination (CCE), *i.e.* semester examination shall be done at University Teaching Department/College level.

153. (A) If a candidate fails in any course in external or internal assessment examination, he/she may reappear for the same in the next year. For example, a student who has failed first semester will reappear in the exam concerned alongwith the students of the first semester of the next batch.

(B) The Candidate shall be eligible to appear in the internal assessment as per the schedule announced by the Head of Department concerned/Director of the Institute in accordance with the academic calendar of the University.

(C) A student who has been admitted to any semester but fails to fill up examination form of that semester examination OR is debarred to appear in examination due to short attendance OR any other reasons OR fails in all the courses of external examination of a semester, he/she shall have to take re-admission and appear in that examination afresh in the concerned semester. Regular admission and re-admission in semester I, III, V and VII shall be allowed in the next applicable odd semester and regular admission and re-admission in semester II, IV, VI and VIII shall be allowed in the next applicable even semester. Every student will have to qualify all semesters within a maximum period of Six Years from the session of his/her admission in the B.A. courses.

154. The candidate will be allowed to appear in the examination of a semester only when his/her attendance is as per University rules.

155. The Grade shall be awarded to a candidate, only after he/she qualifies the exams of all the eight semesters.

156. In case a candidate has back paper(s) in any of the previous semester(s) and has not cleared it till the final semester examination, in such case his/her final semester result will be declared but it shall provide details about the backlog of the concerned candidate. Corresponding CGPA, Percentage, Divisions and Grade of the concerned candidate will not be calculated and "Programme not completed" shall be mentioned as the result in the Marksheet.

157. The scheme of Examination (question papers) is also mentioned in Appendix 5.

158. There shall be no provision for Grade improvement under this Ordinance.

159. Grace marks shall not be awarded in this progamme.

160. Re-evaluation will be permitted only in two written papers of semester examination and will be dealt as per University rules.

161. Only those students who have cleared their all respective semester examinations, including internal assessments, uninterrupted at one stretch without any back/drop/break *etc*. shall be considered for merit list.

162. Matters relating to admission, attendance, examination or any such other matter not covered under this Ordinance shall be governed by the other relevant Ordinance of the University.

163. In case of any dispute/ambiguity, the decision of the Examination Council of the University shall be final and binding.

Appendix

Grade Points	Description	% of Marks	Division/ Grade
9.1 -10	Outstanding	90 to 100	First/O
8.1 -9	Excellent	80 to 89	First/A
7.1 -8	Verygood	70 to 79	First/B
6.1 -7	Good	60 to 69	First/C
5.1 -6	Fair	48 to 59	Second/D
4.1 -5	Average	36 to 47	Pass/E
0.0 -4	Dropped	Below 36	F

ORDINANCE NO. –12

Praveshika Examinations (Music & Dance)

164. (i) There shall be two Examinations for the Praveshika Course of the Vishwavidyalaya.

i. Praveshika-I

ii. Praveshika-II

(ii) The duration of each course shall extend over a period of one academic year.

165. The examination shall be held every year on such date as may be fixed by the Examination Committee in this behalf the said date being ordinarily notified at least two months before the commencement of the examination.

166. Subject to their compliance with the requirements of the Ordinance and Regulations of the Vishwavidyalaya, a Candidate seeking admission to the Praveshika-I shall have passed at least Class 4th under Primary school Certificate Examination as recognized by the Vishwavidyalaya and a Candidate seeking admission to the Praveshika-II shall have passed the Part-I examination of Praveshika under the Ordinance.

167. Any deficiency in attendance at the course of study for the examination or at the classes for practical may be condoned in accordance with the provisions of the relevant Ordinance.

168. Every candidate for the Praveshika I and II Examination shall be examined in any of the following subjects, *viz* :–

(i) Vocal Music (Hindustani)

Or

(ii) Dance (Kathak/Bharatnatyam/Manipuri)

Or

(iii) Instrumental Music in any one of the following branches, *viz* :–

(a) Sitar (b) Sarod
(c) Violin (d) Sarangi
(e) Guitar (f) Flute

(iv) Percussion Intrumental Music in any one of the following branches, *viz* :–

(g) Tabla (h) Pakhawaj

169. (i) Every application for admission to the Examination shall be in the prescribed form and shall reach the Registrar within the time prescribed in this behalf.

(ii) The Application shall be accompanied by a fee prescribed by University from time to time.

170. On the report of the Head of the University Teaching Department or of the Principal of a College or otherwise, the Executive Council may refuse admission to or exclude any candidate from the examination at any stage if it is satisfied that such candidate is not a fit person to be admitted thereto. The reason for such exclusions shall be recorded.

171. The papers and the maximum and minimum marks prescribed for passing the examination are detailed in paragraph 178.

172. (i) In order to be successful at the examination, and shall obtain in Theory and Practical separately, the Minimum marks prescribed in Paragraph 178.

(ii) Successful examinees obtaining 60% or more of the aggregate marks shall be placed in the First Division, those obtaining less than 60% but not less than 45% of the aggregate marks shall be placed in the Second Division, and other successful examinees obtaining less than 45% but not less than 33% of aggregate marks shall be placed in the Third Division.

(iii) Examinees who have failed to obtain marks as stated above but that deficiency in respect of the minimum marks as prescribed by the Paragraph No. 173 of this Ordinance, is condoned, shall be declared to have passed the examination and shall be placed in the division to which they may be entitled:

Provided that in the case of the examinees who are awarded grace marks in raising the aggregate, they shall not be awarded any division.

(iv) An examinee obtaining at least 75% of the total marks in Theory subject or in Practical examination shall be declared to have obtained "Distinction".

173. (i) Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the deficiency in the case of candidates failing by one mark in the aggregate or in one subject shall be condoned:

Provided that for the purpose of this paragraph, the practical examination of Music shall be considered as a subject, Grace Marks in two subjects shall not be awarded, Candidates passing with grace marks by raising the aggregate shall not be placed in any division.

(ii) If a candidate passes the examination on the marks from the examiners without the benefit of the sub-para (i) of this paragraph, but misses first or second division by one mark only his aggregate shall be raised by one mark so as to entitle him to the First or Second Division as the case may be.

(iii) These additional marks shall be shown separately in the mark-sheet.

(iv) The position of a candidate in the merit list it an examination shall be determined by the Marks secured by him from the examiners.

(v) A candidate passing an Examination by condonation of deficiency of marks shall not be placed in the merit list.

174. The syllabi for the examination shall be as published separately by the Vishwavidyalaya.

175. As soon as possible after the examination, the Executive Council shall publish a list of examinees successful at the examination in the First, Second, Third and Pass Divisions respectively, the names of the examinees obtaining the First Three places in the First Division being arranged in order of merit.

176. The merit list shall be separate for each of the following, *viz:*–

1. Vocal Music,
2. Instrumental Music (all branches taken together)
3. Percussion Instruments (all branches taken together)
4. Kathak Dance
5. Bharatnatyam Dance
6. Manipuri Dance

177. A successful examinee shall receive a Certificate in a Form prescribed by the Examination Committee.

178. The papers and maximum and minimum marks for Praveshika examinations shall be as given in Appendix- 6.

ORDINANCE NO. – 13

Parichay Examinations (Music & Dance)

179. (i) There shall be two examinations of Parichay as stated below *viz* :–

(a) Parichay Part - I Examination.

(b) Parichay Part- II Examination.

(ii) The duration for each part shall extend over a period of one Academic Years.

180. The examination shall be held every year on such date as may be appointed by the Examination Committee in this behalf, the said date being ordinarily notified at least two months before the commencement of the examination.

181. Subject to their compliance with the requirements of the Ordinances and regulations of the Vishwavidyalaya, the persons as mentioned in paragraph 183 shall be eligible for admission to the Parichay Part- I examination.

182. A candidate seeking admission to Parichay Part - I and Parichay Part - II Examinations shall have passed not less than one Academic Year previously of the following examination, *viz*:–

(1) Parichay Part - I

The Praveshika Examination of the Vishwavidyalaya or examination recognized as equivalent thereto and Class 6^{th} under Primary school Certificate Examination as recognized by the Vishwavidyalaya OR class 10^{th} passed with the subject applied for.

(2) Parichay Part - II

The Part-I examination of the Parichay under this Ordinance of the Vishwavidyalaya.

183. Every candidate for the Parichay Part - I or Part - II Examination shall be examined in the following subjects, *viz*:–

(i) Vocal Music (Hindustani)

Or

(ii) Dance (Kathak/Bharatnatyam/Manipuri)

Or

(iii) Instrumental Music in any one of the following branches, *viz*:–

(a) Sitar	(b) Sarod
(c) Violin	(d) Sarangi
(e) Guitar	(f) Flute

(iv) Percussion Intrumental Music in any one of the following branches, *viz*:–

(g) Tabla	(h) Pakhawaj

184. Students shall offer the subject for Parichay out of those of Paragraph 183, on the basis of the main subject offered at the last qualifying examination in Music mentioned in Paragraph 182 of this Ordinance.

185. (i) Every Application for admission to the Examination shall be in the prescribed form and shall reach the Registrar within the time as may be prescribed in this behalf.

(ii) All the applicable fees regarding this programme will be decided by the University from time to time.

186. On the report of the Teaching Department or of the Principal of a College or otherwise, the Executive Council may refuse admission to or exclude any candidate from the examination at any stage, if it is satisfied that such candidate is not a fit person to be admitted thereto. The reason for such exclusion shall be recorded.

187. The scheme of papers, their maximum and minimum marks required for passing the examination, shall be those as stated in paragraph 193.

188. (i) In order to be successful at the examination, an examinee shall obtain the minimum marks for the individual papers and aggregate marks as prescribed in paragraph 193.

(ii) Successful examinees obtaining 60% or more of the aggregate marks shall be placed in the First Division; those obtaining less 60% but not less than 45% of the aggregate marks shall be placed in the Second Division; and all other successful examinees obtaining less than 45% but not less than 33% of the aggregate marks shall be placed in the Third Division.

(iii) No division shall be awarded at the Part - I Examination.

(iv) In determining the Division at the Part - II Examination, the marks at the Part - I examination obtained by the examinee shall be taken into account.

189. The syllabi for the examination shall be as published separately by the Vishwavidyalaya.

190. As soon as possible after the examination, the Executive Council shall publish a list of examinees successful at the examination in the First, Second and Third Divisions respectively, the names of the examinees obtaining the first three places in the First Division being arranged in order of merit.

191. The merit list shall be separate for each of the following, *viz*:–

(i) Vocal Music,

(ii) Instrumental Music (all branches taken together)

(iii) Percussion Instruments (all branches taken together)

(iv) Kathak Dance

(v) Bharathanatyam Dance

(vi) Manipuri Dance

192. A successful examinee shall receive a Diploma in a Form prescribed by the Academic Council to be called the Parichay under the Faculty of Music and Dance.

193.

Scheme of papers for Parichay- I

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage.
Theory-I	100	33	33%
Practical	200	66	33%

Scheme of papers for Parichay- II

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage.
Theory-I	100	33	33%
Practical	200	66	33%

ORDINANCE NO. – 14

Prabuddha Examinations (Music & Dance)

194. (i) There shall be two Examinations for the Prabudha as stated below, *viz*:–

(a) Prabuddha Part- I Examination.

(b) Prabuddha Part- II Examination.

(ii) The Course for each Part shall extend over a period of one Academic Year.

195. The Examinations shall be held every year on such date as may be appointed by the Academic Council in this behalf, the said date being ordinarily notified at least three months before the commencement of the examinations.

196. A 'Candidate' seeking admission to the previous Examination and Final Examination shall have passed, not less than one academic year previously, of the following examination, *viz:*–

(i) Part I Examination: The Parichay Examination of the Vishwavidyalaya or an Examination recognized as equivalent thereto and Class 8th under Primary school Certificate Examination as recognized by the Vishwavidyalaya or 10+2 passed with the subject applied for.

(ii) Part II Examination: The Part-I examination of the Prabudha of the Vishwavidyalaya.

197. Any deficiency in attendance at the course of study for the examination or at the classes for practical may be condoned in accordance with the provisions of the relevant Ordinance.

198. Every candidate for the Prabudha Part - I and II Examination shall be examined in any of the following subjects, *viz:*–

(a) Vocal Music

Or

(b) Dance (Kathak/Bharatnatyam/Manipuri)

Or

(c) Instrumental Music in any one of the following branches, viz :-

(a)	Sitar	(b)	Sarod
(c)	Violin	(d)	Sarangi
(e)	Guitar	(f)	Flute

(d) Percussion Intrumental Music in any one of the following branches:-

(g)	Tabla	(h)	Pakhawaj

199. Students shall offer the same subject out of the subjects as stated above on the basis of the subject offered by him at the last qualifying examination in music or Dance as the case may be.

200. (i) Every application for admission to the examination shall be in the prescribed form and shall reach the Registrar within the time limit prescribed in this behalf.

(ii) The Application shall be accompanied by an examinations fee prescribed by the University from time to time.

201. On the report of Head of the Department or of the Principal of a College or otherwise, the Executive Council may refuse admission to or exclude any candidate from the examination at any stage if it is satisfied that such candidate is not a fit person to be admitted thereto. The reason for such exclusion shall be recorded.

202. The paper for each subject, the maximum marks prescribed therefor and the minimum marks required in each Therory and Practical for passing the examination shall be as detailed in Paragraph 209.

203. (i) In order to be successful at the examination, an examinee shall obtain not less than the minimum marks prescribed in paragraph 209 and in the aggregate, not less than 33 percent of the total marks obtainable.

(ii) Successful examinees obtaining 60% or more of the aggregate marks shall be placed in the First Division; those obtaining less than 60% but not less than 45% of the aggregate marks shall be placed in the Second Division and all other successful examinees obtaining less than 45% but not less than 33% of the aggregate marks shall be placed in the Third Division.

(iii) No Division shall be awarded at the Part-I Examination.

(iv) Examinees who have failed to obtain marks as stated above but whose deficiency in respect of the minimum marks as prescribed by the Paragraph No. 204 of this Ordinance, is condoned shall be declared to have passed the examination and shall be placed in the division to which they may be entitled:

Provided that in the case of the examinees who are awarded grace marks in raising the aggregate, they shall not be awarded any Division.

(v) An examinee obtaining at least 75% of the total marks in Theory subject or Practical examination shall be declared to have obtained "Distinction".

204. (i) Notwithstanding anything contained in the Ordinance, the deficiency in case of candidate failing by two marks in the aggregate or in Theory (Written) or Practical shall be condoned.

(ii) If a candidate passes the examination on the marks from the examiners without the benefit of sub-para (i) of this paragraph, but misses division by one mark only, this aggregate shall be raised by one mark so as to entitle him to the First or Second Division, as the case may be.

This additional mark shall be shown separately in the marksheet.

(iii) A candidate passing an examination by condonation of deficiency of marks shall not be placed in the Merit List.

205. The Syllabi for the examination shall be published separately in the Prospectus for the Examination.

206. As soon as possible after the examination, the Executive Council shall publish a list of examinees successful at the examination in the First, Second and Third Divisions respectively, the names of the examinees obtaining the First Three places in the First Division being arranged in *order* of merit.

207. The merit list shall be separate for each of the following, *viz:*–

(1) Vocal Music,

(2) Instrumental Music (all branches taken together)

(3) Percussion Instruments (all branches taken together)

(4) Kathak Dance

(5) Bharatnatyam Dance

(6) Manipuri Dance

208. A successful examinee shall receive a Diploma in a Form prescribed by the Academic Council to be called the Prabudha under the Faculty of Music & Dance.

209.

Scheme of papers for Prabuddha- I

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage.
Theory-I	100	33	33%
Theory-II	100	33	33%
Internal Assesment	40	15	33%
Practical	160	53	33%

Scheme of papers for Prabuddha- II

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage.
Theory-I	100	33	33%
Theory-II	100	33	33%
Internal Assesment	40	15	33%
Practical	160	53	33%

ORDINANCE NO. -15

Parangat Examinations (Music & Dance)

210. (i) There shall be two examinations of Parangat as stated below *viz :*–

(a) Parangat Part - I Examination.

(b) Parangat Part- II Examination.

(ii) The Course for each part shall extend over a period of one Academic Year.

211. The examination shall be held every year on such other date as may be appointed by the Examination Committee in this behalf; the said date being ordinarily notified at least two months before the commencement of the examination.

212. An Candidate seeking admission to Parangat Part - I and Parangat Part - II Examinations shall have passed not less than one Academic Year previously, of the following examination, *viz* :–

(1) Paranagat Part - I

(i) The Prabhudh Examination of the Vishwavidyalaya or examination recognised as equivalent theretoand Class 10^{th} passed.

(2) Parangat Part - II

(i) The Part - I examination of the Parangat under this Ordinance of the Vishwavidyalaya.

213. Every candidate for the Part-I or Part-II Examination shall be examined in the following subjects, *viz :*–

(i) Vocal Music

Or

(ii) Dance (Kathak/Bharatnatyam/Manipuri)

Or

(iii) Instrumental Music in any one of the following branches, *viz :–*

(a)	Sitar	(b)	Sarod
(c)	Violin	(d)	Sarangi
(e)	Guitar	(f)	Flute

(iv) Percussion Intrumental Music in any one of the following branches:-

(a)	Tabla	(b)	Pakhawaj

214. Students shall offer the subject for Parangat out of those of Paragraph 213, on the basis of the main subject offered at the last qualifying examination in Music mentioned in Paragraph 212 of this Ordinance.

215. (i) Every application for admission to the examination shall be in the prescribed Form and shall reach the Registrar within the time as may be prescribed in this behalf.

(ii) All the applicable Fees regarding this programme will be decided by the University from time to time.

216. On the report of the Teaching Department or of the Principal of a College or otherwise, the Executive Council may refuse admission to exclude any candidate from the examination at any stage, if it is satisfied that such candidate is not a fit person to be admitted thereto. The reason for such exclusion shall be recorded.

217. The papers, their maximum and minimum marks required for passing the examination, shall be those as stated in Paragraph 223.

218. (i) In order to be successful at the examination, an examinee shall obtain the minimum marks for the individual papers and aggregate marks as prescribed in Paragraph 223.

(ii) Successful examinees obtaining 60% or more of the aggregate marks shall be placed in the First Division; those obtaining less 60% but not less than 45% of the aggregate marks shall be placed in the Second Division; and all other successful examinees obtaining less than 45% but not less than 33% of the aggregate marks shall be placed in the Third Division.

(iii) No division shall be awarded at the Part - I Examination.

(iv) In determining the Division at the Part - II Examination, the marks at the Part - I examination obtained by the examinee shall be taken into account.

219. The syllabi for the examination shall be as published separately by the Vishwavidyalaya.

220. As soon as possible after the examination, the Executive Council shall publish a list of examinees successful at the examination in the First, Second and Third Divisions respectively, the names of the examinees obtaining the First three places in the First Division being arranged in order of merit.

221. The merit list shall be separate for each of the following, *viz:* –

(i) Vocal Music,

(ii) Instrumental Music (all branches taken together)

(iii) Percussion Instruments (all branches taken together)

(iv) Kathak Dance

(v) Bharathanatyam Dance

(vi) Manipuri

222. A successful examinee shall receive a Diploma in a Form prescribed by the Academic Council to be called the Parangat under the Faculty of Music and Dance.

223. Scheme of papers for Parangat- I and Parangat- II shall be given in the tables below (Appendix - 9):-

Scheme of papers for Parangat- I

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage.
Theory-I	100	33	33%
Theory-II	100	33	33%
Practical			
Stage	80	26	33%
Viva-Voce	160	53	33%
Internal Assessment	60	20	33%

Scheme of papers for Parangat- II

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage.
Theory-I	100	33	33%
Theory-II	100	33	33%
Practical			
Stage	80	26	33%
Viva-Voce	160	53	33%
Internal Assessment	60	20	33%

ORDINANCE NO. –16

Two Year Diploma Examinations

224. (i) There shall be two Examinations for the Two Year Diploma programme of the Vishwavidyalaya: Part-I; and Part-II.

(ii) The duration of each course shall extend over a period of one academic year.

225. The examination shall be held every year on such as may be fixed by the Examination Council in this behalf; the said date being Ordinarily notified at least four months before the commencement of the examination.

226. Subject to their compliance with the requirements of the Ordinance and Regulations of the Vishwavidyalaya, the following persons shall be eligible for admission to the Prathama Examination, *viz*.:–

(i) A Candidate seeking admission to the Part-I shall have passed at least Class 5th under Primary school Certificate Examination as recognized by the Vishwavidyalaya except for admission in Thumri Dadra & Dhrupad Dhamar.

(ii) A Candidate seeking admission to the Part-I for Thumri Dadra & Dhrupad Dhamar shall have passed at least Prabuddha in Vocal Music or its equivalent diploma OR graduate with vocal music as a major as recognized by the Vishwavidyalaya.

227. Any deficiency in attendance at the course of study for the examination or at the classes for practical may be condoned in accordance with the provisions of the relevant Ordinance.

228. Every candidate for the Part I & II Examination shall be examined in any of the following subjects, *viz* :–

(i) Light Music;

(ii) Harmonium/Synthesizer;

(iii) Folk Dance;

(iv) Dhrupad Dhamar;

(v) Thumri Dadra.

229. (i) Every application for admission to the Examination shall be in the prescribed form and shall reach the Registrar within the time prescribed in this behalf.

(ii) The Application shall be accompanied by a fee prescribed by University from time to time.

230. On the report of the Head of the University Teaching Department or of the Principal of a College or otherwise, the Executive Council may refuse admission to or exclude any candidate from the examination at any stage if it is satisfied that such candidate is not a fit person to be admitted thereto. The reason for such exclusions shall be recorded.

231. The papers and the maximum and minimum marks prescribed for passing the examination are detailed in paragraph 237.

232. (i) In order to be successful at the examination, a candidate shall obtain in Theory and Practical separately, the Minimum marks prescribed in Appendix - A.

(ii) Successful examinees obtaining 60% or more of the aggregate marks shall be placed in the First Division, these obtaining less than 60% but not less than 45% of the aggregate marks shall be placed in the Second Division, and other successful examinees obtaining less than 45% but not less than 35% of aggregate marks shall be placed in the Third Division.

(iii) Examinees who have failed to obtain marks as stated above but that deficiency in respect of the minimum marks as prescribed by the Paragraph No. 232 of this Ordinance, is condoned, shall be declared to have passed the examination and shall be placed in the division to which they may be entitled:

Provided that in the case of the examinees who are awarded grace marks in raising the aggregate, they shall not be awarded any division.

(iv)An examinee obtaining at least 75% of the total marks in Theory subject or in Practical examination shall be declared to have obtained "Distinction".

(v)The position of a candidate in the merit list it an examination shall be determined by the marks secured by him from the examiners.

(vi)A candidate passing an Examination by condemnation of deficiency of marks shall not be placed in the merit list.

233. The syllabi for the examination shall be as published separately by the Vishwavidyalaya.

234. As soon as possible after the examination, but not later than the 30th of June next following, the Executive Council shall publish a list of examinees successful at the examination in the First, Second, Third and Pass Divisions respectively, the names of the examinees obtaining the first three places in the First Division being arranged in order of merit.

235. The merit list shall be separate for each of the following, *viz :–*

(i) Light Music;

(ii) Harmonium/Synthesizer;

(iii) Folk Dance;

(iv) Thumri Dadra;

(v) Dhrupad Dhamar.

236. A successful examinee shall receive a Diploma in a Form prescribed by the Examination Council.

237. The papers and maximum and minimum marks for examination of Two-Year Diploma shall be as given below (Appendix- 10):-

Part-I Examination

No.	Name of Paper	Max Mark	Min Passing
1	Practical	200	33%
2	Theory	100	33%

Part-II Examination

No.	Name of Paper	Max Mark	Min Passing
1	Practical	200	33%
2	Theory	100	33%

ORDINANCE NO. - 17

One Year Diploma Examinations

238.(i) There shall be one examination for the One Year Diploma programme of the Vishwavidyalaya.

(ii) The course shall extend over a period of one academic year.

239. The examination shall be held every year on such as may be fixed by the Examination Council in this behalf; the said date being Ordinarily notified at least four months before the commencement of the examination.

240. Subject to their compliance with the requirements of the Ordinance and Regulations of the Vishwavidyalaya, the following persons shall be eligible for admission to the One Year Diploma Examination, *viz.:*– A candidate seeking admission to the Part-I shall have passed at least Class 8th under Primary school Certificate Examination as recognized by the Vishwavidyalay.

241.Any deficiency in attendance at the course of study for the examination or at the classes for practical may be condoned in accordance with the provisions of the relevant Ordinance.

242.Every candidate for the Examination shall be examined in any of the following subjects, *viz:*–

(i) Folk Song;

(ii) Dholak.

243.(i) Every application for admission to the Examination shall be in the prescribed form and shall reach the Registrar within the time prescribed in this behalf.

(ii) The Application shall be accompanied by a fee prescribed by University from time to time.

244.On the report of the Head of the University Teaching Department or of the Principal of a College or otherwise, the Executive Council may refuse admission to or exclude any candidate from the examination at any stage if it is satisfied that such candidate is not a fit person to be admitted thereto. The reason for such exclusions shall be recorded.

245.The papers and the maximum and minimum marks prescribed for passing the examination are detailed in Paragraph 251.

246.(i) In order to be successful at the examination, an shall obtain in Theory and Practical separately, the Minimum marks prescribed in Paragraph-251.

(ii) Successful examinees obtaining 60% or more of the aggregate marks shall be placed in the First Division, these obtaining less than 60% but not less than 45% of the aggregate marks shall be placed in the Second Division, and other successful examinees obtaining less than 45% but not less than 33% of aggregate marks shall be placed in the Third Division.

(iii) Examinees who have failed to obtain marks as stated above but those deficiency in respect of the minimum marks as prescribed by the Paragraph no. 251 of this Ordinance, is condoned, shall be declared to have passed the examination and shall be placed in the division to which they may be entitled:

Provided that in the case of the examinees who are awarded grace marks in raising the aggregate, they shall not be awarded any division.

(iv) An examinee obtaining at least 75% of the total marks in Theory subject or in Practical examination shall be declared to have obtained "Distinction".

(v) The position of a candidate in the merit list it an examination shall be determined by the marks secured by him from the examiners.

(vi) A candidate passing an examination by condemnation of deficiency of marks shall not be placed in the merit list.

247. The syllabus for the examination shall be as published separately by the Vishwavidyalaya.

248. As soon as possible after the examination, but not later than the 30th of June next following, the Executive Council shall publish a list of examinees successful at the examination in the First, Second Third and Pass Divisions respectively, the names of the examinees obtaining the first three places in the First Division being arranged in order of merit.

249. The merit list shall be separate for each of the following, *viz:*–

(i) Folk Song;

(ii) Dholak.

250. A successful examinee shall receive a Diploma in a Form prescribed by the Examination Council.

251. The papers and maximum and minimum marks for One- Year Diploma examination shall be as given in the table below (Appendix- 11):-

No.	Name Of Paper	Max Mark	Min Passing
1	Practical	100	33%
2	Theory	100	33%

ORDINANCE NO. – 18

Last Dates For Admission of Students to Courses of Studies in the University Teaching Departments and Affiliated Colleges

252. (i) The last date for admissions to the University Teaching Departments or Affiliated Colleges shall be decided by the University.

(ii) A complete list of all students admitted to the Affiliated Colleges or University Teaching Departments by the dates fixed for admissions of candidates shall be submitted to the Registrar of the University within 30 days of the last date fixed for admission to the courses concerned in each case:

Provided that the case of admissions of students to a College or University Teaching Departments migrating from other Universities during the Academic Year may be considered separately on the basis of merit in each case.

253. During the First Semester of an academic year, a student may be permitted, with the approval of the Vice-Chancellor, to change the subject.

254. A student shall be enrolled as a member of a College or Teaching Department as soon as he has been accepted by the Head/Principal and has paid the prescribed Fees.

255.(1) No student shall be allowed to migrate from one College to another or from one College to the University Teaching Departments without a Leaving or Transfer Certificate;

(2) No student migrating from one College in the University to another College or Teaching Departments in the University or *vice-versa* shall be required to pay Tuition fee for a month for which he has already paid Tuition Fee in the College or Department from which he has migrated.

256. If during an academic year, a student proposes to leave his College or Teaching Department, he shall, -

(i) give notice of his intention to leave;

(ii) make payment of all College/Department fees due up-to-date; and

(iii) refund whatever scholarship or bursary has been paid to him from the funds of his College, if required by the College/Department to do so;

(iv) return any books/uniform/or any other articles of the College/Department or pay compensation in case of any such articles, if required to do so.

257. When a student has made all payments required by Paragraph 256 of this Ordinance, the Principal shall grant a Transfer Certificate in the Form prescribed by the Academic Council. In the case of Teaching Departments, the Certificate shall be issued by the Registrar.

258. A student who, owing to his failure at a College/Department Home Examination has not been promoted to a higher class, shall not be admitted; to such higher class in another College/ Department.

259. (1) When a student of a College has been guilty of grave misconduct or persistent idleness, the Principal of the College/Head of the University Teaching Department may after informing his guardian and according to the nature and gravity of the offence :-

(a) expel;

(b) rusticate; or

(c) with the approval of Vice-Chancellor, disqualify such student from being a candidate at the examination for which he was pursuing a course at the College.

(2) A copy of the order expelling or rusticating a student shall be forwarded to the University within a week of the issue of such order.

(3) The expulsion of a student from the University or from a College shall entail the removal of his name from the Register of enrolled students.

(4) The rusticatian of a student from the University or College shall disqualify him for attendance at all courses and in all Colleges and Departments of the University and for admission to all examinations of the University during the period for which he has been rusticated.

(5) No person who is under expulsion from a College or from the University shall be granted a Migration Certificate and no person who has been rusticated by the College or by the University shall be granted a Migration Certificate during the period of his rustication.

ORDINANCE NO – 19

Condonation of Deficiency in Attendance at Courses of Studies for Eaminations

260. (i) Subject to the provisions contained in point (ii) below, any deficiency in attendance below 75% of a student at the course of study including practical classes, wherever prescribed, may be condoned upto 5% by the Head of a University Teaching Department or the Principal of a College and beyond this, upto 10% may be condoned by the Vice-Chancellor, on justified grounds.

(ii) The Heads and Principals shall send, not later than four weeks next preceding the date of the commencement of the examination, a list of students who are entitled to condonation of deficiency in accordance with the preceding sub-paragraph and who have applied on the prescribed form for admission to the examinations but have not attended the prescribed number of classes of instructions including the prescribed number of Practical classes stating clearly in the case of each student, -

(a) the extent of his deficiency in attendance in each subject.

(b) his attendance in the aggregate as defined under Ordinance 262;

(c) his recommendation as to whether the deficiency should be condoned; and

(d) the grounds on which his recommendation is based.

261. The list shall be submitted to the Vice-Chancellor who may, after considering the grounds on which condonation is sought and the recommendation of the Heads/Principals, condone or refuse to condone the deficiency. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.

262. The credit for attendance upto maximum of 10 percent may be allowed to be given by the Principals of Colleges/Heads of Teaching Departments concerned to a student representing the College/Teaching Department at the National Inter-National, Inter-Collegiate and Inter-University Games and Sports or for participating on behalf of the College/ Teaching Department in the Inter-University or Inter-College. Youth Festival and other extra-curricular activities and for attending Camps etc. of the National Service Scheme.

263.(i) No student whose attendance is below sixty percent shall be entitled to condonation of deficiency.

Explanation :- (i) "Attendance " means the total of attendance at lecturers for each of the subject prescribed for the course.

(ii) For this purpose, the practical classes shall be considered as a subject where prescribed.

264. (i) A statement of attendance of students of Colleges/Departments at lectures and practical work wherever prescribed, for the University Courses shall, at the end of each Semester, be (a) forwarded by the Principal/Head of the University Department to the University; and (b) communicated to the students attending the courses.

(ii) The statement shall be forwarded to the University not later than one month from the date of completion of the semester concerned.

ORDINANCE NO – 20

Ordinance For The Award Of Doctor Of Philosophy (Ph.D.)

265. **Introduction–**

(1) A Doctorate (Ph.D.) shall be awarded by Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya, Lucknow (hereinafter referred to as "Sanskriti Vishwavidyalaya") strictly in accordance with the provisions contained hereinafter.

(2) The decision of Indian, foreign and non-resident Indian scholars shall be taken by the Research Advisory Committee.

(3) The number of scholars admitted to the Ph.D. programme shall be as per the guidelines of the University Grants Commission.

266. **Eligibility for Registration–**

a. A candidate shall be eligible for registration as a candidate for a Doctorate of the Sanskriti Vishwavidyalaya if he/she qualifies in the entrance test organised by the Sanskriti Vishwavidyalaya and holds any one of the following degrees with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/ Differently-Abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

(i) M.P.A (Vocal/ Instrumental Music/ Dance from any recognised University or an equivalent Post Graduate Degree in Music recognised by the University Grants Commission (UGC); or

(ii) M. Mus/ M.A./M.Phil. (Vocal/Instrumental Music/Dance) or an equivalent degree in music from any recognised university; or

(iii) Masters in Indian classical vocal/ Instrumental /Dance/ from any foreign university subject to approval by the Research Advisory Committee.

b. The admission shall be based on the criteria notified by the institution, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory/regulatory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the State Government from time to time.

c.A candidate having qualified National Eligibility Test (NET) or Junior Research Fellowship (JRF) in Music and Dance.

267. **Procedure for Registration**: Registration for the Ph.D. programme shall be according to the following procedure: -

a. Registration for the Ph.D. programme shall be only from the same faculty from which the student has secured the postgraduate degree.

b. The last date for receipt of the application form, details of entrance test and interview for registration in Ph.D. programme will be declared by the Sanskriti Vishwavidyalaya every year.

c. Self-Attested copies of all the prerequisite documents should be enclosed with the application. Migration certificate (not required for international degree) shall be submitted at the time of registration.

d. The University shall admit students to Ph.D. programme through an entrance test conducted at the level of the University followed by an interview organized by the University.

e. All candidates except those who have qualified UGC (JRF) examination will have to appear for a written test organised by the Sanskriti Vishwavidyalaya.

f. All the candidates who qualify UGC (JRF) examination will have to appear for an interview organized by the Sanskriti Viswavidyalay in which they are expected to discuss their research interest and area. Besides, they shall also be required to give performance in their particular discipline at the time of the interview.

g. 50% marks shall be the minimum qualifying marks to qualify the entrance test:

Provided that a relaxation of 5% marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ST/OBC/differently-abled category, Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

h. The syllabus of entrance test shall consist of 50% from research methodology and 50% shall be from the subject specific. An interview *viva-voce* shall be conducted by the University for the candidates who qualify the entrance test.

i. The candidate should possess the required competence for the proposed research work. The proposed area of research must contribute/add to the existing field of knowledge.

j. The subject of research shall comply with the faculties of the Sanskriti Vishwavidyalaya.

k. Attested copies of the marksheets/grade sheets of Master Degree and Migration Certificate, should be enclosed with the application form. The Migration Certificate should be furnished within a maximum period of six months from the date of submission of application.

l. The teaching staff of the Sanskriti Vishwavidyalaya and candidates employed in other institutions will be required to submit the application with No Objection Certificate (NOC) from the employer and permission for study leave.

268. **Screening Committee**

(1) The constitution of the Screening Committee for purposes of admission to the Ph.D. programme will be as under:-

a.	The Vice-Chancellor	-	Chairperson
b.	The Dean and HOD of faculty concerned	-	Member
c.	Subject Expert/Field Expert Appointed by the Vice-Chancellor	-	Member
d.	Research Co-ordinator	-	Member
e.	External Expert well adept with UGC Ph-D. regulations appointed by VC	-	Member
f.	Faculty members of the Department concerned under whom seats are vacant.	-	Member

(2) In the absence of the Vice-Chancellor, the Dean/H.O.D. of the concerned faculty shall be the Chairperson of the meeting. In such a case one more teacher will be invited by the Dean as the member of the Committee. If, however the Dean/H.O.D. is not available, the Vice Chancellor may invite any teacher from the faculty as a member.

269. **Pre Ph.D.-Coursework:**

(1) After admission, each candidate shall be required to undertake coursework for a minimum period of one semester (six months)

(2) The Credit requirement for the Ph.D. coursework shall be a minimum of 12 credits, including a "Research and Publication Ethics" course as notified by UGC *vide* D.O. No. F.1-1/2018(Journal/CARE) in 2019 and a research methodology course and a course on Basics of Computer Applications.

(3)All Ph.D. scholars, irrespective of discipline, shall be required to train in teaching /education/pedagogy/writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D. scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching/research assistantship for conducting tutorial work and evaluations.

(4) After completion of one semester, the candidate will have to appear in a written examination and will be required to give a presentation on his/her research topic before the Research Advisory Committee. A Ph.D. scholar shall have to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 10-point scale in the course work in order to be eligible to continue in the programme and submit the thesis.

(5) Credits earned for completed course work will be transferable from one institution to another institution of academic Bank of credits. All fresh Ph.D. entrants, irrespective of discipline will be required to take credit based courses in teaching education/ pedagogy/ writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral training period.

(6) If a candidate is disqualified in the Pre- Ph.D. course work, he/she shall be given one more chance of six months to qualify and pass the said course failing which no further opportunity will be given.

270. Allocation of Research Supervisor:

(1) Permanent faculty members of Sanskriti Vishwavidyalaya working as Professor/Associate Professor with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals and permanent faculty members working as Assistant Professors with a Ph.D., and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals may be recognized as a Research Supervisor.

(2) The allocation of the supervisor per selected student shall be decided by the Sanskriti Vishwavidyalaya depending on the number of students per faculty member, the available specialization among the faculty supervisors, and the research interest of the student as indicated during interview by the student. The final decision on allotment / allocation of supervisor shall be taken by Research Advisory committee.

(3)An eligible Professor/Associate Professor/Assistant Professor can guide up to eight (8) / six (6) / four (4) Ph.D. scholars, respectively, at any given time.

271. Progress Report:

(1) Research scholar shall be mandatorily required to submit to the Sanskriti Vishwavidyalaya a six-monthly progress report on the work done during the said period in a prescribed format, through his/her Supervisor which shall be placed before the Research Advisory Committee for perusal.

(2) If the progress of the work is not found satisfactory in two successive reports or no reports are received for a period of one year and if the candidate fails to deposit the prescribed fees, then the Vice-Chancellor may order to cancel the registration of the concerned candidate. The recommendation of the Vice-Chancellor so made shall be placed before the meeting of the Academic Council which will report its recommendation, in turn, to the Executive Council for a final decision on the matter.

272. Research Advisory Committee and its Functions:

(1) There shall be a Research Advisory Committee for each Ph.D. scholar. The Research Supervisor of the Ph.D. scholar concerned shall be the Convener of this committee, and this committee shall have the following responsibilities:

(i) to review the research proposal and finalize the topic of research;

(ii) to guide the Ph.D. scholar in developing the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do;

(iii) to periodically review and assist in the progress of the research work of the Ph.D. scholar.

(2) Each semester, a Ph.D. scholar shall appear before the Research Advisory Committee to make a presentation and submit a brief report on the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The Research Advisory Committee shall submit its recommendations along with a copy of Ph.D. scholar's progress report to the Higher Educational Institution concerned. A copy of such recommendations shall also be provided to the Ph.D. scholar.

(3) In case the progress of the Ph.D. scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the Ph.D. scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend, with specific reasons, the cancellation of the registration of the Ph.D. scholar from the Ph.D. programme.

273.Period of Research:

(1) Ph.D. programme shall be for a minimum duration of three years, including coursework and a maximum duration of six years.

(2) The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of two years for Ph.D. in the maximum duration.

(3) In addition, women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of Ph.D. for up to 240 days.

274. Attendance and Field Work:

(1) Attendance of the research scholar will be according to the working days of an academic session. The attendance of the research scholar shall be verified by the research supervisor. The attendance certificate of the research scholar shall have to be mandatorily submitted by the supervisor at the time of submission of the thesis.

(2) The research scholar may go out of the research centre for field work on the recommendation of research supervisor. The research scholar shall submit the fieldwork report and certificate by the organization / officer concerned to the research coordinator duly forwarded by the research supervisor.

275. Extension of Period of Research:

(1) The candidate shall be eligible to apply for an extension of one more semester after completion of three years from the date of registration of the topic of research. The candidate shall complete his/her thesis within a period of four years from the date of registration of the topic. The Academic Council may extend the period for another two years on the recommendations of the Research Advisory Committee (R.A.C.).

(2) The application in this regard shall be submitted by the researcher with the requisite fee.

(3) The extension shall be given only for six months at a time by R.A.C. under special circumstances, the Vice-Chancellor may extend two terms together at a time.

(4) The total period for the completion of the research work will be six years. In no case, a candidate shall be allowed to submit the thesis after expiry of six years from the date of registration of the topic of research. After the expiry of the aforesaid period, the registration of the candidate shall be cancelled by the University.

276. Language of Thesis:

Thesis for award of Ph.D. shall be written in English or Hindi language only.

277. Thesis nearing completion:

(1) The candidate shall inform the concerned Head / Dean through the Supervisor for conducting the Pre- Submission presentation at least six months prior to the submission of the thesis.

(2) Prior to submission of the thesis, the candidate shall make a Pre-submission Presentation in the Department that may be open to all faculty members and research students for getting feedback and comments which must be incorporated into the draft thesis under the advice of the supervisor.

(3) The candidate shall publish one research paper preferably in a referred journal or UGC CARE Listed Journal and make two paper presentations in conferences / seminars before the submission of the thesis for adjudication, and produce evidence of the same in the form of presentation certificates or the reprint.

(4) Candidate must submit the thesis within 6 months of making the Pre-Submission presentation.

278. Submission of thesis:

(1) Thesis shall not be accepted for examination unless:-

(i) the thesis is submitted within the period prescribed for pursuance of research by these Ordinance; and

(ii) thesis is typed on single side of the paper following latest MLA (Modern Language Association) guidelines.

(2) The prescribed format of typing shall be as follows:-

(a) English typing: -

(i)	Font style	:	Times New Roman
(ii)	Font size	:	12
(iii)	Spacing	:	2.0

(b) Hindi typing: -

(i)	Font style	:	Arial Unicode MS/ Kokila/ Aparajita
(ii)	Font size	:	14
(iii)	Spacing	:	2

(3) The candidate shall submit five copies of the thesis, along with two soft copies of the thesis and four copies of the summary, out of which one copy of the thesis will be sent to the University Grants Commission.

(4) **Plagiarism:**-The Higher Educational Institution concerned shall have a mechanism using well-developed software applications to detect plagiarism in research work and the research integrity shall be an integral part of all the research activities leading to the award of a Ph.D. degree.

(5) A Ph.D. scholar shall submit the thesis for evaluation along with:

(a) an undertaking from the Ph.D. scholar that there is no plagiarism; and

(b) a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree/diploma to any other Higher Educational Institution.

(6) The Ph.D. scholar shall give one copy of the thesis to the supervisor. The copy of the thesis shall not be returned to the researcher or the supervisor.

(7) The Ph.D. scholar shall also submit subsidiary matter in support of his/her thesis relating to any contribution to the advancement of study of the subject of the thesis which he/ she may have previously published independently or conjointly.

(8) Submission of a "No-dues" certificate by the Ph.D. scholar from the Sanskriti Vishwavidyalaya library, fee section and hostel *etc.* shall also be mandatory.

279. Declaration:

(1) While submitting the thesis for examination, the candidate shall submit a signed declaration.

(2) The certificate of the Research Supervisor attesting the originality of the thesis shall be forwarded by the Dean / HOD of the Faculty / Department concerned. If the Dean / HOD is not available, the seniormost teacher may forward such certificate of the Supervisor.

(3) The plagiarism report shall also be attached with the thesis.

280. Appointment of Examiners:

(1) A panel of examiners (at least six names of the experts) shall be submitted by the Dean of the Faculty after consulting the Head of the Department. If necessary, the Supervisor can be consulted for the names of the examiners. The Vice-Chancellor may include names of some more examiners in the panel of examiners, if needed. In the absence of Dean, the Vice-Chancellor may ask the Head of the Department concerned for the names of the examiners.

(2) The thesis shall be referred to two examiners, from the panel approved by the Vice Chancellor for evaluation, out of which one examiner must be from other State.

281.Evaluation of Thesis:

(1) The favourable report of both examiners shall be mandatory for the thesis to be processed further.

(2) If any examiner does not send the report within a period of two (02) months from the date of receipt of the thesis, the Vice Chancellor may appoint a new examiner from the panel.

(3) In case one of the examiners rejects the thesis, it shall be referred to the third examiner whose decision shall be final. The third examiner shall be appointed by the Vice Chancellor from the aforesaid panel of six names.

(4) If the reports of both examiners is negative, the reports shall be placed before the Academic Council for its recommendations and the Executive Council shall take the final decision.

(5) The entire process of evaluating a Ph. D. thesis, including the declaration of the Viva-Voce result, shall be completed within a period of six (6) months from the date of submission of the thesis.

282.Viva-Voce:

(1) On receipt of satisfactory evaluation reports, the candidate shall undergo a Viva-Voce examination which shall be conducted by an examiner of the thesis.

(2) If both examiners are unable to conduct the Viva-Voce test, the Vice Chancellor shall appoint any other subject expert to conduct the Viva-Voce examination.

(3) The Viva-Voce examination shall be conducted by a Committee appointed for the purpose by the Vice Chancellor subject to the condition that the supervisor shall be the internal examiner and at least one of the examiners of the thesis shall mandatorily be a member of the committee.

(4) If the Supervisor is not available for Viva-Voce examination, the Vice-Chancellor shall appoint any other subject expert to conduct the examination.

(5) If a candidate fails in Viva-Voce test, he/she shall be given another opportunity to appear. If the candidate fails at the second Viva-Voce test, the thesis shall be rejected.

(6) The Viva-Voce examination shall be held only after the consent of the examiner on a specific date and time. If the examiner is present in the Viva-Voce examination and the candidate is absent in the examination, the candidate shall bear all the expenses relating to the next Viva-Voce examination. The candidate shall have also to state the reasons in writing for not appearing in the Viva-Voce examination.

(7) The Viva-Voce may be conducted online. The Viva-Voce shall be open to the members of the Research Advisory Committee/faculty members/research scholars, and students of the University.

283.Report of Examiners: After the Viva-Voce test, the report of the examiners and the result of the Viva-Voce test shall be placed before the Academic Council which shall follow the procedure provided hereinafter.

284.Ph. D. through Distance Mode and in Regular Employment:

(1) Notwithstanding anything contained in these Ordinances or any other Rule or Regulation fo the University, for the time being in force, no University/College shall conduct Ph.D. programmes through distance education mode/online mode.

(2) Candidates in service shall be allowed to do Ph.D., provided that all the eligibility conditions mentioned in these Ordinances.

285.Issuing a Provisional certificate: Prior to the actual award of the degree, the degree-awarding Institution shall issue a provisional certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of UGC Regulations.

286. Submission of Ph.D. thesis on INFLIBNET Centre (Information and Library Network Centre): Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph. D. degree (s) the University shall submit an electronic copy of the Ph. D. thesis to the INFLIBNET for hosting the same so as to make it accessible to all Institution/Colleges.

287. Revision of thesis:

(1) On the recommendations of any one or both the examiners, Sanskriti Vishwavidyalaya may permit the candidate to resubmit the thesis in a revised form within a period of not more than six months from the date of receipt of communication from the examiners.

(2) No candidate shall be permitted to submit the thesis in a revised form more than once.

288.Publication of the thesis:

(1) The candidate shall have to inform in writing to the Sanskriti Vishwavidyalaya prior to publication of his/her thesis. The thesis, on which Sanskriti Vishwavidyalaya has conferred the Degree of Doctor of Philosophy, published by or on behalf of the candidate, or any other person or agency, as the case may be, shall prominently state that the thesis was accepted for the candidate by the Sanskriti Vishwavidyalaya.

(2) The candidate shall submit two copies of the published thesis to the Sanskriti Vishwavidyalaya.

289. Change of Supervisor: If a candidate for cogent reasons, intends to change his/her Supervisor, it may be permitted by the Vice Chancellor after the approval of the RAC. In such cases, the mutual consent of the present Supervisor the proposed Supervisor and the candidate shall be essential.

290. Foreign and non-resident Indian scholars:

(1) The Sanskriti Vishwavidyalaya may allow foreign and non resident Indian (NRI) scholars who may be visiting India as short term candidates in connection with their doctoral, post doctoral or other research projects.

(2) Foreign and non-resident students desirous of registering themselves as candidates in the Sanskriti Vishwavidyalaya for their doctoral or post-doctoral projects shall have to strictly adhere to UGC norms and their registrations will be strictly in accordance with UGC norms.

(3) In both the cases above the decision of the RAC shall be final.

291. Cancellation of the Ph.D.: If at any time after the Ph.D. has been awarded to the candidate, it is discovered that there has been a material irregularity in the award of the said Ph.D., the Sanskriti Vishwavidyalaya shall cancel the said Ph.D. forthwith and shall communicate the said decision to the candidate.

Explanation : "Material Irregularity" means obtaining the degree by practising fraud, plagiarism or any other malpractice.

292. Miscellaneous:

(1) Canvassing in any form, at any stage, by a candidate in pursuance of his thesis shall render his thesis / research to be cancelled immediately by the Sanskriti Vishwavidyalay.

(2) Anything not contained in this Ordinance shall be governed by the University Grant Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022. The decision of the University shall be final and binding on all.

ORDINANCE NO – 21

ORDINANCE RELATING TO THE DOCTOR OF LETTERS (D.Litt).

The Degree of Doctor of Letters shall be awarded on a thesis submitted to the Vishwavidyalaya in accordance with the provisions of the Ordinance contained hereafter.

293. Eligibility for registration:

(1) A scholar shall be eligible for registration for the degree of Doctor of Letters if she/he holds the degree of Doctor of Philosophy of this University or any University/deemed University recognized by this University of at least five years standing.

(2) The D.Litt. Degree shall be awarded on the basis of an original work.

294. Procedure: Registration for the degree of D.Litt. shall be in accordance with the following procedure :-

(I) A scholar for D.Litt. Degree must apply for registration on the prescribed application form as per Appendix-12 obtainable on payment of prescribed fee for Registration, if necessary;

(II) There may be two meetings of General Committee of Research during the year;

(III) Last date for the receipt of application forms for D.Litt. Registration shall be in the prescribed form and will be scheduled only once in an year;

(IV) The subject of research shall comply with the general nature of the University;

(V) Attested copies of the marksheet/grade sheet of Master Degree or Diploma/M.Phil Degree, Ph.D. Certificate, migration certificate, where ever required, shall be enclosed with the application. Registration shall be confirmed only after submission of the migration certificate by the scholar. Maximum six months' time shall be given for the submission or migration certificate. The Vice Chancellor may extend the time for six months more under special circumstances;

(VI) The registration shall stand cancelled if the scholar fails to submit the migration certificate within the stipulated period;

(VII) Application shall be accompanied with five copies of typed or printed synopsis of the proposed subject as per appendix - 13;

(VIII) Applications complete in all respects shall be placed before the Screening Committee and thereafter before the General Committee of Research constituted by the Statutes of the Vishwavidyalaya;

(IX) The General Committee of Research may approve / modify the subject / synopsis or propose a new subject;

(X) The recommendations of the General Committee shall be placed before the Academic Council, which shall consider the application in the light of the recommendations made by the General Committee of Research;

(XI) The Academic Council shall have the right to accept, reject or modify the recommendations of the General Committee of Research. After the final approval of the registration from the related bodies, the University shall intimate the scholar about his or her registration and the names of the scholar shall be included in the list of registered scholars. The Scholar shall be considered registered from the date of the meeting of Research Committee;

295.The Screening Committee:

(1) The Screening Committee of research shall make its recommendations only after interviewing the scholar.

(2) The following persons shall be the members of the Screening Committee for the Concerned Faculty :-

(i) The Vice Chancellor	-	Chairperson
(ii) Dean of the Faculty	-	Member
(iii) Head of the Department	-	Member

(iv) Two external experts of the rank of Professor or eminent scholar of the field concerned to be appointed by the Vice-Chancellor from a Member panel of at least four names given by the Dean/H.O.D of the faculty.

Explanation:-

(a) If the subject relates to two disciplines, the Head or a teacher of the other related Department shall also be the member of the Committee.

(b) In absence of the Vice Chancellor, the Dean of the Faculty concerned shall be the chairperson of the Screening Committee and in such case one more teacher of the subject concerned shall be invited to the committee as a member.

(c) Four members including Chairperson of the Committee will form the quorum.

296. Six Monthly Report:

(1) The scholar registered for D.Litt. Degree shall submit a report after every six months in the prescribed proforma. (Appendix No. 14)

(2) On receipt of an unsatisfactory six-monthly report or after not receiving any report for one year, his registration may be cancelled. Under special circumstances Vice-Chancellor may approve the late submission of the report with required fee.

(3) Every scholar shall also pay fee along with six monthly reports as retention fee as decided by the University from time to time. Such fee shall be payable from the date of registration.

297. Period of Research:

(1) A scholar shall not be allowed to submit the thesis for evaluation earlier than 3 years from the date of registration and not later than 6 years. It is expected that the scholar will complete his/ her work within the period of 4 years.

(2) If a candidate feels that he/she needs a supervisor to supervise his/her D.Lit. work, he/she shall propose the name of supervisor supported with the brief Bio-data and the acceptance letter of the supervisor along with the application from. The final decision shall be taken by the General committee of Research regarding approval/rejection/change of supervisor.

(3) If a candidate has an experience of ten years teaching in the subject concerned then rule for gap period may be relaxed as mentioned in Ordinance 21.

(4) Facility of re-registration on the same topic may be granted to the candidate, provided he/she fulfills all the other formalities a fresh. If the topic is changed at the time of re-registration, the candidate shall have to appear before the screening committee again.

(5) The candidate shall have to deposit required fee along with the payment of old dues if any.

(6) The Vice-Chancellor may extend the date of submission of application forms as and when ncecessery.

298. Extension:

(1) After completion of 4 years, if required, a scholar may apply for extension of his/her research period.

(2) If the Vice-Chancellor is satisfied, the scholar may be granted an extension of one year that may be extended for another year under special cirumstances. In no case shall such extension exceed two years.

(3) The applicant may submit his/her application for extension with requisite fees. The application must reach the office at least two months before the completion of the provided research period.

299. Language of Thesis:

Thesis shall be written in English or Hindi only.

300. Thesis when nearing Completion:

(1) The scholar shall ordinarily inform the University at least six months before the date by which he or she expects to submit the thesis to the University for Examination.

(2) Prior to submission of the thesis, the Scholar shall present a pre-submission seminar on his/her thesis in the faculty concerned that may be open to all faculty members and research scholars to get feedback and comments, which may be incorporated in the thesis.

(3) The report of the seminar shall be submitted by Dean/Head to the Registrar.

301. Submission of thesis:

No thesis shall be accepted for examination unless,–

(i) it is submitted within the period prescribed for pursuance of research by this Ordinance,

(ii) the scholar submits six copies of the thesis, typed or printed, along with six copies of summary. Scholar shall also submit two soft copies of the thesis and summary.

(iii) the size of the thesis is in A 4 and the font is as follows:-

1. English Typing: -

(i)	Font style	:	Times new roman
(ii)	Font size	:	12
(iii)	Spacing	:	2.0

2. Hindi Typing: -

(i)	Font style	:	Arial Unicode MS/ Kokila/ Aparajita
(ii)	Font size	:	14
(iii)	Spacing	:	2

(iv) researchers submit a "No-dues" certificate from the University library, Fee Section, Hostel *etc*, as applicable.

302.Declaration with thesis:

The scholar shall submit a signed declaration that the thesis submitted by him/ her is his/her original contribution and the thesis submitted is not substantially the same as one which has been submitted for a degree or any other academic qualification in any University or Examining body in India or in any other country. (As per Appendix No. 15)

303. Appointment of Examiners:

(1) A panel of eight examiners shall be submitted to the University by the Dean of the Faculty after consulting the Head of the Department. The Vice-Chancellor may include names of some more examiners in the list (if necessary).

(2) The thesis shall be referred to three examiners appointed by the Vice-Chancellor for evaluation.

304. Evaluation of Thesis:

(1) The favorable reports from all the examiners shall be mandatory.

(2) If any examiner does not send the report within a period of six months from the date of the receipt of the thesis, the Vice Chancellor may appoint new examiners.

(3) The examiners shall send their reports separately in sealed covers.

(4) If reports of two/all the examiners are in negative, the report shall be tabled in Academic Council. The Executive Council, on the recommendations of the Academic Council, shall reject the thesis.

(5) The work of the scholar shall comply with the following conditions to merit the award of the degree:-

(a) it must be a substantial work making addition per excellence to learning in one or more branches of studies;

(b) it must be an original work in the sense of opening of new fields of research or of making a marked advancement on the results of previous investigations or of giving new interpretation/s to already known facts;

(c) it must be a scholarly work of high merit;

(d) it must not be a work done conjointly with any other person but must be the scholar's singular work.

(6) The examiner must give specific opinions on the following points:-

(a) whether the thesis embodies an original piece of research work characterized by the discovery of new facts or by a fresh approach towards interpretation of facts and theories;

(b) how far the work evinces candidate's capacity for original thinking, critical examination and sound judgment;

(c) whether the thesis is satisfactory on point of language and presentation of subject matter;

(d) whether the thesis can be approved for D.Litt. degree.

(7) The examiners must also furnish a detailed report on the thesis in the prescribed preform together with a set of questions to be asked at the time of Viva-Voce examination.

(8) In case the examiner suggests for an improvement of thesis, she/ he must give a detailed report on the lines on which the thesis be modified and resubmitted.

305. Viva - Voce

(1) Every research scholar shall be required to present him or herself at a specified time and place for Viva-Voce test. The examiners appointed for examination of the thesis shall conduct such Viva-Voce test.

(2) If any of the three or any examiners are unable to conduct the Viva-Voce test, the Vice- Chancellor may appoint any other subject expert to conduct the viva-voce examination.

(3) Two examiners shall conduct the Viva-Voce examination. The Vice-Chancellor will appoint the examiners from the panel of examiners who had evaluated the thesis.

(4) If a scholar fails in a Viva-Voce test, the examiners shall give him another opportunity to appear for Viva-Voce test. If the scholar fails at the second Viva-Voce test, his thesis shall be rejected.

(5) Examiners invited for Viva-Voce shall be paid as per University rules after they produce proper receipts as applicable.

306. Report of the Examiners:

(1) After the Viva-Voce test, the report of the evaluation of the thesis shall be placed before the Vice-Chancellor who, after thorough examination of the records, shall declare the result and forward it to be placed before the Examination Council for its approval of the award of the Degree of the Doctor of Letters of the Vishwavidyalaya and it shall be reported to the Executive Council accordingly.

(2) After the declaration of the result, the successful scholar will be entitled for the Degree from the date of Viva-Voce.

307.Revision of thesis:

(1) If two examiners approve the thesis and the third rejects/suggests revision, the thesis shall be sent for evaluation to fourth examiner (without the reports of the earlier examiners) appointed by the Vice-Chancellor. The opinion of the fourth examiner shall be final.

(2) In case the candidate is asked by the fourth examiner to revise the thesis, the candidate shall be permitted to revise on the lines as suggested by the examiner. The comments of the examiner shall be made available to the candidate without disclosing the identity of the examiner.

(3) In case all the three examiners suggest revision/rejection, or two examiners advise revision/rejection and third approves, the thesis shall stand rejected.

(4) On the recommendation of the examiners, the Vice-Chancellor may permit the scholar to submit his/her thesis in revised form within a period not less than six months and not more than eighteen months from the date on which she/he receives the communication conveying the decisions in this regard.

(5) In case the examiners recommend the revised thesis for the award of the degree then the candidate shall be called upon to appear in the Viva-Voce examination.

(6) The revised thesis must receive recommendations from all the examiners for the award of the degree or else the thesis will be rejected.

(7) No candidate shall be permitted to submit the thesis in a revised form for more than once. The revised thesis shall be referred to the same examiners who had examined the thesis for the first time.

(8) The cover page of the revised thesis must contain the following statement: "Revised Thesis submitted for the Degree of Doctor of Letters". [This will be written in place of the statement for the first submission of the thesis, which goes as "Thesis submitted for the Degree of Doctor of Letters".]

308. Withdrawal of the Degree:

In case of any irregularity found later on, the University shall withdraw the Degree.

309. Fee:

The scholar shall have to deposit the fee related to D.Litt. Degree as per the University rules.

310. Appearing at other examinations:

No scholar shall be permitted to attend any course of studies or appear in any examination of a University or any other institution during the period he continues to be a research scholar of this Vishwavidyalaya.

311. Publication of the thesis:

(1) If a thesis on which the Vishwavidyalaya has conferred the Degree of Doctor of Letters is published by or on behalf of the scholar, the scholar or the other person or agency publishing the thesis, as the case may be, shall prominently State that the thesis was accepted for the Degree of Doctor of Letters by the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya.

(2) The research scholar shall submit two copies of his/her publication to the University.

(3) For the publication purpose, a D.Litt. scholar may request for the reports of the examiners after depositing the required fee.

312. No Objection Certificate from employer:

The candidate shall produce NOC, if in service from his employer.

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Apar Mukhya Sachiv.

ORDINANCE-08

APPENDIX- 1

Credit Framework

Sem.-I	DSC	DSE	AEC	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	English			
Sem.-II	DSC	DSE	AEC	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	English			
Sem.-III	DSC	DSE	AEC	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	EVS			
Sem.-IV	DSC	DSE	AEC	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	EVS			
Sem.-V	DSC	DSE	Multidisciplinary	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	Hindi or Sanskrit			

Sem.-VI	DSC	DSE	Multidisciplinary	SEC	VAC	Total
	10	4	2	2	2	20
	Core	Elective	Hindi or Sanskrit			
Sem.-VII	DSC					Total
	Viva-Voce	Stage Performance	Internship	Research Methodology		
	10	4	2	6		22
Sem.-VIII	Viva-Voce	Stage Performance	Dissertation	Program Reporting		Total
	10	4	6	2		22
Grand Total						**164**

DSC- Discipline Specific Course
DSE-Discipline Specific Elective
AEC- Ability Enhancement Course
SEC- Skill Enhancement Course
VAC-Value Added Course
EVS- Environmental Studies

ORDINANCE-09

APPENDIX-2

Scheme of Examination for M.P.A. for Vocal, Instrumental (SwaraVadya) Music, Percussion & Dance (Kathak and Bharatnatyam shall be as given in Appendix-2

SEMESTER – I

Course		External Evaluation		Internal Evaluation		Maximum Marks	Minimum Pass Marks
		Maximum Marks	Minimum Pass Marks	Maximum Marks	Minimum Pass Marks		
Paper I	Theory	70	28	30	12	100	40
Paper II	Theory	70	28	30	12	100	40
Paper III	Practical - I VIVA-VOCE	70	28	30	12	100	40
Paper IV	Practical - II STAGE PERFORMANCE	70	28	30	12	100	40
Paper V	Project	100	40				
Total		**380**		**120**		**500**	

SEMESTER – II

Course		External Evaluation		Internal Evaluation		Maximum Marks	Minimum Pass Marks
		Maximum Marks	Minimum Pass Marks	Maximum Marks	Minimum Pass Marks		
Paper I	Theory	70	28	30	12	100	40
Paper II	Theory	70	28	30	12	100	40
Paper III	Practical - I VIVA-VOCE	70	28	30	12	100	40
Paper IV	Practical - II STAGE PERFORMANCE	70	28	30	12	100	40
Paper V	Project	100	40				
Total		**380**		**120**		**500**	

SEMESTER – III

Course		External Evaluation		Internal Evaluation		Maximum Marks	Minimum Pass Marks
		Maximum Marks	Minimum Pass Marks	Maximum Marks	Minimum Pass Marks		
Paper I	Theory	70	28	30	12	100	40
Paper II	Theory	70	28	30	12	100	40
Paper III	Practical - I VIVA-VOCE	70	28	30	12	100	40
Paper IV	Practical - II STAGE PERFORMANCE	70	28	30	12	100	40
Paper V	Project	100	40				
Total		**380**		**120**		**500**	

SEMESTER – IV

Course		External Evaluation		Internal Evaluation		Maximum Marks	Minimum Pass Marks
		Maximum Marks	Minimum Pass Marks	Maximum Marks	Minimum Pass Marks		
Paper I	Theory	70	28	30	12	100	40
Paper II	Theory	70	28	30	12	100	40
Paper III	Practical - I VIVA-VOCE	70	28	30	12	100	40
Paper IV	Practical - II STAGE PERFORMANCE	70	28	30	12	100	40
Paper V	Projcet	100	40				
Total		**380**		**120**		**500**	

Note: Name of the subjects and papers may be entered during the results and marksheets preparation with respect to the nomenclatures as mentioned in the syllabus of the respective subjects; Vocal and Instrumental (SwaraVadya) Music, Percussion, Dance (Kathak, Bharatnatyam)

ORDINANCE-10

APPENDIX-3

COURSE STRUCTURE FOR B.V.A. IN PAINTING

BACHELOR OF VISUAL ARTS

B.V.A. I SEMESTER (Foundation Course)

Paper	Name of Paper	Credit Hours	External %		Internal %		Total Max. Marks	Total Min. Marks
			Max. Marks	Min. Marks	Max. Marks	Min. Marks		
I	History of Art (Indus Valley Civilization to Gupta Period)	2	70	23	30	10	100	33
II	English/Hindi Language	2	70	23	30	10	100	33
III	Environmental Study	2	70	23	30	10	100	33
IV	Drawing	3	70	28	30	12	100	40
V	Design 2D	5	70	28	30	12	100	40
VI	Design 3D	5	70	28	30	12	100	40
VII	Print-Making	5	70	28	30	12	100	40
Total Credit		**24**	**Total Marks**				**700**	**259**

B.V.A. II SEMESTER (Foundation Course)

Paper	Name of Paper	Credit Hours	External %		Internal %		Total Max. Marks	Total Min. Marks
			Max. Marks	Min. Marks	Max. Marks	Min. Marks		
I	History of Art (Medieval Period to Present Day)	2	70	23	30	10	100	33
II	English/Hindi Language	2	70	23	30	10	100	33
III	Environmental Study	2	70	23	30	10	100	33
IV	Drawing	3	70	28	30	12	100	40
V	Design 2D	5	70	28	30	12	100	40
VI	Design 3D	5	70	28	30	12	100	40
VII	Print-Making	5	70	28	30	12	100	40
Total Credit		**24**	**Total Marks**				**700**	**259**

B.V.A. III SEMESTER (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit Hours	External %		Internal %		Total Max. Marks	Total Min. Marks
			Max. Marks	Min. Marks	Max. Marks	Min. Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Technical Theory	3	70	23	30	10	100	33
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any *one*)	2	70	28	30	12	100	40
	Landscape							
	Disaster Management							
	Yoga							
	Wood cut / Linocut							
Total Credit		**24**	**Total marks**				**500**	**186**

B.V.A. IV SEMESTER (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max. marks	Total Min. marks
			Max. Marks	Min. Marks	Max. Marks	Min. Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Aesthetics	3	70	23	30	10	100	33
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any *one*)	2	70	28	30	12	100	40
	Landscape							
	English Language & Communication Skill							
	Travel and Tourism							
	Functional Hindi							
Total Credit		**24**	**Total Marks**				**500**	**186**

B.V.A. V SEMESTER (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max. Marks	Total Min. Marks
			Max. Marks	Min. Marks	Max. Marks	Min. Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Aesthetics	3	70	23	30	10	100	33
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any *one*)	2	70	28	30	12	100	40
	Print and Publishing							
	Computer Application							
	Clay Modelling							
Total Credit		**24**	**Total Marks**				**500**	**186**

B.V.A. VI SEMESTER (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max. Marks	Total Min. Marks
			Max. Marks	Min. Marks	Max. Marks	Min. Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Project/Seminar	3	70	28	30	12	100	40
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any *one*)	2	70	28	30	12	100	40
	Personality Development							
	Sugam Sangeet/ Folk Music							
Total Credit		**24**	**Total marks**				**500**	**193**

B.V.A. VII SEMESTER (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max. Marks	Total Min. Marks
			Max. Marks	Min. Marks	Max. Marks	Min. Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Aesthetics (Western)	3	70	23	30	10	100	33
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any *one*)	2	70	28	30	12	100	40
	Portraiture							
	Art Criticism							
	Luxury Product Design (Exhibition & Viva)							
Total Credit		**24**	**Total Marks**				**500**	**186**

B.V.A. VIII SEMESTER (Specialization in Painting)

Paper	Name of Paper	Credit hours	External %		Internal %		Total Max. Marks	Total Min. Marks
			Max. Marks	Min. Marks	Max. Marks	Min. Marks		
I	History of Art	3	70	23	30	10	100	33
II	Project / Seminar (Contemporary Art in India)	3	70	28	30	12	100	40
III	Drawing	8	70	28	30	12	100	40
IV	Composition	8	70	28	30	12	100	40
V	Elective Subject (any *one*)	2	70	28	30	12	100	40
	Portraiture							
	Art Criticism							
	Luxury Product Design (Exhibition & Viva)							
Total Credit		**24**	**Total Marks**				**500**	**193**

Note:-

1. Technical theory/Seminar/Project/Assignment will be conducted by the Department concerned.
2. Internal assessment for each semester shall be done by the class teacher or a committee constituted for such purpose by the Head of the respective Department.

ORDINANCE-12

APPENDIX-4

Grade Points	Description	% of Marks	Division/ Grade
9.1 -10	Outstanding	90 to 100	First/O
8.1 -9	Excellent	80 to 89	First/A
7.1 -8	Very good	70 to 79	First/B
6.1 -7	Good	60 to 69	First/C
5.1 -6	Fair	48 to 59	Second/D
4.1 -5	Average	36 to 47	Pass/E
0.0 -4	Dropped	Below 36	F

APPENDIX-5

Structure UG Program (ThreeYears/FourYears)-Ancient Indian History Culture and Archaeology Appendix

Year	Semester	Course	Major 1		Major 2		Minor		CC/ VC		Total Credits	Award
	Ancient Indian History, Culture and Archaeology			Credits		Credits		Credits		Credits		
1	Semester 1	Paper 1	Sources and Timeline of Ancient Indian History*	4	Paper 1	4	Paper 1	4	CC1	4	24	Certificate
		Paper 2	Political History of Ancient India from c.600 BC to 187 BC	4	Paper 2	4						
	Semester 2	Paper 3	Political History of Ancient India from c.187 BC to c.550 AD*	4	Paper 3	4	Paper 3	4	VC1	4	24	
		Paper 4	Historiography of Ancient India	4	Paper 4	4						

2	Semester 3	Paper 5	Political History of Ancient India from c.550 AD to 750 AD	4	Paper 5	4	Paper 6	4	CC2	4	24	Diploma
		Paper 6	Ancient Indian Social Organization*	4	Paper 6	4						
	Semester 4	Paper 7	Field Archaeology	4	Paper 7	4	Paper 8	4	VC2	4	24	
		Paper 8	Ancient Indian Economic Organization*	4	Paper 8	4						
3	Semester 5	Paper 9	Ancient Indian Epigraphy and Paleography	4	Paper 9	4			Inter-nship/ Term Paper	4	24	B.A. Degree
		Paper 10	Religious Systems of Ancient India	4	Paper 10	4						
		Paper 11	Political History of Early Mediaeval Northern India	4								
	Semester 6	Paper 12	Ancient Indian Numismatics	4	Paper 12	4			Minor Proj-ect	4	24	
		Paper 13	Prehistory and Proto-history of India	4	Paper 13	4						
		Paper 14	Ancient Indian Architecture	4								
4	Semester 7	Paper 15	Asoka-A special study	4					Re-search Met-hod-ology	12	24	B.A. Research
		Paper 16	Ancient World civilizations	4								
		Paper 17	Sculpture and Painting of Ancient India	4								
	Semester 8								Major Proj-ect	24	24	
				68		**48**		**16**		**60**	**192**	

*THE COURSE WILL BE OFFERED TO STUDENTS HAVING MINOR SUBJECT AS ANCIENT INDIAN HISTORY AND ARCHAEOLOGY.

Structure UG Program (Three Years /Four Years)-Buddhist Philosophy
Appendix

Year	Semester	Course	Major 1		Major 2		Minor		CC/ VC		Total Credits	Award
	Buddhist Philosophy			Credits		Credits		Credits		Credits		
1	Semester 1	Paper 1	Buddha and Sangha-1*	4	Paper 1	4	Paper 1	4	CC1	4	24	Certificate
		Paper 2	Teaching's of Buddha-1	4	Paper 2	4						
	Semester 2	Paper 3	Buddha and Sangha-2	4	Paper 3	4	Paper 4	4	VC1	4	24	
		Paper 4	Teaching's of Buddha-2*	4	Paper 4	4						
2	Semester 3	Paper 5	Buddhist Sects-1*	4	Paper 5	4	Paper 5	4	CC2	4	24	Diploma
		Paper 6	Buddhist Philosophers-1	4	Paper 6	4						
	Semester 4	Paper 7	Buddhist Sects-2	4	Paper 7	4	Paper 8	4	VC2	4	24	
		Paper 8	Buddhist Philosophers-2*	4	Paper 8	4						
3	Semester 5	Paper 9	Buddhism in Sri Lanka-1	4	Paper 9	4			Intern-ship/ Term Paper	4	24	B.A. Degree
		Paper 10	Buddhism in China and Tibet-1	4	Paper 10	4						
		Paper 11	Buddhism in South and South-East Asia-1	4								
	Semester 6	Paper 12	Buddhism in Sri Lanka-2	4	Paper 12	4			Minor Project	4	24	
		Paper 13	Buddhism in China and Tibet-2	4	Paper 13	4						
		Paper 14	Buddhism in South and South-East Asia-2	4								
4	Semester 7	Paper 15	Buddhist Education	4					Research Methodology	12	24	B.A. Research
		Paper 16	Buddhist, Art, Architecture and Iconography	4								
		Paper 17	Buddhist Religious Places	4								
	Semester 8	Paper 18							Major Project	24	24	
				68		**48**		**16**		**60**	**192**	

*THE COURSE WIL LBE OFFERED TO STUDENTS HAVING MINOR SUBJECT AS BUDDHIST PHILOSOPHY.

Structure UG Program (Three Years/ FourYears)-PALI
Appendix

Year	Semester	Course	Major 1		Major 2		Minor		CC/ VC		Total Credits	Award
	PALI			Credits		Credits		Credits		Credits		
1	Semester 1	Paper 1	Outline of Pali literature	4	Paper 1	4	Paper 2	4	CC1	4	24	Certificate
		Paper 2	Introduction of Pali Language*	4	Paper 2	4						
	Semester 2	Paper 3	Pali Vinayapitaka literature	4	Paper 3	4	Paper 4	4	VC1	4	24	
		Paper 4	Initial Pali Grammar*	4	Paper 4	4						
2	Semester 3	Paper 5	Pali Sutta literature	4	Paper 5	4	Paper 6	4	CC2	4	24	Diploma
		Paper 6	Higher Pali Grammar&1*	4	Paper 6	4						
	Semester 4	Paper 7	Introduction to Pali Tripitaka literature*	4	Paper 7	4	Paper 7	4	VC2	4	24	
		Paper 8	Pali Translation and Essay	4	Paper 8	4						
3	Semester 5	Paper 9	Pali lineage literature	4	Paper 9	4			Inter-nship/ Term-Paper	4	24	B.A. Degree
		Paper 10	Higher Pali Grammar-2	4	Paper 10	4						
		Paper 11	Pali Poetic literature	4								
	Semester 6	Paper 12	Pali writers of modern India	4	Paper 12	4			Min-or Proj-ect	4	24	
		Paper 13	Pali Abhidhammapitaka literature	4	Paper 13	4						
		Paper 14	Buddhist mediation in Pali literature	4								
4	Semester 7	Paper 15	Buddhist art and architecture	4					Res-earch Proj-ect	12	24	B.A. Research
		Paper 16	Development of Buddhism ¼up to 3rd Century½	4								
		Paper 17	Research methodology	4								
	Semester 8								Maj-or Proj-ect	24	24	
				68		**48**		**16**		**60**	**192**	

*THE COURSE WILL BE OFFERED TO STUDENTS HAVING MINOR SUBJECT AS PALI.

ORDINANCE-13

APPENDIX- 6

Praveshika I

No.	Name of Paper	Max. Marks	Min. Passing
1	Practical	100	33%

Praveshika II

No.	Name of Paper	Max. Marks	Min. Passing
1	Practical	50	33%
2	Theory	150	33%

ORDINANCE-14

APPENDIX- 7

Scheme of papers for Parichay- I

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage
Theory-I	100	33	33%
Practical	200	66	33%

Scheme of papers for Parichay- II

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage
Theory-I	100	33	33%
Practical	200	66	33%

ORDINANCE-15

APPENDIX- 8

Scheme of papers for Prabuddha- I

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage
Theory-I	100	33	33%
Theory-II	100	33	33%
Internal Assesment	40	15	33%
Practical	160	53	33%

Scheme of papers for Prabuddha- II

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage
Theory-I	100	33	33%
Theory-II	100	33	33%
Internal Assesment	40	15	33%
Practical	160	53	33%

ORDINANCE-16

APPENDIX- 9

Scheme of papers for Parangat- I

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage
Theory-I	100	33	33%
Theory-II	100	33	33%
Practical			
Stage	80	26	33%
Viva-Voce	160	53	33%
Internal Assessment	60	20	33%

Scheme of papers for Parangat- II

Name of Paper	Max. Marks	Passing Marks	Percentage
Theory-I	100	33	33%
Theory-II	100	33	33%
Practical			
Stage	80	26	33%
Viva-Voce	160	53	33%
Internal Assessment	60	20	33%

ORDINANCE-16

APPENDIX- 10

Part-I

No.	Name of Paper	Max. Marks	Min. Passing
1	Practical	200	33%
2	Theory	100	33%

Part-II

No.	Name of Paper	Max. Marks	Min. Passing
1	Practical	200	33%
2	Theory	100	33%

ORIDNANCE-16

APPENDIX- 11

No.	Name of Paper	Max. Marks	Min. Passing
1	Practical	100	33%
2	Theory	100	33%

APPENDIX- 12

BHATKHANDE SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA

Lucknow, U.P.

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION FOR THE D.Litt. DEGREE

To

The Registrar
Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya,
Lucknow(U.P.)

Passport size photo duly attested by a Gazetted Officer

Sir,

I have to request you to register my name for the D.Litt. Degree of the Vishwavidyalaya. The application fee Rs. ---------- is sent herewith/deposited in cash/has been sent by I.P.O./D.D./ No._____ Dated_____ I have read the Ordinance governing the award of the degree of Doctor of Letters of Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya, Lucknow and accept the rules as binding on me.

I furnish details about my qualification, subject of Research *etc.*, as below:-

Place:_____

(Signature of the applicant)

Date:_____

1. Name in full (in block letter)
   (a) In English _____
   (b) In Hindi _____

2. Date of Birth_____ (In words) _____
3. Married / Unmarried _____
4. Male / Female _____
5. Father's / Mother / Husband's Name _____
6. There full postal address
   _____
   _____
7. Permanent residence of the candidate with full postal address_____
   _____
   _____
8. Prescul postal address for correspondence_____
   _____
9. Present occupation (if *any*) _____
   _____
   (Post held, name and Address of the employer)
   _____
   _____
   _____ If employed, permission of the employer for doing the research work and letter regarding grant of necessary leave be enclosed.)
10. (a) Name and address (in full of the guardian)
    _____
    _____

(b) Relationship of the candidate with the guardian

_____

11. (a) Caste _____

(b) Do you belong to Schedule Caste/Schedule Tribe _____

(c) Religion _____

(d) Nationality _____

12. Details of Examination passed:-

Name of the Examination	Division	Percentage/Marks	Year	Name of Board/University

(A) Particular up to Degree Examination

1. Higher secondary
2. B.A./B.P.A./B.Mus./M.A./M.P.A/M.Mus
3. Any other Examination

(Attested true copies of mark-sheets of the above examination must be enclosed.)

(B) Particular of Ph.D. Degree:

University:

Department:

Faculty:

Topic of the Research Dissertation:

Name and designation of Supervisor/Joint Supervisor:

Date of award of Ph.D. Degree:

Note:- (Submit necessary proofs)

---

13. (a) Subject in which the candidate passed to Post-graduate Examination _____

(b) Specialization

_____

_____

14. Teaching in college/University _____

Name of the college/University _____

Designation

Period To From

(Certificate of the Employer)

---

15. Research experience:

(a) No. of Ph.D.'s awarded to candidates for research under the supervision of applicant (Attach list and titles.)

_____

_____

(b) No. of research papers published:

Titles of the papers	Journals in which published (Year, Vol. and No.)
(i) _____	_____
(ii) _____	_____
(iii) _____	_____

(iv) _____ _____

(v) _____ _____

(c) Other publication:

_____

_____

(d) Specialization:

16. Proposed subject of Research.

_____

_____

17. Special reasons for selecting the above subject for research

_____

_____

18. Whether five copics of typewritten synopsis are enclosed_____

19. It is essential that the application form is filled up properly and all enclosures be attached. In the absence of which the application shall be stand rejected. All enclosures shall be numbered serially mentioned as under.

Item No.	Requirement	No. of copies to be submitted	Enclosure Nos.
A.	Permission of the employer		Encl. No.
B.	Details of Examinations passed		Encl. No.
C.	Proof of payment of fee		Encl. No.
D.	List of Published papers		Encl. No.
E.	Migration certificates (Original)		Encl. No.
F.	Other		Encl. No.

DECLARATION OF THE CANDIDATE

I _____ do hereby declare that the information furnished by me as above is true to the best of my knowledge and belief.

I further declare that to the best of my knowledge, the subject proposed by me is a new one and no research work has been done and that no research degree has been conferred on the proposed subject by any University in the past.

Place _____

Date _____ (Signature of the Candidate)

Screening Committee

The Following shall be the members of screening committee for the concerned faculties.

(1)	Vice-Chancellor	*Chairperson*
(2)	Dean of the faculty	*Member*
(3)	H.O.D.	*Member*
(4)	Senior subject teacher of the Department	*Member*
(5)	If the topic is related to in the disciplinary H.O.D. or the concerned teacher's	*Member*
(6)	In the absence of the Vice-Chancellor the Dean of the faculty concerned will chair the Meeting. In such cases one more teacher of the Department concerned shall be invited as a member	*Member*

Name of the Candidate- _____

Faculty - _____

Supervisor - _____

Joint supervisor - _____

RECOMMENDATION

(a) The candidate be registered

_____

_____

_____

_____

(b) The application is rejected for reasons given below:-

_____

_____

_____

_____

Signature of the members with date

1. _____ 2._____

3. _____ 4._____

5. _____ 6._____

PROFORMA FOR SYNOPSIS

A. 1. Title of the Thesis:

2. General Introduction:

3. Purpose of Research:
(In about 200 words)

4. Expected outcome of the
Proposed work:

5. Source:

6. Proposed research methodology:

7. Limitations of the proposed research:

8. Bibliography:

B. List of published papers of the candidate.

Name & Signature of the Candidate

SIX MONTHLY PROGRESS REPORT OF THE RESEARCH WORK FOR THE PERIOD
_____TO _____

Report No.

1. Name and address to the
Research Scholar:

2. Faculty:

3. Topic:

4. Date of registration
5. Details of the progress of work:
(If necessary attach additional sheet)
6. Fees paid *vide* Receipt No. …… Date ……..

Place-……

Date-…… (Signature of the Candidate)

Topic

Thesis submitted for the Degree of
Doctor of Letters

Research Scholar

Name of the Faculty
Name of the University
Year

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I certify that the thesis entitled …….....……
……
……
……Approved by research committee, submitted for the award of D.Litt. embodies my own work.

I further certify that to the best of my knowledge and belief the thesis does not contain any part of any part of any work which has been submitted for the award of any degree, either in this University or in any other University/Deemed University without proper citation.

Place-
Date- (Signature of the Candidate)

APPENDIX-13

(Ordinance 21, Para 290 of VII)

PROFORMA FOR SYNOPSIS

A. (1) Title of the Thesis:
(2) General Introduction:
(3) Purpose of Research:
(4) Expected outcome of the proposed work.
(5) Source of the research work:
(6) Proposed research methodology:
(7) Limitations of the proposed research:
(8) Bibliography:

B. List of published research papers of the candidate.

Place :
Date : Name & Signature of the Candidate

APPENDIX-14

(Ordinance 21, Para 292 of I)

SIX MONTHLY PROGRESS REPORT OF THE RESEARCH WORK

FOR THE PERIOD FROM_____ TO_____

Report No._____

1. Name of the Research Scholar: _____
2. Department & Faculty: _____
3. Topic: _____
4. Name of the Supervisor: _____
5. Name of the Supervisor: _____
6. Date of Registration: _____
7. Details of the progress of work: _____
(If necessary attach additional sheet)
8. Fees paid *vide* Receipt No _____

Place:
Date: (Signature of the Candidate)

Remarks of the Supervisor

Place:
Date: (Name & Signature of the Supervisor)

Place:
Date: (Name & Signature of the HOD/Dean)

Topic

Thesis submitted for the Degree of
Doctor of Philosophy

Supervisor
Co-Supervisor (if any) Research Scholar

Name of the Faculty
Name of the university
Year

APPENDIX-15

(Ordinance 21, Para 298 of I)

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I declare that the thesis entitled_____
_____
is my own work completed under the supervision of_____

(Name of the Supervisor) (Name of the Co- Supervisor)

I further declare that to the best of my knowledge the thesis does not contain any part of any work submitted for the award of any degree, either in this University or in any other University/Deemed University without proper citation.

Place:
Date: (Name & Signature of the Candidate)

CERTIFICATE OF THE SUPERVISOR

This is to certify that the work entitled_____
_____
_____
_____is a peace of research work done by Shri/Smt./Ku. _____under my (our) supervision for the degree of Doctor of Philosophy of Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya.

To the best of my knowledge the thesis:

1. Embodies the work of the candidate himself/herself;
2. Has been duly completed;
3. Fulfills the requirements of the Ordinance 20 related to the University for Ph.D. degree; and
4. is up to standard in respect of the contents and language and may be referred to the examiner.

The thesis is recommended to be sent to the examiner.

(Name & Signature of the Co-Supervisor) (Name & Signature of the Supervisor)
Date: Date:
Place: Place:

Forwarded for necessary action to the Research Department.

Name:
Dean:
Faculty:

Place :
Date :

INTERVIEW COMMITTEE:

1	Vice-Chancellor. Chairperson_____	
2	Dean of the Faculty concerned Member_____ (If Dean is not available due to any reasons, the Vice-Chancellor may appoint any other suitable person as a member of the committee).	
3	Head of the Department of subject Concerned	Member_____
4	Senior teacher of the Department of 4 subject concerned.	
5	If the subject relates to two disciplines, the Head or a senior teacher of the other related Department.	Member_____
6	External expert (If required,) (In absence of the Vice-Chancellor, the Dean of the Faculty concerned shall be the Chair Person of the Interview Committee and in such case one more teacher of the subject concerned shall be invited as a member.)	-

Name of the Candidate_____
Topic of research -(In Block Letters)_____
_____
_____
_____
Department_____
Faculty_____

RECOMMENDATION

(a) The candidate be registered

_____
_____
_____
_____

(b) The application is rejected for reasons given below:-

_____
_____
_____
_____

Signature of the members with date

1 _____ 2_____

3 _____ 4_____

5 _____ 6_____

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 133 राजपत्र–2026–(273)–599 प्रतियां (डी0टी0पी/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 संस्कृति–2026–(274)–100 प्रतियां (डी0टी0पी/ऑफसेट)।